ISSN-2993-4648

विशेषांक- जून –2024

‘विकसित भारत की संकल्पना में सामाजिक सशक्तिकरण के विविध आयाम’

शोध उत्कर्ष

Shodh Utkarsh

A Peer Reviewed Refereed Multidisciplinary Quarterly E- Research Journal

https://shodhutkarsh.com

अतिथि संपादक - श्री प्रेमकुमार नाईक & डॉ . नरेश कुमार गौतम

शोध उत्कर्ष Shodh Utkarsh (RESEARCH ARETE JOURNAL)

| शोध उत्कर्ष Shodh Utkarsh Online Available at https:// www.shodhutkarsh.com ISSN-2993-4648 |

'विकसित भारत की संकल्पना में सामाजिक सशक्तिकरण के विविध आयाम'

शोध उत्कर्ष
Shodh Utkarsh

A Peer Reviewed Refereed Multidisciplinary Quarterly E- Research Journal

सलाहकार मण्डल (Advisory Board)

Shri Jai Prakash Pandey
Director-Department of Education And Literacy, Ministry Of Education, Govt.Of India.
Prof. Prabha Shankar Shukla
Vice Chancellor North Eastern Hill University (NEHU) Shillong
डॉ. कन्हैया त्रिपाठी पूर्व (OSD),महामहिम राष्ट्रपति 'भारत'
प्रो. दिनेश कुशवाह,रीवा (म.प्र.)
प्रो. राजेश कुमार गर्ग प्रयागराज (उ.प्र.)
प्रो. अनुराग मिश्रा द्वारका, नई दिल्ली
प्रो. के. एस. नेताम सीधी (म.प्र.)
डॉ.एम.जी. एच. जैदी पन्त नगर (उत्तराखण्ड)
डॉ.राजकुमार उपाध्याय 'मणि' बठिंडा (पंजाब)
डॉ. संगीता मसीह शहडोल (म.प्र.)
डॉ. अंजनी कुमार श्रीवास्तव मोतिहारी विहार
डॉ. अनिल कुमार दीक्षित,भोपाल (म.प्र.)
श्री संकर्षण मिश्रा ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड
प्रो.एम.यू.सिद्दीक़ी सिंगरौली (म.प्र.)
डॉ. बी.पी. बडोला (हिमांचल प्रदेश)
डॉ.अजय चौधरी,नागपुर (महारष्ट्र)
श्री प्रदीप कुमार- मूल्यांकक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली
डॉ. रेणु सिन्हा,रांची- (झारखंड)
डॉ. निशा मुरलीधरन,वड़पलनी- चेन्नई
डॉ. अंजलि एस. एर्नाकुलम, (केरल)
श्री पांडुरंग एस. जाधव बेंगलुरु, (कर्नाटक)

संपादक मंडल

अतिथि संपादक -श्री प्रेमकुमार नाईक & डॉ . नरेश कुमार गौतम
प्रधान संपादक -डॉ. एन. पी. प्रजापति सह संपादक -डॉ. मंजुला चौहान
कार्यकारी संपादक -प्रो. रीनू रानी मिश्रा डॉ. संतोष कुमार सोनकर (English)
प्रो. (डॉ.) मोहन लाल 'आर्य' डॉ. उमाकांत सिंह

लेख भेजने के लिए :– Mail-ID-shodh utkasrsh@gmail.com नोट:- पत्रिका में प्रकाशित लेख / शोध आदि में विवाद की स्थिति में लेखक / शोधार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे. पत्रिका के बारे मे विस्तार से जानने के लिए देखें:-
Website:–http:// www.shodhutkarsh.com

प्रकाशक :-
Radha publications
Mail id-radhapub@gmail.com फोन -087505 51515, 9350551515 Website:-https://radhapublications.com
पता :-4231, 1, Ansari Rd, Delhi Gate, Daryaganj, New Delhi, Delhi, 110002

दलित उत्कर्ष समिति द्वारा प्रकाशित

'विकसित भारत की संकल्पना में सामाजिक सशक्तिकरण के विविध आयाम'

शोध उत्कर्ष
Shodh Utkarsh

A Peer Reviewed Refereed Multidisciplinary Quarterly Research E-Journal

Table of Content

S.N.	Title and Name of Author(s)	Page No.
01	सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षाविद डॉ. अम्बेडकर की भूमिका का विश्लेषण -डॉ. राकेश पन्त (सहा.पुस्तकालयाध्यक्ष) डॉ.योगेश मैनाली (सहा. प्राध्यापक)	02-06
02	सामाजिक सशक्तिकरण में राजमोहिनी देवी का योगदान -डॉ. अर्चना बौद्ध	07-10
03	भारत के ग्रामीण सामाजिक सशक्तिकरण में ई-गवर्नेंस की भूमिका - दत्तात्रय निवृत्ती रावण	11-15
04	महिला सशक्तिकरण में महिला समाज सुधारक :एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण -अखिलेश कुमार	16-23
05	जनजाति समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिकाओं का अध्ययन (विशेष संदर्भ: गडचिरोली, महाराष्ट्र) -सचिन बंडूजी तिखट	24-28
06	सामाजिक सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका - Dr Iline Kongari	29-30
07	शिक्षा के विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका (विशेष संदर्भ –वडार समुदाय वर्धा महारष्ट्र) -कविता ना. खोब्रागडे	31-42
08	A Study on Stress Management among Women Police Personnel in Lucknow District -Prof. Rakesh Dwivedi Shishir Chandra Rai	43-46
09	Role of NGOs in the Educational and Social Upliftment of Minorities in Kolkata -Iqbal Ahmed	47-58

संपादकीय.........

'विकसित भारत 2047' की संकल्पना भारत सरकार के व्यापक दृष्टिकोण की योजना का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना है। 'विकसित भारत 2047' के संकल्पना में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं। बावजूद इसके भारत में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता एवं लैंगिक असमानता सहित तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं हो रही है। भारत में जातीय भेदभाव अपने चरम पर है जिसके उदाहरण हर रोज में कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। जो सोचनीय है? क्या हम विकसित भारत में इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? जबकि भारत ने उद्यमिता, नवाचार और आर्थिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है, बावजूद इसके बहुत से महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर आंखें मूंद ली हैं, जिन पर तत्काल ध्यान आकर्षित करने के साथ बदलते नए संदर्भों में देखने, समझने की आवश्यकता है।

2047 तक विकसित भारत के सपने को सही मायने में साकार करने के लिए, गंभीर सामाजिक मुद्दों को तत्परता और दृढ़ संकल्प के साथ इन पर बहस और विमर्श करना अनिवार्य हो जाता है। ताकि आर्थिक समृद्धि के साथ समतामूलक विकसित भारत का निर्माण हो सके! प्रत्येक नागरिक के बुनियादी अधिकारों और गरिमा को बरकरार नहीं रखा जाता है, तो केवल आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं होगा। सरकार, समाज और नागरिकों को समान रूप से इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ आना होगा, एक ऐसे समाज को बढ़ावा देना होगा जो न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो बल्कि न्यायसंगत, समावेशी और न्यायपूर्ण भी हो, तभी भारत वैश्विक मंच पर प्रगति और विकास का प्रतीक बनकर उभर सकता है।

विकसित भारत की संकल्पना को साकार बनाने के लिए गांधी के अंतिम जन' अर्थात समाज के 'अंतिम पंक्ति' के 'अंतिम व्यक्ति' को हेयता द्वेष से मुक्त हो कर समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़ने का प्रयत्न ही विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। गरीबी, बेरोजगारी, असमानता से मुक्त हो कर ही विकसित भारत की संकल्पना को समुचित तौर उपयोगी माना जा सकता है।

यह सभी प्रश्न चिंता का विषय जिन्हें बहुत ही गहनता के साथ विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। ताकि न्यायसंगत, तर्कशील, समतावादी समाज का विकास कर, विकसित भारत के एजेंडों को सफल बनाया जाए ताकि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक प्रगति कर समाज को सशक्ति बनाया जा सके!

सामाजिक सशक्तिकरण का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, आर्थिक समानता, महिला सशक्तिकरण, जाति, जेंडर, और धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म करने और सभी को बराबरी का हक के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है।

भारत में सामाजिक सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, जाति और जनजाति के मुद्दे, और सामाजिक समावेश। इन सभी क्षेत्रों में विकास के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज आधुनिक भारत में चुनौतियों और समस्याओं से लड़ने के पर्याप्त साधन नहीं है। जिन पर तत्काल ध्यान आकर्षित करने के साथ बदलते नए संदर्भों में देखने समझने की आवश्यकता है। ''विकसित भारत की संकल्पना में सामाजिक सशक्तिकरण के विविध आयाम'' विशेषांक अकादमिक तौर पर सोचने, समझने, तर्कपूर्ण विचार और विमर्श करने के साथ सामाजिक सशक्तिकरण के विविध आयामों से संबंधित जागरूकता लाने की पहल करता है ताकि विकसित भारत की संकल्पना में बेहतर समाज का निर्माण हो सके!

****

संपादक

डॉ नरेश कुमार गौतम
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाज कार्य विभाग
संस्था -श्री. रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर- (छत्तीसगढ़)

श्री प्रेमकुमार नाईक
अध्यक्ष : सामाजिक सशक्तिकरण बहुउद्देशीय
वर्धा - (महाराष्ट्र)

सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षाविद डॉ. अम्बेडकर की भूमिका का विश्लेषण

डॉ. राकेश पन्त
(सहा. पुस्तकालयाध्यक्ष) ए. डी. पन्त केंद्रीय पुस्तकालय
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा.

डॉ. योगेश मैनाली
(सहा.प्राध्यापक)
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा.

सारांश:
भारतीय समाज के महान नेता, डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन के सभी पहलुओं में शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से स्थानांतरित किया है। उनका शिक्षावादी दृष्टिकोण ने भारतीय समाज को समृद्धि और समानता की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान किया है । अम्बेडकर ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम उठाए। उन्होंने विभिन्न विद्यालयों और कॉलेजों में अध्ययन किया और और अपनी ऊँची शिक्षा की गर्वगाथाएं साझा की एवं विशेष रूप से उस समय समाज में फ़ैली कुरीतियों एवं भ्रांतियों को दर किनार करते हुए पिछडों और अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा के अधिकार की रक्षा की। अम्बेडकर का विचारशील दृष्टिकोण उन्हें एक उद्दीपक बनाता है, जो न केवल अपने छात्रों को ज्ञानार्जन के माध्यम से शक्तिशाली बनाना चाहते थे, बल्कि समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ भी उठे। अम्बेडकर ने समाज को सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में अपने शिक्षावादी दृष्टिकोण के माध्यम से सशक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने आरक्षण के माध्यम से अनुसूचित जातियों को शिक्षा में समाहित करने का मार्ग प्रदान किया और उन्हें समाज में समानता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। उनके शिक्षावादी दृष्टिकोण ने उन्हें नेतृत्ववान बनाया, जिन्होंने शिक्षा को समाज में सुलभ और समर्पित बनाने के लिए सशक्त माध्यम किया। उनका योगदान आज भी समाज को शिक्षा के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है और समाज को समानता और न्याय की दिशा में मार्ग दर्शन करता है।

बीज शब्द: शिक्षावाद, सामाजिक समानता, नेतृत्व, समाज में समानता, शिक्षा के अधिकार, समाजिक समर्पण, सशक्तिकरण।

शोध पत्र का उद्देश्य :
प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान शिक्षाप्रद के रूप में उनकी शिक्षाओं का विश्लेषण करना प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य है|

शोध प्रविधि :
प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है शोध पत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान समाज सुधारक व शिक्षाविद होने के रूप में समाज में उनकी शिक्षा से हुए प्रभावों का गुणात्मक रूप से विश्लेषण एवं मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। इस शोध पत्र में द्वितीयक तथ्यों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है | विषय से संबंधित शोध पत्रों, पुस्तकों, इंटरनेट एवं विषय विशेषज्ञों के वक्तव्य एवं तथ्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर शोध पत्र का लेखन किया गया है।

प्रस्तावना :

डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी शिक्षावादी दृष्टिकोणडॉ. भीमराव अम्बेडकर, भारतीय समाज के सुधारक और समाजशास्त्री थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका शिक्षावादी दृष्टिकोण समाज में समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण विचारधारा को प्रेरित करता है। अम्बेडकर ने अपने जीवन के दौरान विभिन्न शिक्षा संस्थानों में अपनी शिक्षा पूरी की और उन्होंने विशेष रूप से दलितों और अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा के अधिकार की रक्षा की। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसे साधन के रूप में देखा जो समाज में समानता और न्याय की स्थापना में सहायक हो सकता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर, भारतीय समाज के सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ अपने उद्दीपक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्हें एक शिक्षाविद के रूप में जाना जाता है जो न केवल अपने छात्रों को ज्ञानार्जन के माध्यम से सशक्त बनाना चाहते थे, बल्कि शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलने का सपना देखते थे , जिसे साकार करने के लिए जीवनपर्यन्त संघर्षरत रहे | अम्बेडकर ने विशेष रूप से अपने जीवन के पहले दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने विशेष रूप से दलित और अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा के अधिकार की रक्षा की, और इसके लिए उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। अम्बेडकर के द्वारा स्थापित "अम्बेडकर विश्वविद्यालय" और "अम्बेडकर शिक्षा संस्थान" जैसे संस्थान आज भी उनके शिक्षावादी दृष्टिकोण को अनुसरण कर रही हैं। उन्होंने शिक्षा को एक समर्पित तंत्र के रूप में देखा और समाज में समानता के माध्यम से न्याय बनाए रखने का सपना देखा। डॉ. अम्बेडकर के शिक्षाविद के रूप में योगदान ने भारतीय शिक्षा तंत्र व समाज को एक नए मोड़ पर ले नाने का काम किया | डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तकें शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हुई हैं:

"आनंबाणं आयः" (Annihilation of Caste): यह पुस्तक डॉ. अम्बेडकर के लेख "जातिवाद का नाश" पर आधारित है और इसमें उनके विचार और सुझाव हैं जो उन्होंने भारतीय समाज की जातिवाद से मुक्ति के लिए रचे। यह पुस्तक उनके शिक्षावादी और समाज सुधारक दृष्टिकोण को स्पष्टता से प्रस्तुत करती है और आज भी सामाजिक रूप से प्रभावशाली है। इस पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर ने जातिवाद के खिलाफ अपने उद्दीपक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता और न्याय की बढ़ती समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक के माध्यम से, विद्यार्थियों को अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है और उन्हें अपनी शिक्षा का सही उपयोग करके समाज में समरसता की दिशा में योगदान करने के लिए प्रेरित किया है।

"भारतीय समाज का संघटन" (The Annihilation of Caste): इस पुस्तक के माध्यम से, डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज के विभाजन और जातिवाद के खिलाफ अपने दृष्टिकोण को साझा किया है। विशेष रूप से, उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाने का प्रयास किया है और यह बताया है कि शिक्षा का सही उपयोग करके ही समाज में समरसता की स्थापना की जा सकती है। उनका चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण और विचारशीलता इस पुस्तक को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बनाती है जो समाजशास्त्र और समाज सुधार के क्षेत्र में अध्ययन के लायक है।

"भारतीय समाज का निर्माण" (Thoughts on Linguistic States): इस पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज के निर्माण और समरसता के सिद्धांतों पर अपने दृष्टिकोण को साझा किया है। उन्होंने भाषाई राज्यों के विचार पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और भारतीय समाज की एकता और सामंजस्य के मुद्दे पर गहरे संवेदनशीलता से बात की है। इस पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा के माध्यम से समाज में एकता और सामंजस्य के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया है। उनके विचार विद्यार्थियों को समाजशास्त्र के माध्यम से अपने समाज को समझने और सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं।

"धर्म विचार" (The Buddha and His Dhamma): यह अम्बेडकर द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो उनके विचारों और बौद्ध धर्म के प्रति उनके आदर्श और आस्थाएं प्रस्तुत करती है। इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया है और उनके अनुयायियों को मार्गदर्शन किया है। इस पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया है और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा दी है। विद्यार्थियों को इस पुस्तक के माध्यम से धर्म, नैतिकता, और सत्य के मूल्यों का महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल करने का अवसर मिलता है। इन पुस्तकों का अध्ययन करके विद्यार्थी न

केवल अपनी शिक्षा को समृद्धि से निभा सकते हैं, बल्कि उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है।

इन पुस्तकों के माध्यम से, डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा, समाजशास्त्र, और धर्म के क्षेत्र में अपने दृष्टिकोण को साझा किया और समाज में समानता और न्याय की दिशा में अपना समर्पण दिखाया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया और उन्होंने शिक्षा के हक को सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए। यह योगदान उनके आदर्शों और उनके सोच-समझ को दर्शाता है जो समाज को समानता और न्याय की दिशा में बढ़ाने में बहुत महत्त्वपूर्ण साबित हुए।

सामाजिक समानता का प्रमोट: डॉ अम्बेडकर ने संविधान में शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समानता को प्रमोट करने के लिए बहुत ध्यान दिया। उन्होंने शिक्षा के सर्वांगीण और समान उपयोग की आवश्यकता को मान्यता दी, जिससे समाज में समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो सकें।

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें: उन्होंने आरक्षित सीटों के माध्यम से अनुसूचित जातियों को शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के लिए अधिक अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया।

मानव समाज के लिए न्यायपूर्ण शिक्षा: अम्बेडकर ने शिक्षा को न्यायपूर्ण बनाने के लिए मानव समाज के लिए न्यायपूर्ण शिक्षा की मांग की, ताकि समाज में बौद्धिक समरसता और समृद्धि हो सके।

सामाजिक न्यायपूर्णता की बढ़ती मांग: उन्होंने सामाजिक न्यायपूर्णता की बढ़ती मांग की, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में समाज में समानता बनी रहे और किसी भी व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो।

इन प्रावधानों ने भारतीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये और अधिकारियों को समाज में समाजिक समानता की स्थापना के लिए कार्रवाई करने का अवसर प्रदान किया।

अम्बेडकर का आंदोलन अनुसूचित जाति सुधार आंदोलन, उनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक था हिन्दू समाज में मौजूद कुरूतियों और अनुसूचित जाति के साथ अत्यन्त दुर्व्यवहार को समाप्त करना। अम्बेडकर का प्रयास था कि समाज में सभी को समान अधिकार मिलें। उन्होंने इसके लिए कई सामाजिक संघर्ष किए, जिससे पूर्व में व्याप्त कुरूतियां धीरे-धीरे कम हो रही थीं। उन्होंने समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में प्रयास किया और सवर्णों की तरह ही अन्य वर्गों को भी समानता की दृष्टि से देखा।

1927 में महाराष्ट्र में आयोजित हुए एक निम्न जाति सम्मेलन में भारतीय समाज के सामाजिक और आर्थिक सुधार के प्रति एक महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। इस सम्मेलन में लगभग 10,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उनमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हित में समाज में सुधार करने के प्रस्तावों को प्रस्तुत करना था। डॉ अंबेडकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि समाज में कुलीनता और हीनता की भावना को समाप्त करना चाहिए। उन्होंने अनुसूचित जातियों से कहा कि वे स्वावलंबन, स्वाभिमान और स्वविवेक के साथ ऊँचे उठें। उन्होंने सरकारी नौकरियों में भर्ती होने, खेती के लिए जंगलों की खाली जमीनों पर मेहनत करने, और समाज में समानता की भावना को बढ़ावा देने की मांग की।

डॉ. अम्बेडकर की राजनीतिक यात्रा ने एक नया मोड़ लिया जब उन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष चुना गया। उनका प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना था, और इसके लिए उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ सहयोग का रास्ता चुना।अम्बेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अपनी नीति बदली और उन्होंने सहयोग करने का संकल्प किया। उन्होंने अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और चाहा कि संविधान में उनके समाज के अधिकारों की सुरक्षा हो। उन्होंने संविधान की रचना में अपने मौद्रिक पूर्वजों की भारतीय सामाजिक वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों के हक की रक्षा की।भारतीय संविधान सभा में अम्बेडकर का सक्रिय योगदान, उनकी आलोचनात्मक दृष्टिकोण, और समाज में असमानता के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से भारतीय समाज को समानता और न्याय की दिशा में मार्गदर्शन किया। उनके द्वारा चुने गए उद्देश्यों और सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया और उसने विभिन्न सामाजिक वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए समर्पित नीतिएं बनाईं। उनके विचारों ने भारतीय संविधान को एक आदिवासी, असमानता के खिलाफ, और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए माध्यम बनाया। उनकी दृष्टि में, संविधान एक विशेष तरीके से समाज को आधारित करने का एक साधन था, जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। उनकी दृष्टि में, संविधान ने अल्पसंख्यकों, और वंचित वर्गों को समर्थन देने वाली विशेष व्यवस्थाओं को स्थापित किया और उन्हें समाज में समाहित करने के लिए नीतिएं बनाईं। अम्बेडकर के विचार राजनैतिक स्वतंत्रता के चार स्तम्भों को बताते हैं:

व्यक्ति में सम्पूर्णता: अम्बेडकर का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने में पूर्ण है, और इस पूर्णता का आदान-प्रदान राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है।

अहरणीय अधिकार और संवैधानिक गारंटी: अम्बेडकर का यह मत था कि हर व्यक्ति के कुछ अहरणीय अधिकार होते हैं, जो संवैधानिक रूप से सुरक्षित होने चाहिए। इससे व्यक्ति की रक्षा होती है और उसे समाज में समानता मिलती है।

सुख-सुविधाओं के लालच में अधिकार का परित्याग: अम्बेडकर का मानना था कि राजनैतिक स्वतंत्रता का सही उपयोग करने के लिए व्यक्ति को सुख-सुविधाओं की लालच में अपने संवैधानिक अधिकारों का परित्याग नहीं करना चाहिए।

सरकार को नियंत्रण में रखने का अधिकार नहीं: अम्बेडकर ने यह बताया कि किसी भी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति को नियंत्रित रखने का अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए था कि राजनैतिक सत्रों में कोई अनैतिक प्रवृत्ति नहीं होती।

निष्कर्ष: डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक महत्वपूर्ण राजनेता और समाजशास्त्री थे, जिन्होंने भारतीय समाज को सामाजिक और राजनीतिक समानता की दिशा में बढ़ने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने जीवनकाल में अनेक महत्वपूर्ण संघर्षों में भाग लिया, समाज में असमानता और उत्पीड़न के खिलाफ उठे। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से समाज को जागरूक किया और संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शिक्षाविद के रूप में समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉ अंबेडकर की शिक्षा ने समाज को दर्पण दिखाने का कार्य किया, उन्होंने शिक्षा को समाज का अभिन्न अंग बताया है। वास्तव में यदि देखा जाए तो शिक्षा समाज का एक ऐसा अभिकरण है जो प्रत्येक समाज को सशक्त एवं करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शिक्षा ही समाज में समानता न्याय एवं सोशल जस्टिस के सिद्धांत एवं समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने का कार्य करती है। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उच्च नीच, जातिगत असमानता को दूर कर समाज में समानता और सोशल जस्टिस के सिद्धांत की हमेशा पैरवी करती है उनकी शिक्षा एवं सुधारों का

ही नतीजा है कि आज सामाजिक समरसता एवं सामाजिक न्याय हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। डॉ अंबेडकर ने समाज की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक, सामाजिक शैक्षणिक एवं सामाजिक न्याय की असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा को एक सशक्त माध्यम माना है। शिक्षा ही समाज की बुराइयों को दूर कर सकती है शिक्षा के बिना किसी भी समाज का विकास संभव नहीं हो सकता है डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं का ही परिणाम है कि अब समझ में असमानता जातिगत संस्था उच्च नीच जैसी संकीर्णताओं के लिए कोई स्थान नहीं है डॉ अंबेडकर की शिक्षा एवं विचारों का जीता जागता उदाहरण हमारा संविधान है जिससे हमारा देश चलता है इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि डॉ अंबेडकर ने समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को न सिर्फ मजबूत बनाने का कार्य किया बल्कि उन्होंने एक सच्चे शिक्षा पर वृद्धि के रूप में उनकी सीमाओं को प्रयोगात्मक रूप देकर समाज में समानता न्याय और सामाजिक जस्टिस के सिद्धांत का सफल क्रियान्वयन किया है।

****

संदर्भः

1. Keer, D. (1997). "Dr. Ambedkar: Life and Mission." Popular Prakashan.

2. Omvedt, G. (2003). "Ambedkar: Towards an Enlightened India." Penguin Books India.

3. Ambedkar, B. R. (1936). "Annihilation of Caste."

4. Ambedkar, B. R. (1936). "Thoughts on Linguistic States."

5. Ambedkar, B. R. (1945). "The Annihilation of Caste."

6. Ambedkar, B. R. (1957). "The Buddha and His Dhamma."

7. Jaffrelot, C. (2005). "Dr. Ambedkar and Untouchability: Fighting the Indian Caste System." Oxford University Press.

सामाजिक सशक्तिकरण में राजमोहिनी देवी का योगदान

डॉ. अर्चना बौद्ध
सहायक प्राध्यापक (इतिहास)
चन्दूलाल चन्द्राकर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,धमधा,दुर्ग

सामाजिक उत्थान के कार्यो में अपना जीवन समर्पण करने वालों में भारत के महान व्यक्तियों का नाम प्रसिद्ध है जिसमें राजमोहिनी देवी के योगदान को कमतर नहीं माना जा सकता। एक निरक्षर महिला और वह भी समाज के सबसे पिछड़े तबके आदिवासी वर्ग से आकर समाज को नेतृत्व प्रदान किया। वह देश के शीर्ष नेताओं के समान राष्ट्रीय मुद्दो को उठाकर महिला सशक्तिकरण का मजबूत प्रमाण प्रस्तुत की।

गांधीजी के आदर्शो पर चलकर राजमोहनी देवी भारत के महान समाज सुधारकों में सुमार हो गई। राजमोहनी देवी ने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर कर आदिवासी समाज को आधुनिक विकसित समाज की भाँति सुधार करने का प्रयास किया। देश के मुख्यधारा में चल रहे समाज में फैली विकृति को भी उन्होंने सुधार करने का प्रयास किया। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा उन्हें यथायोग्य सम्मान भी प्राप्त हुआ।

जीवन परिचय - छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल के ग्राम दुआरी में आदिवासी मांझी समाज में राजमोहनी देवी का जन्म 7 जुलाई 1914 को हुआ।[1] राजमोहनी देवी का बालविवाह हो गया था, वैवाहिक जीवन के नासमझी के कारण पति का साथ नहीं मिल पाया। अतः 15 वर्ष की आयु में उसे दूसरा विवाह करना पड़ा, उन्हों ने 7 बच्चों को जन्म दिया परन्तु एक-एक करके तीन पुत्री और एक पुत्र काल कवलित हो गये साथ ही पति भी शराबी हो गये। इस दुखमय जीवन एवं सामाजिक विकृतियों के अनुभव ने राजोदेवी को आत्मज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, इस ज्ञान के बल पर असहाय एवं विचलित लोगों को सद्मार्ग पर ले जाने का पूरा प्रयास किया।[2]

गांधीवादी एवं आदिवासी आंदोलन का प्रभाव राजमोहनी देवी पर पड़ा। गांधीजी के आदर्शो पर चलकर राजमोहनी देवी भारत के महान समाज सुधारकों में सुमार हो गई। उन्होंने जनजागरूकता, नशाबंदी, गौसेवा, भूदान आंदोलन जैसे कार्यक्रमो का संचालन किया। वह गांव-गांव पैदल मार्च करती एवं गांव में विश्राम करके लोगों को उपदेश दिया करती थी।[3] समाज जातिप्रथा, रंगभेद, छुआछूत जैसी सामाजिक-आर्थिक विषमता की गहरी खाइयों से डगमगा रही थी, मनुष्य का जीवन अंधकारमय हो चुका था। राजमोहनी देवी ने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर कर आदिवासी समाज को आधुनिक विकसित समाज की भाँति सुधार करने का प्रयास किया।[4]

अंधविश्वास के प्रति जागरूकता - गोंड समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, कुरीतियों, दिखावटीपन, अनैतिकता, स्वार्थपरता एवं संकीर्ण मानसिकता से लोगों को बाहर निकालकर भावी पीढ़ियों को सुशिक्षित, सभ्य, प्रतिभावान, जीवन-स्तर सुधारने एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिये प्रेरित किया एवं भारतीय संविधान का लाभ लेने हेतु आदिवासियों को आह्वान किया। राजमोहनी देवी टोनही प्रथा, भूत-प्रेत एवं बैगा प्रथा का विरोध करते हुए कहती है, कि टोनही प्रथा के कारण मनुष्य ही मनुष्य के दुश्मन बन चुके है, यहाँ तक कि पति के हाथों पत्नी की हत्या हो जाती है। यह अंधविश्वास अज्ञानी एवं अनपढ़ व्यक्तियों को गलत मार्ग में ले जाता है जिसका बैगा या गांव के मुखिया नाजायाज़ फायदा उठाते है। महिलाओं को टोनही कहकर बदनाम एवं बहिष्कार किया जाता है, जिसके कारण वह महिला समाज में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाती है और इसका फायदा बैगा-गुनिया या देवार उठाते है। लोगो से मांस - मदिरा एवं धन सम्पत्ति ठगकर समाज को गरीब बना देते है। अतः भूत-प्रेत के चक्कर में मनुष्य को नहीं फंसना चाहिए, ऐसा ज्ञानहीन मनुष्य ही करते है, इसलिए मनुष्य को शिक्षित होना पड़ेगा।[5]

सामाजिक सद्भावना का विकास - राजमोहनी देवी के अनुसार जिस प्रकार बड़ी मछ़ली छोटी मछलियों को निगल जाते है, उसी प्रकार समाज के उच्च वर्ग, शोषक वर्ग, धूर्त एवं पाखंडी हम भोले-भाले आदिवासियों का खून चूस लेते है,अतः आदिवासियों को सभ्य बनना पड़ेगा। समाज में सामाजिक सद्भावना जागृत कर उनमें पारस्परिक द्वेष, घृणा, कलह, ईर्ष्या,आपसी मनमुटाव एवं फूट को खत्म करना होगा, तभी गरीबी, अशिक्षा एवं पिछड़ापन से ऊपर-उठकर दलित, शोषित, वंचित एवं पीड़ित मानव समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकेगा।[6]

मद्यनिषेध कार्यक्रम - राजमोहनी देवी ने दुःख व्यक्त किया कि आदिवासी समाज शराब बनाकर बेच रहे है, जिसका सरकार ने उसे छूट दे रखी है। इस छूट का समाज अवैध तरीके से लाभ उठाकर पतन की ओर जा रहे है, आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है, आधिकतर लोग मनोरोगी बन गये है। नशाबंदी के माध्यम से इसमें सुधार किया जा सकता है अतः मद्यनिषेध कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासियों के जीवन एवं उनके विचारों में क्रांतिकारी बदलाव लाया। नंशाबंदी के लिए उन्हों ने सादा जीवन- उच्च विचार के मार्ग का अनुसरण करते हुए मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड के आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमण किया। उन्होंने मद्यपान की लत को छुड़ाने गरीब भाइयों से अपील किया कि महुआ जीवन यापन का साधन है, महुआ को विविध प्रकार के भोजन-पकवान के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे शरीर को लाभ मिलता है,हडिड्यां मजबूत होती है एवं शरीर बलशाली,तेजमय होती है, लेकिन शराब से शरीर नष्ट होते है एवं समाज के बीच मान-सम्मान घट जाता है।[7]

उन्होंने '' **बापू धर्म-सभा आदिवासी सेवा समिति** '' के सदस्यों द्वारा मद्यानिषेध का प्रचार करवाया एवं नियम बनाकर पालन करवाने के लिये प्रेरित किया यदि निरंतर समझाने पर व्यक्ति न माने तो उनका सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही।

राजमोहनी देवी ने कहा कि एक शिक्षित व्यक्ति यदि मदिरापान करें तो उसका कुप्रभाव सम्पूर्ण समाज पर पड़ता है, क्योंकि सफल व्यक्ति का अनुकरण लोग जल्दी करते है अतः वह शिक्षित व्यक्ति अपने वातावरण को दूषित एवं भ्रष्ट करता है, ऐसा व्यक्ति 100 अनपढ़ के बराबर है। उस शिक्षित व्यक्ति को समझाना अनिवार्य है, नहीं तो वह निंदा का पात्र है।[8] राजमोहनी देवी ने 21 मार्च 1953 को राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के प्रतिनिधि, जिलाधीश के विरूद्ध अंबिकापुर में 10000 अनुयायी का जुलूस निकालकर जिलाधीश के बंगले को घेर लिया. अनुयायियों का नारा था **''दारू पीना छोड़ दो,भट्ठियों को तोड़ दो।''** उन्होंने लोगो को तम्बाकू छोड़ने को कहा और 1963-64 में दिल्ली में अखिल भारतीय नशाबंदी परिषद की आमसभा आयोजित की गई उसमें राजमोहनी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के उपस्थिति में वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि मद्यपान से लोग मंदबुद्धि हो जाते है,धन-सम्पत्ति बर्बाद हो जाता है। सन् 1965 में ही अम्बिकापुर में शराब भट्ठी बंद करो के नारे के साथ आंदोलन किया,इसी का प्रभाव था,कि 1965 में सरकार को नशाबंदी कानून बनाना पड़ा। कलेक्टर को बापू धर्म संस्था की ओर से आदिवासियों के हितों की रक्षा हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। मद्यनिषेध आंदोलन विकराल रूप धारण कर चुका था,सरकार ने राजमोहनी के प्रार्थनापत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की, शराब बिक्री पर रोक नहीं लगाई, राजमोहनी देवी ने **''भट्ठी तोड़ो सत्याग्रह आंदोलन** '' का नोटिस थमा दिया।[9]

नारी मुक्ति का प्रयास - राजमोहनी देवी ने बालविवाह, दहेज प्रथा एवं महिला अशिक्षा का विरोध किया, साथ ही पर स्त्रीगामी पुरूष और पर पुरूषगामी महिलाओं एवं अशिक्षित व्यक्तियों को समाज का दुश्मन माना। दहेजप्रथा को खत्म करने एवं विधवा पुनर्विवाह को अच्छा मानकर उसे सामाजिक प्रगति के मार्ग में साधक बताया। वह स्त्री शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए कहती है, कि शिक्षा के अभाव में मनुष्य का जीवन पशुवत है, जिनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है अतः वह अपमान का भागी होता है। सामाजिक उत्थान नारियों के उत्थान से ही संभव है, जो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है,संविधान ने सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। जिसका सभी समाज को लाभ लेना चाहिए।[10]

सामाजिक नेतृत्वकर्ता के गुण -

समाज के नेतृत्वकर्ता के विशेषता बताते हुए कहते है, कि समाजिक नेता को गंभीर सोच का होना चाहिए एवं पक्षपाती नहीं होना चाहिए, उसका चरित्र साफ एवं नैतिक हो ताकि सभी के लिए अनुकरणीय हो,समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रेम, दया की भावना एवं संवेदनशील होना चाहिए, ताकि वह निःस्वार्थभाव से इसकी सेवा करें, समाज के नेता समाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक हो एवं उसे जड़ से मिटाने का हमेशा प्रयास करते रहे। बच्चों को बूरे आचरणों से दूर रखने एवं उचित चरित्र का निर्माण करने का प्रयास करते रहे।[11]

राजमोहनी देवी और भूदान आंदोलन -

भारत में आय की असमानता को समाप्त करने हेतु महात्मा गांधी जी के प्रेरणा से 18 अप्रैल सन् 1951 में विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया, जिसका प्रसार राजमोहनी देवी के माध्यम से सरगुजा अंचल में किया गया। सरगुजा में 1955 से 1959 तक लम्बी पदयात्राएं का संचालन कर सैकड़ो एकड़ भूमि राजमोहनी देवी ने दान में प्राप्त किया और अनेक भूमिहिनों को भूमिधारी बनाया। इस हेतु उन्होंने 1957 में दादा भाई नाईक को सरगुजा भेजा राजमोहनी देवी की अध्यक्षता में 9 जुलाई 1958 को राघवपुरी संस्था की स्थापना हुई। राजमोहनी ने इस संस्था के माध्यम से लोगों को उपदेश दिया कि भारत कृषि प्रधान देश है कृषक वर्गां में भूमि स्वामी खेतीहर, मजदूर, बटाईदार एवं बेगारों के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण वर्ग-संघर्ष की स्थिति है एवं मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है एवं मानव संबंधो में विघटन हो रहा है।[12] राजमोहनी देवी ने गांव की भूमि को दूसरे गांव के व्यक्ति को नहीं बेचने एवं ग्राम की जमीन का प्रबंधन ग्राम पंचायत को करने का आह्वान किया। राजमोहनी देवी के प्रयास से 10 अक्टुबर 1968 तक सरगुजा में 654 ग्राम दान के रूप में प्राप्त हुए। राजमोहनी देवी गरीब एवं भूमि से बेदखल हो रहे किसानों के साथ न्याय के लिए खड़ी रही एवं उनके हित में तहसील, थाना एवं अनुभाग स्तर पर रैली एवं सत्याग्रह किया। उन्होंने गरीबी रेखा में जीवन-यापन करने वालों के लिये लड़ाई लड़कर उन्हों राहत दिलाने की मांग की।[13]

गोहत्या बंदी आंदोलन में राजमोहनी देवी -

देश के कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में पशुओं के महत्व को बताते हुए राजमोहनी ने भारत सरकार से गोवध बंद कराने हेतु अपील किया।[14] राज्यों में स्थापित बूचड़खानों के बारे में कहा, कि देश के बड़े शहरों के बूचडखानों में एक दिन में हजारो बैल काटे जा रहे है, इस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे गोमांस का निर्गमन विदेशों में हो रहा है। बाहरी चमड़ा व्यापारियों को कम कीमतों में ही मवेशियों को नहीं बेचना चाहिए। इसके लिए ग्राम पंचायत को नियम-कानून बनाना होगा, मवेशियों के कारण ही ग्राम का अस्तित्व है, बड़े किसान तो ट्रेक्टर के माध्यम से खेती कर लोंगे, लेकिन छोटे किसान अपने पशुओं पर ही निर्भर होते है।[15] मध्यप्रदेश शासन से राजमोहनी देवी अपील करते हुए रायगढ़ एवं सरगुजा के उत्तरी क्षेत्र एवं बिहार के पलामु डाल्टेन गंज, रेहला तथा कलकत्ता के बूचड़खाने में गाय-बैल की चीमड़ व्यापारी ले जाते है, इसलिए गाय-बौल की कीमत में बढ़ोत्तरी हो गई है।[16]

राजमोहनी को प्राप्त सम्मान-

मध्यप्रदेश शासन - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कार-1985-86 यह पुरस्कार राजीव गांधी के हाथों प्राप्त हुआ।

यह पुरूस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, जो समाज के दबे-कुचले वर्ग अनुसूचित जाति, जनजातियों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए समर्पित है।

भारत सरकार - पद्मश्री पुरस्कार- 25 मार्च 1989, सुबह 9ः:30 बजे राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन के हाथों पुरस्कृत हुए।[17]

संदर्भ सूची -

1. जिंदल, सीमा, सरगुजा अंचल मे सामाजिक संचेतना के विकास में पद्मश्री राजमोहनी देवी का योगदान, शोध प्रबंध, 2008 पृष्ठ 52
2. समाचार पत्र, भास्कर, 3 मार्च 1989
3. समाचार पत्र, नवभारत, लेख - पाण्डे, कमल किशोर, 21 नवम्बर 1994
4. उपरोक्त, सीमा जिंदल, पृ. 77
5. उपरोक्त, सीमा जिंदल, पृ. 101
6. मंदिलवार, सचिन, रमेन्द्रनाथ, सरगुजा दर्शन, मनरम प्रकाशन अम्बिकापुर, पृ. 245
7. प्रसाद, शितला, रामकोला का संदेश पत्र, 1953, पृष्ठ 19-25
8. सामाचार पत्रः- 79 भास्कर 3 मार्च 1989
9. प्रसाद, शितला,भट्ठी तोड़ो सत्याग्रह आंदोलन,क्यों और कैसे,प्रकाशक,श्री राजमोहनी,पृ. 8-9
10. उपरोक्त, सीमा जिंदल, पृ. 88-89
11. उपरोक्त, सीमा जिंदल, पृ. 82
12. दरबार,डाॅ. ज्ञानवती,विनोबा की ज्ञान गंगा में,रंजन प्रकाशन,टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली, 1961
13. समाचार पत्रः अम्बिनवाणी, लेख- गोयल, डाॅ. कुनाल, 17 अगस्त 2003
14. प्रसाद, शितला, नया कदम, श्री राजमोहनी माता, 1954, पृ. 28
15. उपरोक्त, सीमा, जिंदल, पृ.134
16. संदेश पत्र, सिंह रूपचंद, बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा आश्रम, गोविंदपुर
17. समाचार पत्र, भास्कर, 3 मार्च 1989

भारत के ग्रामीण सामाजिक सशक्तिकरण में ई-गवर्नेंस की भूमिका

दत्तात्रय निवृत्ती रावण
शोधार्थी,राजनीतिशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,वर्धा

सारांश :

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने हाल के वर्षों में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के महत्वपूर्ण प्रसार के साथ, भारत सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी बनाने का मिशन शुरू किया है। सरकार के प्रभावी शासन के साथ सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। ई गवर्नेंस के युग में, दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपने प्रशासन में ई गवर्नेंस को अपनाया, जिससे जनता को समय पर आवश्यक सामान और सेवाएँ उपलब्ध हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में ई-गवर्नेंस का प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। नतीजतन, भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस की पहल शुरू की है; यथासंभव सभी सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान की जा रही है। भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस के समर्थन में कई परियोजनाएं शुरू कीं, जैसे ई-सेवा, स्मार्ट सरकार, डिजिटल इंडिया, ई-क्रांति और आदि। इनमें से प्रत्येक परियोजना नागरिकों को अधिक लाभ पहुंचा रही है। इस प्रक्रिया के बावजूद, ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन को लेकर अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं। अर्थात्, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी बाधाएँ, गोपनीयता, सुरक्षा चिंताएँ, आदि। यह पेपर भारत के ग्रामीण सामाजिक सशक्तिकरण में ई-गवर्नेंस की भूमिका का वर्णन करता है।

कीवर्ड:- ई-गवर्नेंस, सामाजिक सशक्तिकरण, ग्रामीण, इंटरनेट

प्रस्तावना :-

वर्तमान में ई-गवर्नेंस समय की मांग है। इसकी प्रक्रिया से प्रशासनिक व्यवस्था में काफी बदलाव आया है। पंचायत, गांव और ग्रामीण समाज को काफी लाभ मिला है। सामाजिक-आर्थिक मुद्दे दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, प्रत्येक विस्तारक ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ई गवर्नेंस) के अत्यधिक उपयोग के साथ सामाजिक-आर्थिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को कम करने के लिए अपने प्रशासन को उच्च स्तर से निम्न स्तर तक विस्तारित करना शुरू कर दिया है। दुनिया में अधिकतर विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाएं सरकारी प्रशासन को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बड़े पैमाने पर उपयोग करती हैं। वर्तमान में, लगभग सभी विकसित या अविकसित विकासशील देशों में उनकी विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ई-गवर्नेंस की विशेषताएं देखी जाती हैं।

भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है जिसकी दो-तिहाई आबादी और 70% कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय का लगभग 50% हिस्सा है। इस प्रकार, समग्र विकास और समावेशी विकास के लिए ग्रामीण आबादी की सतत वृद्धि और विकास महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्वच्छता, आवास, पेयजल और बिजली जैसी बेहतर जीवन स्थितियों के हकदार हैं। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कौशल, नौकरियां और उपभोग को आदर्श भारतीय ग्रामीण परिवार के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। देश के सभी राज्यों ने अपनी विशाल आबादी को समय पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल (शासन की परियोजनाएँ) शुरू की हैं। इसलिए आज की दुनिया में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ई-गवर्नेंस सरकार के भीतर, सरकार, राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका और स्थानीय स्तर की सरकारों, नागरिकों और व्यवसायों और

शक्तियों के बीच जानकारी तक विश्वसनीय पहुंच के संदर्भ में शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता, प्रभावशीलता और समावेशिता को बढ़ाता है।

ई-गवर्नेंस की संकल्पना:-

ई-गवर्नेंस को सरकारी सेवाएं प्रदान करने, सूचनाओं के आदान-प्रदान, लेनदेन, पहले से मौजूद सेवाओं और सूचना पोर्टलों के एकीकरण के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह स्थापित किया गया है कि ई-गवर्नेंस सरकार और सरकार के बीच सूचना और लेनदेन संबंधी आदान-प्रदान की दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बदलने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग है। राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका और स्थानीय स्तर की एजेंसियां, नागरिक और व्यवसाय, और सूचना की पहुंच और उपयोग के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना,यह संपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया को सुविधाजनक, कुशल, पारदर्शी, पूर्ण रूप से जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और उभरते विश्व नेता के रूप में, भारत जैसे देश में सरकारी और कॉर्पोरेट क्षेत्र दोनों में ई-गवर्नेंस बहुत जरूरी है। सरकारी कार्यों में ई-गवर्नेंस के सफल कार्यान्वयन के कुछ प्रभावी उदाहरणों में परियोजनाएँ शामिल हैं; ई-मित्र परियोजना (राजस्थान), ई-सेवा परियोजना (आंध्र प्रदेश), सीईटी (सामान्य प्रवेश परीक्षा).

साहित्य की समीक्षा:-

पूनम, प्रियंका, और पी. वर्मा, (2014): यह पेपर भारत के विभिन्न राज्यों में ई-गवर्नेंस की पहल पर प्रकाश डालता है, और इसमें चुनौतियां, ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की विफलताएं, सुशासन के समाधान आदि शामिल हैं। तथा बारह पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ई-गवर्नेंस के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर भी चर्चा की।

नागराजा के (2016) यह पेपर भारत में ई-गवर्नेंस के सुधारों: मुद्दे और चुनौतियों पर चर्चा करता है।

डॉ. मधु बाला और श्री दीपक वर्मा (2019) यह पेपर ई-गवर्नेंस के माध्यम से गवर्नेंस से सुशासन में सुधारों पर चर्चा करता है: भारत में अवधारणा, मॉडल, पहल और चुनौतियों की एक आलोचनात्मक समीक्षा।

समस्या का विधान:-

मौजूदा साहित्य रणनीतियों, नई प्रौद्योगिकियों, कार्यान्वयन तंत्र, मुद्दों और ग्रामीण सामाजिक सशक्तिकरण में ई-गवर्नेंस की भूमिका का वर्णन करता है। साहित्य ने विकास, हालिया पहल आदि पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। इसलिए, यह पेपर ई-गवर्नेंस के विकास और भूमिका पहल पर केंद्रित है।

उद्देश्य:-

सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ई-गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका का मूल्यांकन करना।

भारत में ग्रामीण सामाजिक सशक्तिकरण में ई-गवर्नेंस के विकास का अध्ययन करना।

ई-गवर्नेंस की भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालना।

शोध प्रविधी :-

यह पेपर केवल वर्णनात्मक है. इस अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों से डेटा एकत्र किया गया था। इस पेपर का मुख्य उद्देश्य भारत में ई-गवर्नेंस के बारे में इसके उद्देश्यों के साथ चर्चा करना है।

ई गवर्नेंस का विकास:-प्रभावी प्रशासन विकसित करने के लिए ई-गवर्नेंस सबसे अत्याधुनिक प्रयासों में से एक है। वर्तमान में, व्यावहारिक रूप से सभी विकसित, अविकसित और विकासशील देश अपने राष्ट्रीय विकास में सहायता के लिए ई-गवर्नेंस पहलुओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, आधुनिक दुनिया में इसका महत्व बहुत अधिक है। शासन प्रक्रियाओं में ई गवर्नेंस को एकीकृत करने से, शासन के क्षेत्र में "इलेक्ट्रॉनिक-गवर्नेंस "या "ई-गवर्नमेंट "के रूप में जाना जाने वाला एक नया प्रतिमान उभरा है। सरकार के भीतर, सरकार के बीच, राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका और स्थानीय स्तर पर, नागरिकों और व्यवसायों के बीच जानकारी तक भरोसेमंद पहुंच के संदर्भ में, ई-गवर्नेंस शासन प्रक्रिया की पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करता है। यह सूचना पहुंच और उपयोग के माध्यम से व्यवसायों को भी सशक्त बनाता है। नागरिकों को पारदर्शी, समतावादी और जवाबदेह सेवा वितरण तक पहुंच प्रदान करना इलेक्ट्रॉनिक सरकार का मुख्य लक्ष्य है। ई-गवर्नेंस का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग शासन की गुणवत्ता में सुधार और सुविधा प्रदान करते हुए ईमेल, वेबसाइट, एसएमएस कनेक्टिविटी और अन्य जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लें। लोगों की सेवा करने की सरकार की जबरदस्त क्षमता को उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग और शासित नागरिकों को कुशल और सस्ती सेवाएं, सूचना और ज्ञान प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस के उपयोग के माध्यम से महसूस किया जाता है। इसने राज्य और समाज, सरकार और लोगों, मानवीय संपर्क और शासन के बीच संबंध स्थापित किए।

स्मार्ट गवर्नेंस: ई गवर्नेंस के उपयोग से, हम स्मार्ट गवर्नेंस हासिल करने में सक्षम हैं जैसा कि नीचे उल्लिखित बिंदुओं में चर्चा की गई है।

एस (सरल): इसका अर्थ है जटिल प्रक्रियाओं से बचना और सरकारी नियमों और विनियमों को सरल बनाना, जिसके परिणामस्वरूप अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रशासन होगा।

एम (नैतिक): यह विभिन्न सरकारी संस्थानों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति के साथ-साथ राजनीतिक और प्रशासनिक संरचनाओं में एक नई प्रणाली की शुरूआत को संदर्भित करता है।

ए (जवाबदेह): कुशल सूचना प्रबंधन प्रणाली और अन्य प्रदर्शन निगरानी उपकरण बनाकर सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों को जवाबदेह बनाया जाए।

आर (उत्तरदायी) : प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से सिस्टम का प्रतिक्रिया समय तेज हो जाता है, जिससे यह अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाता है।

टी (पारदर्शी): सार्वजनिक डोमेन, जैसे वेबसाइटों या अन्य पोर्टलों के माध्यम से जानकारी प्रदान करना, सरकारी कार्यों और प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाता

भारत में ई-गवर्नेंस

1970 में भारत सरकार (भारत सरकार) ने इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की और उसके बाद, 1977 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की स्थापना करके ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया। 1980 तक अधिकांश सरकारी कार्यालय कंप्यूटर से सुसज्जित थे लेकिन उनकी भूमिका वर्ड प्रोसेसिंग तक ही सीमित थी। ई गवर्नेंस के आगमन के साथ, भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने में एक उल्लेखनीय कदम उठाया है,1987 में राष्ट्रीय उपग्रह विज्ञान आधारित नेटवर्क NICNET की शुरुआत की गई, 1990 तक NICNET ने इसका विस्तार किया राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक विस्तार।

कम्प्यूटरीकरण: पहले चरण में, पर्सनल कंप्यूटर की उपलब्धता के साथ, बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालय कंप्यूटर से सुसज्जित हो गए। कंप्यूटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग से शुरू हुआ, उसके तुरंत बाद डेटा प्रोसेसिंग शुरू हुआ।
नेटवर्किंग: इस चरण में, कुछ सरकारी संगठनों की कुछ इकाइयाँ एक हब के माध्यम से जुड़ गईं जिससे विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान और डेटा का प्रवाह हुआ।
ऑन-लाइन उपस्थिति: बढ़ती इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, वेब पर उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके परिणामस्वरूप सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं द्वारा वेबसाइटों का रखरखाव किया जाने लगा। आम तौर पर, इन वेब-पेजों/वेब-साइटों में संबंधित सरकारी संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना, संपर्क विवरण, रिपोर्ट और प्रकाशन, उद्देश्य और विज़न स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होती है।

ऑन-लाइन अन्तरक्रियाशीलता: ऑन-लाइन उपस्थिति का एक स्वाभाविक परिणाम सरकारी संस्थाओं और नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों आदि के बीच संचार चैनलों का खुलना था। इस स्तर पर मुख्य उद्देश्य सरकारी संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत इंटरफ़ेस के दायरे को कम करना था। डाउनलोड करने योग्य फॉर्म, निर्देश, अधिनियम और नियम आदि।

भारत के ग्रामीण सामाजिक सशक्तिकरण में ई-गवर्नेंस :-

भारत गांवों का देश है और वैश्विक प्रतिस्पर्धी शासन में समग्र समृद्धि, वृद्धि और विकास को बेहतर बनाने और बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) जमीनी स्तर से शुरू होने वाली विभिन्न परियोजनाओं की नींव रखना चाहती है। देश के भीतर दीर्घकालिक ई-गवर्नेंस के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। इस दिशा में हाल के कुछ वर्षों में कार्यान्वित ग्रामीण ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग ग्रामीण विकास के संबंधित क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के महत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। दरअसल, ग्रामीण भारत में शुरू की गई कुछ योजनाओं से सरकारी सेवाओं में काफी सुधार हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), महाराष्ट्र में वाराना परियोजना, ऑनलाइन आयकर, ऑनलाइन केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यूनिक आईडी और ई-ऑफिस जैसे उदाहरणों ने संबंधित क्षेत्रों के विकास को गति दी है और देश के आर्थिक विकास में योगदान दिया है।

ई गवर्नेंस से ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास :-भारत में पिछले दशक में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण हुआ है लेकिन अभी भी भारत में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिए जन-सेवाओं की समूची प्रणाली का रूपान्तरण करने के लिये भारत सरकार ने 2015 में 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम प्रारम्भ किया। इसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था बनाना है।

ई गवर्नेंस से ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षणिक विकास :-वर्तमान पेपर भौगोलिक क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने और ग्रामीण संकायों और विश्वविद्यालय के बीच उच्च संबंध बनाने के लिए ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप का वर्णन करता है। ई-गवर्नेंस वह है जो ज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करके शासन की व्यवस्था को बढ़ावा देता है, फिर मतदाताओं को उच्च सेवाएं प्रदान करता है। हम ई-गवर्नेंस द्वारा निर्देश के माध्यम से ग्रामीण युवाओं में रोजगार क्षमता में सुधार करेंगे। हमारा उद्देश्य ग्रामीण शिक्षा से संबंधित विभिन्न चुनौतियों को सामने लाना है जिन्हें ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक व्यक्तिगत भागीदारी द्वारा हल किया जा सकता है। ई-गवर्नेंस पारदर्शिता, त्वरित सूचना प्रदान करने, प्रसार और प्रशासन में सुविधा प्रदान कर सकता है।

ई-गवर्नेंस के मुद्दे और चुनौतियाँ:-इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एक सरकारी पहल है जो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करती है जो नागरिकों को सरकार से सीधे जुड़ने में मदद करते हैं। यह सरकारी योजनाओं, अखंडता, पारदर्शिता, लचीलेपन, सुरक्षा, सुशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। आईटी क्षेत्र में उछाल ने सरकार के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और बेहतर प्रशासन की पहल को जन्म दिया। 70 के दशक में ई-गवर्नेंस का विकास हुआ। अब यह आबादी की मदद के लिए पूरे देश में फैल रहा है। हालाँकि, ई-गवर्नेंस के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं।

तकनीकी मुद्देंसुरक्षा: सुरक्षा की कमी के कारण इंटरनेट लेनदेन एक बड़ी चिंता का विषय है। बीमा, बैंकिंग और उपयोगिता बिल भुगतान सभी ई-सरकारी प्लेटफार्मों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। सिस्टम में खामियां व्यक्ति को खराब अनुभव प्रदान करती हैं।

गोपनीयता: व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग एक और पहलू है जो चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है।

आर्थिक मुद्दें

लागत: ई-गवर्नेंस संचालन को लागू करना और सेवाओं को बनाए रखना बहुत महंगा है।

पुन: प्रयोज्य: सरकार द्वारा विकसित कोई भी मॉडल पुन: प्रयोज्य होना चाहिए। ई-गवर्नेंस एक राष्ट्रव्यापी योजना है जिसमें ऐसे सॉफ़्टवेयर या प्रोग्राम शामिल होने चाहिए जिनका उपयोग सरकारी एजेंसियां कर सकें

सामाजिक मुद्दे

पहुंच: ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग भाषा बाधाओं, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे आदि के कारण ऐसे पोर्टल तक नहीं पहुंच पाते हैं।

जागरूकता: जागरूक नागरिकों, संबंधित संस्थानों और सरकारी विभागों को जानकारी फैलाने और ई-सेवाओं को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी के रूप में लेनी चाहिए।

ई-गवर्नेंस की भविष्य की संभावनाएँ:-

सभी प्रकार की सरकारी सेवाएं प्रदान करना। इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सेवाएँ। यह सरकार को पारदर्शी, कुशल बनाएगा और ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। दूरस्थ नियंत्रण क्षेत्रों से नागरिकों तक पहुंचने के लिए, मोबाइल प्रशासन को प्राथमिकता दी जाएगी जो, लेन-देन और सूचनात्मक सरकार दोनों। प्रदान की गई सेवाएँ और मोबाइल में नवीनता प्रदान करना. सरकार. चल रही परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने का प्रयास करना।

निष्कर्ष:-

भारत जैसे विकासशील देशों में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सरकार (ई-सरकार) सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। ई गवर्नेंस में विकास के माध्यम से सरकार की विभिन्न पहलों ने सहस्राब्दी की शुरुआत से ई-गवर्नेंस को आगे बढ़ने में मदद की है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर बढ़ाने और डिजिटल इंडिया अभियान जैसी पहल से ग्रामीण लोगों को अधिक तकनीक प्रेमी बनाने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें एक बटन के एक क्लिक के माध्यम से भारत सरकार के साथ संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। तो संक्षेप में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तकनीकी प्रगति की मदद से डिजिटल साक्षरता बढ़ाना भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा।

****

संदर्भ:-

1. सिंहावलोकन", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ कंप्यूटर साइंस इश्यूज़, खंड.12, अंक: 12, संख्या 2।
2. वार्षिक रिपोर्ट। (2015) - "डिजिटल इंडिया के तहत ई-गवर्नेंस नीति पहल", इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सरकार। भारत की।
3. कुमार, सुनील (2016) - "ई-गवर्नेंस इन इंडिया, इंपीरियल जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, वॉल्यूम.2, अंक-2, अंक: 2454-1362
4. नागराजा के. (2018) भारत में ई-गवर्नेंस: मुद्दे और चुनौतियां, आईओएसआर जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस (आईओएसआर-जेईएफ) ई-आईएसएसएन: 2321-5933, पी-आईएसएसएन: 2321-5925.खंड 7, अंक 5
5. डॉ. मधु बाला और श्री दीपक वर्मा (2016) गवर्नेंस टू गुड गवर्नेंस थ्रू ई-गवर्नेंस: ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट,
6. भारत में मॉडल, पहल और चुनौतियां, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, वॉल्यूम। 8 अंक 10, अक्टूबर 2018, आईएसएसएन: 2249-055
7. अंबिका भाटिया, छवि किरण (2019) भारत में ई-गवर्नेंस पहल के माध्यम से ग्रामीण विकास, आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट (आईओएसआर-जेबीएम) ई-आईएसएसएन: 2278-487X, पी-आईएसएसएन: 2319-7668
8. www.deity.gov.in
9. https://en.wikipedia.org/wiki/E-governance
10. http://vikaspedia.in/e-governance/national-e-governance-plan/concept-of-e-governance
    www.thehansindia.com

11.http://indiaegovernance.blogspot.in/2008/03/e-governance-what-does-it-mean.html

महिला सशक्तिकरण में महिला समाज सुधारक :एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

अखिलेश कुमार
शोध छात्र
स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग
ति.मां.भा.वि.वि., भागलपुर 812007

सारांश :-*नारी समाज का धुरी है अगर टूट गया तो समाज भी टूट जाएगा। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों ने महिलाओं को गुलाम बनाया वे खुद गुलाम बन गये , जिन समाजों ने महिलाओं को प्रगति का अवसर दिया, उन्हें जाति के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सका। हालाँकि महिलाएँ तेजी से राजनीति के क्षेत्र में आ रही हैं , फिर भी उन्हें राजनीति में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, साहित्य, शोषण, आर्थिक-अधीनता, राजनीतिक सोच का अभाव आदि जैसे प्रमुख बाधाएँ हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने में रूकावट लाती हैं। महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना होगा। क्षेत्र की महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा और अंधविश्वास को दूर कर उनके लक्ष्य को बढ़ाना दायित्व है। महिलाओं को शोषण से मुक्त करके उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं में राजनीतिक सुरक्षा की आवश्यकता है। राजनीति शास्त्र से मेरा राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक और संस्कारित होना आवश्यक है,*

प्रस्तावना :-यह सर्वविदित है कि हमारे देश की जनसंख्या का आधा भाग महिलाएँ हैं। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया गया है क्योंकि महिला एवं पुरुष विकास रूपी गाड़ी के दो भाग हैं। महिलाओं राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं पति - पत्नी। मूलतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के कौशल संभव नहीं है। भारतीय महिलाओं ने देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रतिष्ठित स्थान बनाया है। आज महिला एक बेहतर रोजगार के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। राष्ट्र के विकास की नींव महिलाओं द्वारा देश में ही नहीं वरन् चरित्रों में भी अपने राष्ट्र का परचम लहराया है यह सब सार्थक प्रयास धीरे - धीरे संभव हो पाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं की स्थिति अत्यंत सोचनीय थी। वह शोषण और कुप्रथा जैज़ इंजीनियरों का शिकार था। समाज में कई प्रकार की रूढ़ियाँ, अंधविश्वासी प्रथाएँ थीं। महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी एवं पारंपरिक सोच स्त्री को पिता, पति या पुत्र का अनुयायी माना जाता था और उसे मुख्य रूप से घर की चारदीवारी तक सीमित रखा गया था। जिसका मुख्य कारण तात्कालिक सामाजिक विचार का पतन और एंग्री का अज्ञानता के बंधन में बंधना था। स्वतंत्रता के बाद से ही नारी के स्वरूप में तेजी से बदलाव आया है। जिस देश में नारी को घर की दहलीज से बाहर आँगन की आज्ञा नहीं थी , उसी देश में आज नारी पुरूषों के कंधे से कन्धा लंबा काम कर रही है। वह घर की चारदीवारी से मर्करी स्पेस तक जाता है। जिस देश की नारी जागृति , शिक्षा और गुणवत्ती होती है उस देश की दुनिया में सबसे ज्यादा विकास इसी विचार धारा को ध्यान में रखकर किया जाता है हमारे यहां साधकों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है, टैब किसी उसने यह भी सोचा कि वह नारी वर्ग के पुरूषों से भी आगे निकल जाएगी। शिक्षा ही वह साधन है जिसका उपयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है रोजगार और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

हमारा समाज मूल रूप से पुरूष प्रधान है। पहले महिलाओं के पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता न होने के कारण उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति एक पराश्रित से अधिक नहीं थी। जिसे हर कदम पर एक पुरुष के साये की जरूरत थी। वैसे तो आज़ादी के बाद भी महिला आंदोलन के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास जारी रहेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से महिला सशक्तिकरण के कार्य में तेजी आई है। महिलाओं के आत्म विश्वास में खोए रहते हैं विश्वास के सिद्धांत। वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करने लगी हैं। एक ओर जहाँ व राज्य की सरकारी महिला उद्घोषणा की नई - नई योजनाएँ केन्द्रित हैं। वहीं कई गैर सरकारी संगठन भी अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। महिला में ऐसी प्रबल भावना को शामिल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। कि वह अपने पुरातत्वविदों की सेना को बिना किसी खोज के सामने देखती है और हर चुनौती का सामना करती है।

भारत की महिला समाज सुधारक:-महिलाओं की भूमिकाओं को गुप्त रखने के विपरीत, हम लगातार पुरुषों द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों और सेवाओं को बढ़ावा देते हैं। हालाँकि, यह कहना सही है कि महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस पीढ़ी के पुरुषों का मानना है कि वे महिलाओं की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। यह धारणा बदल गई है और भारतीय महिलाएं अब पीछे नहीं रहीं। भारतीय महिलाएं सदैव सुंदरता, त्याग, करुणा और स्नेह की प्रतिमूर्ति रही हैं। प्रारंभिक युग से लेकर समकालीन दुनिया तक, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और विभिन्न व्यवसायों में खुद को अपनी प्रतिष्ठा के योग्य साबित किया है। उनके जबरदस्त समर्पण से शिक्षा और सामाजिक कार्य जैसे कई क्षेत्रों में महिलाओं की मुक्ति हुई और यह कई सामाजिक सुधारों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत लेकर आई है।

यहां हम भारत की महिला समाज सुधारकों के प्रेरक जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। इस लेख में प्रसिद्ध समाज सुधारक, स्वतंत्रता-पूर्व समाज सुधारक और स्वतंत्रता के बाद के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता या कार्यकर्ता शामिल हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने और भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उनके संघर्ष के प्रति उनके समर्पण के लिए ये महिलाएं हम सभी की ओर से खड़े होकर अभिनंदन की पात्र हैं।

मदर टेरेसा

मदर टेरेसा का नाम मानवता के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। महान मानवतावादी मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को भारत में हुआ था। जन्म के समय उन्हें एग्नेस नाम दिया गया था। उन्होंने गरीबों, निराश्रितों और वंचितों की सहायता और सेवा के लिए प्रथम मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनकी सेवा और लोगों की मदद करने के प्रति सच्ची निष्ठा के परिणामस्वरूप उन्हें इटली में पोप की उपाधि दी गई। हजारों परित्यक्त और अनाथ बच्चों को उनमें मुक्ति मिली। उसने दावा किया कि जरूरतमंदों और निराश्रितों की सहायता करना भगवान की सेवा करना है, करुणा और स्नेह को अपने उद्देश्य की आधारशिला बनाना है। उन्होंने वंचितों और बच्चों के कल्याण के प्रति अपनी दृढ़ता और प्रतिबद्धता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की।

सावित्रीबाई फुले

सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र के नायगांव गांव की मूल निवासी थीं। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वह नौ साल की थीं जब उन्होंने तेरह वर्षीय लड़के महादेव गोविंद रानाडे से शादी की, जो बाद में महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण समाज सुधारकों में से एक बने। सावित्रीबाई फुले ने शैक्षिक समानता और जातिगत भेदभाव के लिए पूरे जोश से संघर्ष किया और अहमदनगर के एक शिक्षण संस्थान में दाखिला लिया। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और जातिगत उत्पीड़न को ख़त्म करने में सावित्रीबाई फुले की प्रमुख भूमिका थी। उनके पति ज्योति राव फुले को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका समुदाय इसकी अनुमति नहीं देता था। सावित्रीबाई फुले एक दृढ़ समाज सुधारक थीं जिनका मानना था कि शिक्षा को समाज की बुराइयों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब एक लड़की के लिए शिक्षा संभव नहीं थी, तो उसने लिंग की बाधाओं के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष किया। अगस्त 1848 में, सावित्रीबाई फुले और ज्योति राव फुले ने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। 1851 तक, सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए तीन स्कूलों की स्थापना की। इन तीन स्कूलों ने अंततः अंग्रेजी शिक्षा के साथ-साथ छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी पेश किए। सावित्रीबाई फुले ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाते हुए महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अंततः इस पहल में सफल रहीं। 1897 में अपनी मृत्यु से पहले, सावित्रीबाई फुले ने जाति और लिंग भेदभाव को खत्म करने के लिए ज्योतिराव फुले के प्रयासों को जारी रखा। उन्होंने 'बालहत्या प्रतिबंधक गृह' की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या और बलात्कार पीड़ितों की डिलीवरी को रोकना था।

किरण बेदी

9 जून 1949 को जन्मी किरण बेदी समाज सुधारक बनने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून की छात्रा थीं। बाद में उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी पीएचडी थीसिस महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर केंद्रित थी। वह 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला बनीं। किरण एक एथलीट होने के साथ-साथ एक प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक भी हैं। वह पहली बार लोगों के ध्यान में तब आईं जब उनके सब-इंस्पेक्टर ने एक कार, जो प्रधानमंत्री कार्यालय की थी, को क्रेन से खींच लिया। इस घटना ने बेदी को एक शक्तिशाली महिला के रूप में पहचान दिलाई और उन्हें 'क्रेन बेदी' उपनाम मिला। एक आईपीएस अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई सुधार किये।

उन्होंने तिहाड़ जेल में ऐसे बदलाव लागू किए जिससे यह एक आदर्श जेल बन गई, जैसे कि खतरनाक अपराधियों को वहां अवैध गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए उन्हें अपनी बैरक उपलब्ध कराना। अन्य कैदियों को उनकी रिहाई के बाद रोजगार प्राप्त करने में मदद करने के लिए, बेदी ने योग्यता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थापना की। उन्होंने जेल में ओपन स्कूल केंद्र भी स्थापित किये। उन्होंने जेलों में योग/ध्यान कक्षाएं, एक नशा मुक्ति केंद्र, एक बैंक, एक बेकरी और बढ़ईगीरी और बुनाई इकाई जैसी कुछ छोटी विनिर्माण इकाइयाँ शुरू कीं। उनके प्रयासों से जेल के अंदर एक बैंक की भी स्थापना की गई। जेल एक बेकरी के साथ-साथ बुनाई और लकड़ी के काम सहित छोटी उत्पादन सुविधाओं से सुसज्जित थी। बिक्री राजस्व ने कैदियों के कल्याण कोष में योगदान दिया। उन्होंने सामाजिक सेवाओं में कई गैर सरकारी संगठनों, नागरिकों, महिला कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को शामिल किया। जैसे नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन जिसका उद्देश्य नशा करने वालों को आवासीय उपचार देना है और इंडिया विजन फाउंडेशन जिसका उद्देश्य पुलिस, जेल, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास में सुधार करना है।

भारत की महिला समाज सुधारक: स्वतंत्रता-पूर्व

ताराबाई शिंदे

1850 में जन्मी ताराबाई ने अपने लेखन में हिंदू विश्वास प्रणालियों को चुनौती दी और इस धारणा को खारिज कर दिया कि महिलाएं अनैतिक हैं या केवल पुरुषों द्वारा नियंत्रित होती हैं। उन्होंने हिंदू संस्कृति में गहराई से निहित पितृसत्तात्मक मूल्यों के विनाशकारी प्रभावों को उजागर किया। ताराबाई पहली नारीवादियों में से एक थीं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ लिंग और जाति असमानता को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय समाज में कई बदलावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं।

ताराबाई की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, श्री पुरुष तुलाना (1882), उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति थी। इसने पितृसत्तात्मक विचारों और लिंग संबंधी सामाजिक बाधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई और उनकी आलोचना की। उन्होंने जाति उत्पीड़न को संबोधित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह महिलाओं के जीवन में एक नियंत्रित कारक था। उन्होंने उत्पीड़न में धर्म की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उनके लेखन का उपयोग आधुनिक भारत में जाति उत्पीड़न और लैंगिक असमानता को परिभाषित करने के लिए किया गया था। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हुए, ताराबा शिंदे ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के साथ सत्यशोधक समाज की सह-स्थापना की। ताराबाई शिंदे ने ऊंची जाति की विधवाओं के पुनर्वास के लिए भी काम किया।

रमाबाई रानाडे

रमाबाई, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ने 19वीं सदी के मध्य में भारत के पुणे में एक गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की। 25 जनवरी 1862 को जन्मी रमाबाई का बचपन महाराष्ट्र के सांगली जिले में बीता। उनके पिता को उनकी शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उस समय लड़कियों का शिक्षित होना वर्जित था। हालाँकि, उनके पति, महादेव गोविंद रानाडे ने अपना अधिकांश समय उन्हें पढ़ाने में समर्पित किया। साधारण पृष्ठभूमि होने के बावजूद रमाबाई की सामाजिक क्षेत्र में कई उपलब्धियाँ हैं। उन्होंने पहली भारत महिला परिषद की शुरुआत की और भारत महिला सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता की। हालाँकि, उन्हें न्यायमूर्ति रानाडे से जबरदस्त समर्थन और प्रोत्साहन मिला। उन्होंने महिलाओं के हितों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह कैदियों में आत्म-सम्मान जगाने के लिए जेलों में महिला कक्षों का दौरा करती थीं। उन्होंने अकाल से पीड़ित लोगों के लिए राहत की व्यवस्था की और उनकी देखभाल की और उनकी मदद की। उन्हें सेवा सदन का अध्यक्ष भी बनाया गया. संस्था का उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न जीवन कौशल सिखाना था। सेवा सदन के अंतर्गत एक महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं तीन छात्रावास विकसित किये गये। यहां रमाबाई रानाडे ने गरीब महिलाओं और विधवाओं की मदद की और उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर होने के लिए प्रशिक्षित किया। उनके प्रयासों से संस्था महाराष्ट्र में आठ शाखाओं तक फैल गई।

फातिमा शेख

भारत की महिला समाज सुधारकों में फातिमा बेगम शेख के बारे में हमारी इतिहास की किताबों में बहुत कम जानकारी है। शेख पुणे की मूल निवासी थीं, उनका जन्म 9 जनवरी 1831 को हुआ था। उन्होंने समाज सुधारकों के रूप में ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब फुले दंपत्ति को घर छोड़ने के लिए कहा गया तो फातिमा और उनके पति उस्मान ने उन्हें आश्रय दिया। फुले दंपत्ति को आश्रय के रूप में जो घर दिया गया वह भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल बन गया। 1848 में फातिमा शेख ने फुले परिवार के साथ मिलकर भारत के पहले गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। फातिमा शेख लिंग की बाधाओं को तोड़कर भारत में पढ़ाने वाली पहली मुस्लिम महिला बनीं। वह उन महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं जिन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ा और पूर्वाग्रह को चुनौती दी। शेख भारत के नारीवादी आंदोलन की नेता भी थीं। भारत के समाज के विकास में शेख के योगदान के साथ महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच के लिए उनका काम। फातिमा समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थीं। उन्होंने निचली जातियों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया।

स्वर्णकुमारी देवी

स्वर्णकुमारी देवी एक बंगाली लेखिका, कवयित्री, सामाजिक कार्यकर्ता और सखी समिति की संस्थापक हैं। उनका जन्म 28 अगस्त 1855 को हुआ था। उन्होंने 1896 में सखी समिति की शुरुआत की। संगठन ने वंचित महिलाओं की सहायता के लिए काम किया। सखी समिति ने विधवाओं और अनाथ बच्चों के पालन-पोषण की पूरी जिम्मेदारी ली। इसने उन्हें शिक्षित करने और उन्हें आवश्यक कौशल सिखाकर आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्थिर बनाने का ध्यान रखा। समिति संस्था के लिए धन जुटाने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करती थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में भाग लिया। 1929 में, वह बांगीय साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए चुनी गईं। एक लेखिका के रूप में उनकी लोकप्रियता के बावजूद उनका काम बदनाम हो गया। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से जगततारिणी स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली बंगाली महिला लेखिका थीं। अपनी विरासत

पर गर्व करने वाले देश में सामाजिक सुधारों में स्वर्णकुमारी देवी का योगदान राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रतिबिंबित नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला प्रतिनिधि स्वर्णकुमारी और कादम्बिनी गांगुली थीं। विशेषकर महिलाओं के बीच वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए, साथ ही एक लेखिका के रूप में सफलता पाने वाली बंगाल की पहली महिलाओं में से एक होने के लिए उन्हें भारतीय इतिहास कांग्रेस से मान्यता मिली है।

कादंबिनी गांगुली

भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला कादम्बिनी बोस गांगुली थीं। वह 1884 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला छात्रा थीं। बाद में उन्होंने स्कॉटलैंड में अपना प्रशिक्षण पूरा किया और भारत में चिकित्सा अभ्यास शुरू किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला वक्ता के रूप में भी काम किया। 18 जुलाई 1861 को भागलपुर में जन्मी, उनका बचपन बंगाल पुनर्जागरण से काफी प्रभावित था। उनके पिता, ब्रज किशोर बसु, ब्रह्म समाज के एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे। 1863 में एक प्रधानाध्यापक के रूप में, उन्होंने भागलपुर महिला समिति की सह-स्थापना की, जो महिलाओं की मुक्ति के लिए जिम्मेदार पहला संगठन था। युवा कादम्बिनी ने अपनी औपचारिक शिक्षा बंगा महिला विद्यालय में पूरी की, जिसे बाद में बेथ्यून स्कूल कहा गया। वह बेथ्यून स्कूल से कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठने वाली पहली उम्मीदवार थीं और 1878 की शुरुआत में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया।

भगिनी निवेदिता

सिस्टर निवेदिता एक भारतीय समाज सुधारक और महिला राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। 28 अक्टूबर 1867 को एक ईसाई महिला मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का जन्म हुआ, उन्होंने "निवेदिता" नाम अपनाया, जो स्वामी विवेकानन्द ने दिया था। वह ब्रिटिश शासन की मुखर विरोधी थीं और भारतीय जनता के प्रतिरोध का समर्थन करती थीं। उन्होंने शैक्षिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए एक स्कूल शुरू किया। वह घर-घर जाकर महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करती थीं। उनकी शिष्याएँ न केवल लड़कियाँ थीं, बल्कि वयस्क महिलाएँ और विधवाएँ भी थीं। उन्होंने अपनी सारी कमाई अपने लेखन और व्याख्यानों पर खर्च कर दी। उन्होंने जाति की परवाह किए बिना सभी महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। प्लेग महामारी के दौरान उन्होंने मरीजों के लिए लगातार काम किया। सिस्टर निवेदिता ने कूड़ा-कचरा भी साफ किया और युवाओं को स्वयंसेवक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोगों के बीच निवारक उपायों के लिए जागरूकता भी बढ़ाई।

पंडिता रमाबाई

वर्तमान कर्नाटक में जन्मी पंडिता रमाबाई संस्कृत विद्वान के रूप में पंडिता की उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनीं। उनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को हुआ था। उनके प्रगतिशील माता-पिता ने पारंपरिक सामाजिक मानदंडों को खारिज कर दिया था जो लड़कियों के लिए शिक्षा को प्रतिबंधित करते थे। पंडिता रमाबाई का जन्म एक धनी और विशेषाधिकार प्राप्त परिवार में हुआ था। रमाबाई ने अपना पूरा जीवन एक शिक्षिका और समाज सुधारक के रूप में बिताया। उन्होंने अपने पिता से संस्कृत सीखी। बाद में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया।रमाबाई को आज एक समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने कई संकटग्रस्त महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह के खिलाफ काम करने और इसके पीड़ितों को बचाने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज, हिंदू सुधारकों और ईसा मसीह सभी का समाज के लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ा। उन्हें एक महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में माना जाता है जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं को डॉक्टर बनने के लिए चिकित्सा शिक्षा का बीड़ा उठाया। उनका प्रभाव ऐसा था कि उनकी आवाज महारानी विक्टोरिया तक पहुंची और महिला चिकित्सा आंदोलन की शुरुआत लेडी डफरिन ने की। भाषण देकर और अनुयायियों का एक बड़ा नेटवर्क बनाकर, रमाबाई बाल विधवाओं के लिए एक भारतीय स्कूल शुरू करने के लिए लगभग 60,000 रुपये इकट्ठा करने में सक्षम थीं। उन्होंने एमजी रानाडे सहित कई हिंदू सुधारकों की मदद से 1889 में पुणे में बाल विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की। मुक्ति मिशन वह नाम था जिसे उन्होंने बाद में दिया। 1896 में भीषण अकाल के बीच उन्होंने हजारों जरूरतमंदों को बचाया और उनकी मदद की। उन्होंने बाइबिल का मूल हिब्रू और ग्रीक से मराठी भाषा में अनुवाद किया। वह एक सुशिक्षित महिला थीं जो सात भाषाएँ बोलती थीं।

चंद्रमुखी बसु

कादियाम्बिनी गांगुली के साथ, चंद्रमुखी बसु को इतिहास में ब्रिटिश भारत की पहली महिला स्नातक के रूप में याद किया जाता है। वह ब्रिटिश शासन के दौरान पहली दो महिला स्नातकों में से एक थीं। उनका जन्म 1860 में देहरादून में हुआ था। यह उस समय एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि लैंगिक भेदभाव अपने चरम पर था और लड़कियों का शिक्षित होना अभी भी एक दूर की संभावना थी। अपनी उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कॉलेज प्रशासन से भी कड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री भी प्राप्त की और उसके बाद, वह उस अवधि में इसे प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला थीं। उन्होंने 1886 में

कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, और जब वह कॉलेज अध्यक्ष के पद तक पहुंचीं, तो उन्होंने एक बार फिर कॉलेज का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनकर खुद को एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। 1891 में स्वास्थ्य समस्या के कारण वह प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हो गईं। उनकी शैक्षणिक यात्रा ने अन्य महिला छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित किया है।

उषा मेहता

उषा मेहता, जिनका जन्म 25 मार्च 1920 को हुआ था, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीजी की समर्थक थीं। 8 साल की उम्र में उषा ने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध मार्च में हिस्सा लिया था। उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को तब देखा था जब वह एक छोटी लड़की थीं, और वह उनसे लंबे समय तक खादी पहनने के लिए प्रेरित हुईं। उन्होंने कानून की डिग्री के लिए पढ़ाई शुरू की, लेकिन 1942 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी ताकि वह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो सकें। पुलिस ने गुप्त कांग्रेस रेडियो, जिसे वरिष्ठ नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा सहायता प्राप्त थी, के साथ संबंधों के लिए उषा मेहता को हिरासत में लिया और यरवदा जेल में कैद कर दिया। उस समय अंतरिम सरकार के गृह मंत्री मोरारजी देसाई ने उनकी रिहाई का आदेश दिया, जिससे वह बंबई में रिहा होने वाली पहली राजनीतिक कैदी बन गईं। उन्होंने आजादी के बाद गांधी के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया और 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मेहता ने आजादी के बाद अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और पीएचडी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से. वह गांधी की विचारधारा और विचार की विशेषज्ञ बन गईं। उन्होंने गुजराती और अंग्रेजी में कई निबंध और किताबें लिखीं। मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन की प्रत्येक वर्षगांठ में भाग लिया। 11 अगस्त 2000 को 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।

भारत की महिला समाज सुधारक: स्वतंत्रता के बाद

अरुणा रॉय:-अरुणा रॉय का जन्म 06 जून 1946 को चेन्नई में हुआ था। उनका पालन-पोषण एक धर्मनिरपेक्ष पारिवारिक माहौल में हुआ और उन्होंने दिल्ली में कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। अरुणा कई वर्षों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में सिविल सेवक रहीं, लेकिन नौकरशाहों और सरकारी अधिकारियों के कामकाज को देखकर जल्द ही उनका सार्वजनिक सेवा से मोहभंग हो गया। वह राजस्थान के बेयरफुट कॉलेज में शामिल हो गईं और ग्रामीणों के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिया। जब वह बेयरफुट कॉलेज में थीं, तब संस्था ने संजीत रॉय बनाम राजस्थान सरकार मामला शुरू किया। यह श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने के खिलाफ लड़ना था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मजदूरों के हक में फैसला सुनाया.

उन्होंने सरकारी पारदर्शिता (सूचना का अधिकार), काम का अधिकार (नरेगा), और भोजन का अधिकार की वकालत जैसे कई प्रमुख आंदोलनों और अभियानों पर भी काम किया। उन्होंने व्हिसिलब्लोअर संरक्षण कानून और शिकायत निवारण अधिनियम के लिए भी अभियान चलाया। उन्हें 2016 में मैकगिल विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रियल में वैश्विक प्रशासन में अभ्यास के प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। इससे पहले, उन्होंने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सलाहकार के रूप में भी काम किया था। अरुणा ने समाज में अपने असंख्य योगदानों के लिए 2000 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। 2010 में लोक प्रशासन, शिक्षा और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा, उन्हें टाइम पत्रिका द्वारा "दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों" में से एक के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया था।

मेधा पाटकर मेधा पाटकर भारत की सबसे प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं। 1 दिसंबर 1954 को जन्मी, वह नर्मदा बचाओ आंदोलन और पीपुल्स मूवमेंट्स के राष्ट्रीय गठबंधन की संस्थापक सदस्य हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) 1992 से जीवनशाला स्कूल चलाता है और इस आंदोलन के माध्यम से मेधा पाटकर स्वास्थ्य, भोजन और पीडीएस का अधिकार, पुनर्वास, रोजगार गारंटी और पर्यावरण की सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। 1992 में, उन्होंने नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट की स्थापना की, जो सामाजिक संगठनों का एक प्रगतिशील समूह है जो वैश्वीकरण विरोधी, परमाणु विरोधी आंदोलन, चुनाव सुधार आदि पर काम करता है। पाटकर बांधों पर विश्व आयोग के आयुक्त थे, जो पहला स्वतंत्र वैश्विक था। सलाहकार निकाय। इसने मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बांध परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में विकास परिणामों में सुधार के लिए सिफारिशों के साथ 2000 में एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ जारी किया। पाटकर ने बांधों के विकल्प खोजने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम किया। जब 2003-04 में मुंबई में बड़े पैमाने पर झुग्गी-झोपड़ी विध्वंस अभियान चलाया गया था, तब मेधा पाटकर ने 2005 में स्ट्रॉन्ग पीपल्स मूवमेंट और घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन की सह-स्थापना की थी। यह आंदोलन झुग्गीवासियों और किसान समुदायों को उनके घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता, बिजली, पानी और आजीविका के साथ वापस। मेधा पाटकर ने पश्चिम बंगाल की भूमि अधिग्रहण नीति का अनुपालन न करने के कारण सिंगुर में टाटा ऑटोमोबाइल विनिर्माण

संयंत्र के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया। आख़िरकार टाटा को वहां विनिर्माण सुविधा बनाने की अपनी योजना से पीछे हटना पड़ा। उन्होंने 2007 में नंदीग्राम भूमि हड़प प्रतिरोध का विरोध किया। उन्होंने बुद्धिजीवियों का समर्थन हासिल किया, दिवाली पर उपवास रखा, बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया और विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे को उठाया। आख़िरकार स्थानीय लोगों के पक्ष में लड़ाई जीत ली गई। उन्होंने लवासा शहर परियोजना का विरोध किया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने 500 से अधिक झुग्गीवासियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और मुंबई के गोलीबार इलाके में शहर की झुग्गियों के विध्वंस के खिलाफ अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया।

इरोम चानू शर्मिला

इरोम चानू शर्मिला एक कवयित्री और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। 14 मार्च 1972 को एक गरीब परिवार में जन्मी, उन्हें हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह दस मालोमाइट्स की हत्याओं से इतनी गहराई से प्रभावित हुई कि वह मजबूर महसूस करने लगी। उन्होंने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) को निरस्त करने की मांग के लिए 5 नवंबर 2000 को अपनी 16 साल लंबी भूख हड़ताल शुरू की। AFSPA भारतीय सशस्त्र बलों को बिना वारंट के तलाशी लेने की अनुमति देता है। उनकी भूख हड़ताल दुनिया भर में एक चलन बन गई है और इसने दुनिया भर में समर्पित महिलाओं को मानवाधिकारों के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया है। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से मशहूर इरोम शर्मिला ने 5,757 दिनों के उपवास के बाद आखिरकार अपनी साल भर की भूख हड़ताल खत्म कर दी। उनके अनशन से कई युवा कार्यकर्ता प्रेरित हुए हैं.

प्रमिला नेसारगी

प्रमिला नेसारगी का जन्म 25 मार्च 1938 को हुआ था। वह एक महिला अधिकार कार्यकर्ता और एक अनुभवी वकील हैं। नेसारगी भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समान नागरिक संहिता का समर्थन करती हैं। कानूनों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उन्हें कर्नाटक बार काउंसिल के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में ताज पहनाया है। प्रमिला की प्रतिष्ठा एक स्वतंत्र विचारधारा वाली वकील के रूप में है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती है। नेसारगी ने बाल श्रम, घर और किराया नियंत्रण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और कैदियों की पीड़ा के संबंध में कर्नाटक सरकार और भारत सरकार को कई रिपोर्ट प्रस्तावित और प्रस्तुत की हैं। वह उन लोगों के लिए संवेदनशील मामले लड़ती हैं जो अन्याय के कारण पीड़ित हैं। दुर्भाग्यशाली लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रमिला नेसारगी कभी भी शक्तिशाली लोगों से लड़ने से पीछे नहीं हटीं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को एकजुट करने के लिए भी आवाज उठाई है. इसके अतिरिक्त, इस भारतीय वकील ने धार्मिक कानूनों में महिलाओं के लिए हानिकारक विभिन्न कानूनों में बदलाव का आग्रह किया। वह साम्राज्ञी स्व उद्योग ट्रस्ट की प्रमुख हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी महिलाओं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कौशल को बढ़ाना है।

अमला अक्किनेनी

अमला अक्किनेनी दक्षिण भारत की एक फिल्म अभिनेत्री हैं, जिनकी शादी तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी से हुई है। वह एक भरतनाट्यम नृत्यांगना, पशु कल्याण कार्यकर्ता और फिल्म निर्देशक भी हैं। उन्हें भारत की बहु-प्रतिभाशाली सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाता है, उनका जन्म 12 सितंबर 1967 को हुआ था। अमला अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया हैदराबाद में निदेशक भी हैं। भारत में पशु अधिकारों के संरक्षण के लिए, उन्होंने ब्लू क्रॉस ऑफ़ हैदराबाद की सह-स्थापना की, जो जानवरों के कल्याण पर केंद्रित एक गैर-लाभकारी संगठन है। अमला की अध्यक्षता में यह संगठन 29 वर्षों से काम कर रहा है। ब्लू क्रॉस ने 533,000 से अधिक जानवरों को पशु जन्म नियंत्रण, एंटी-रेबीज टीके, गोद लेने आदि में मदद की है। संगठन जागरूकता भी फैलाता है और पशु जन्म नियंत्रण, आवारा जानवरों के लिए प्राथमिक चिकित्सा और प्रति देखभाल के संबंध में प्रशिक्षण भी आयोजित करता है। पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके काम के लिए उन्हें जीव दया पुरस्कार मिला 2012 में, उन्हें पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके काम के लिए जीव दया पुरस्कार मिला। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने यह पुरस्कार प्रदान किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया।

लक्ष्मी अग्रवाल

भारत की सबसे प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक, लक्ष्मी बहादुर होने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 1 जून 1990 को हुआ था। उनके साथ एक दुखद घटना घटी जब एक तरफा प्रेमी नईम खान ने उनके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। तेजाब से उसकी आंखों की रोशनी भी खराब हो गई। तमाम बाधाओं के बावजूद, उनकी अनुकरणीय भक्ति ने उन्हें भारत में एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बना दिया है। उन्होंने एसिड हमलों के लिए कानूनों में सुधार और खुले बाजार में एसिड की बिक्री के नियमन या पूर्ण प्रतिबंध के लिए 2006 में एक जनहित याचिका (जनहित याचिका) दायर की। जनहित याचिका में मुआवजे/मुआवजे की भी मांग की गई। उन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए त्वरित न्याय और पुनर्वास की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। छांव

फाउंडेशन की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह फाउंडेशन एसिड अटैक पीड़ितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए काम करता है। यह उन्हें हमले के बाद चिकित्सा और कानूनी सहायता, पुनर्वास, परामर्श और रोजगार प्रदान करता है। उन्होंने एसिड अटैक पीड़ितों द्वारा संचालित एक कैफे शीरोज़ हैंगआउट भी शुरू किया। लक्ष्मी एसिड अटैक विरोधी आंदोलन में शामिल हुई। लक्ष्मी ने सैकड़ों एसिड अटैक पीड़ितों की मदद की। उनके फाउंडेशन ने कानूनी सहायता, पुनर्वास और उपचार प्रदान किया। वह इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी हैं।

शाहीन मिस्त्री

16 मार्च 1971 को जन्मीं आकांक्षा फाउंडेशन (एक गैर-लाभकारी पहल) की संस्थापक शाहीन मिस्त्री भारत की सबसे प्रमुख महिला समाज सुधारकों में से एक हैं। मिस्त्री का जन्म मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था लेकिन उनका पालन-पोषण विदेश में हुआ। भारत लौटने के बाद, उन्होंने देखा कि कैसे मुंबई की मलिन बस्तियों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्राथमिक विद्यालयों का अवसर नहीं मिला। 1989 में, उन्होंने बच्चों को उनके शैक्षणिक कौशल में मदद करने के लिए आकांक्षा केंद्र बनाया। यह केंद्र बाद में आकांक्षा फाउंडेशन के रूप में विकसित हुआ। यह गैर-लाभकारी पहल है जो वंचितों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने का काम करती है। आज, 26 स्कूलों के साथ फाउंडेशन के स्कूल प्रोजेक्ट मॉडल के तहत चौदह हजार से अधिक बच्चे हैं। शाहीन ने प्रत्येक भारतीय बच्चे के ज्ञान और कौशल को विकसित करने और भारत में शैक्षिक असमानता को खत्म करने के लिए 2008 में टीच फॉर इंडिया की स्थापना की। फाउंडेशन भारत में नेताओं की भर्ती करने और वंचितों को पढ़ाने का काम करता है। यह टीच फॉर इंडिया के साथ दो साल की फ़ेलोशिप प्रदान करता है जहाँ स्वयंसेवक बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना समय देते हैं।

मानसी प्रधान

मानसी प्रधान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कार्यकर्ता, लेखिका और प्रचारक के रूप में काम करती हैं। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1962 को ओडिशा में हुआ था। भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से निपटने के लिए उन्होंने ऑनर फॉर वूमेन नेशनल कैंपेन की स्थापना की। उनके अभियान ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा मचा दिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के अलावा, मानसी ने न्यायिक प्रणाली में सुधार, शराबबंदी और महिला सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा की मांग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने 1987 में OYSS वुमेन की स्थापना की। यह संगठन महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने के लिए काम करता है। यह महिलाओं को महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, कानूनी जागरूकता और बहुत कुछ प्रदान करता है। संगठन विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है।

अरुंधति रॉय

अरुंधति रॉय एक भारतीय उपन्यासकार और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो पर्यावरण और मानवाधिकारों को बढ़ावा देती हैं। उनका जन्म 24 नवंबर 1961 को शिलांग, मेघालय में हुआ था। उनकी पहली पुस्तक, "द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स" 1997 में प्रकाशित हुई और फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार सहित प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। यह किसी भारतीय लेखक की सबसे अधिक बिकने वाली कृति भी थी। 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की रिलीज के बाद से, रॉय ने ज्यादातर राजनीतिक कार्रवाई और नॉनफिक्शन पर ध्यान केंद्रित किया है। वह वैश्वीकरण और नव-साम्राज्यवाद के साथ-साथ अमेरिकी विदेश नीति की भी मुखर विरोधी हैं। वह अमेरिका के इस दावे को खारिज करती है कि यह एक शांतिपूर्ण और स्वतंत्र देश है, चीन और 19 तीसरी दुनिया के देशों को "वे देश जिनके साथ अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से युद्ध कर रहा है और बमबारी कर रहा है" के साथ-साथ तालिबान आंदोलन के लिए पूर्व अमेरिकी समर्थन का हवाला देकर उत्तरी गठबंधन. वह भारत की परमाणु हथियार नीतियों के साथ-साथ इसके औद्योगीकरण और आर्थिक विकास से असहमत हैं। कश्मीरी आजादी के समर्थन और मुंबई हमलों पर टिप्पणी के कारण उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। रॉय ने नर्मदा बचाओ आंदोलन (नर्मदा बांध परियोजना) में मेधा पाटकर का भी समर्थन किया है। नवंबर 2010 में, रॉय और पांच अन्य को दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। अपनी विवादित टिप्पणियों के अलावा वह अपनी मुखर वकालत और अपनी लिखी किताबों के लिए भी हमेशा याद की जाएंगी 2003 में ग्लोबल एक्सचेंज ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स में, उन्हें शांति की महिला होने के लिए "विशेष पहचान" मिली। हिंसा विरोधी आंदोलनों और सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी के लिए उन्हें मई 2004 में सिडनी शांति पुरस्कार मिला। जनवरी 2006 में उन्हें अपने साहित्यिक कार्यों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2014 में, उन्हें टाइम्स 100 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था।

निष्कर्ष

पिछली दो शताब्दियों में महिला समाज सुधारकों द्वारा सामाजिक बुराइयों को चुनौती देते हुए भारत में कई मानवाधिकार

प्रगतियां देखी गई हैं। भारतीय महिलाओं ने देश की सभी महिला निवासियों की ओर से समाज में बहुत योगदान दिया है, जो अभी भी लंबे समय से चले आ रहे कर्मकांडीय सुधारों की बेड़ियों के अधीन हैं। महिलाओं ने कम उम्र में विवाह, बहुविवाह, महिलाओं के लिए समान वेतन और समान अधिकारों के खिलाफ पैरवी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्य सामाजिक चेतनाओं के अलावा, वे महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने और कामकाजी परिस्थितियों की उन्नति में सक्रिय रहे हैं। कई महिलाओं ने महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार किए हैं, और परिणामस्वरूप, वे समाज में अन्य महिलाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में काम करती हैं।

हालाँकि हमने केवल बीस कार्यकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ असमानता के खिलाफ महत्वपूर्ण रूप से लड़ाई लड़ी, कई अन्य महिला प्रमुख योगदानकर्ता भी हैं, जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र से कई संकटग्रस्त महिलाओं को प्रेरित किया, लेकिन उन्हें उचित मान्यता नहीं मिली। समाज महिलाओं का अंग अनिवार्य है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र के साथ - साथ राजनीति के क्षेत्र में उनकी अहम भूमिका है। जैसे - जैसे शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में राजनीति के प्रति जागरूकता आ रही है। शिक्षा का प्रचार - प्रसार और सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में महिलाएं राजनीति में आगे आ रही हैं और प्रचार, जुड़ाव, स्थानीय शासन में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। इसलिए महिलाओ को अव्यवस्थित और अर्थशास्त्री बनाना पर ही समाज बनाना होगा। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है ताकि उनके अधिकार को समझकर समाज एवं राष्ट्र का विकास किया जा सके।

****

संदर्भ सूची -

1. सत्येन्द्र नाथ मजूमदार , ब्लूटूथ चरित्र , 1971 में प्रकाशित।
2. शरदचन्द्र चक्रवती , विश्वनाथ जी के संघ में , प्रभाव प्रकाशन , दिल्ली।
3. आर . सी . मजूमदार , द हिस्टर एण्ड कल्चर ऑफ द इण्डियन पिपुल , प्रकाशित तवस जी 2 दक्क मकपजपवद 1981 एन च .31
4. ओम प्रकाश , हिंदू विवाह , चतुर्थ संस्करण , विश्वविद्यालय प्रकाशन , नई दिल्ली , 1997, पृष्ठ 182-2001
5. प्रेम सहायता , हिंदू विवाह संस्कार , प्रकाशन प्रकाशन , प्रथम संस्करण 1995
6. राजेंद्र प्रसाद गुप्त , स्वामी विवेकानंद , दार्शनिक और विचार , प्रकाशक , दिल्ली 1971।
7. स्वामी विवेकानंद , विवेकानंद साहित्य।
8. एम . के . गांधी , मेरे सपनों का भारत।
9. सागं . रानी , आशू (1999) महिला विकास कार्यक्रम , ईनाश्री पब्लिशर्स , जयपुर , पृष्ठ सं। 19
10. विलायन् . कुलश्रेष्ठ , लक्ष्मी रानी , कुरूक्षेत्र , अक्टूबर - रविवार 1997, पृष्ठ सं। 82
11. के . डी . ग्रोएड , सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया ए क्रिटिक (प्रोस्टीट्यूशन इन इंडिया), 1995, पी। सं . 185
12. वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत -2005, प्रकाशन विभाग , सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय , भारत सरकार , प्रधान। सं . 53
13. हतानुंस ; कृद्ध सम्मबजनतम व इंडपअमतेम व इग्दवूसमखामए कमसीपए।बंकमउपब चनिसपबंजपवदए 1985 एचएन 72
14. थमेज़ ; श्रद्धा तमेमंतबी पद मकनबंजपवदए कमसीप चटपजपबम भंसस - बवए 1963 ए च न 86

जनजाति समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिकाओं का अध्ययन (विशेष संदर्भ: गडचिरोली, महाराष्ट्र)

सचिन बंडूजी तिखट

शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा. महाराष्ट्र

सारांश:- शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। शिक्षा जीवन के दरवाजे की कुंजी है जिसका लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना तथा अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करना है। प्रस्तुत शोध पत्र में गडचिरोली जिले में जनजाति समुदाय की सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन के उद्देश्य में गडचिरोली जिले के जनजाति समुदायों की शैक्षणिक स्थिति, जनजातियों के शिक्षा में सुधार के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम, जनजाति समुदाय की स्थिति में हो रहे परिवर्तन पर शिक्षा का प्रभाव तथा शिक्षा के लाभ एवं जनजातियों के शिक्षा के आने वाली बाधाओं का अध्ययन करना है। शोध प्रविधि में द्वितीय स्रोतों का उपयोग किया गया है तथा यह अध्ययन महाराष्ट्र राज्य के गडचिरोली जिले तक ही सीमित है। प्रस्तुत शोध कार्य से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ की, गडचिरोली जिले में जनजाति समुदाय के शैक्षणिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। समुदाय शिक्षा के महत्व को समझने लगा है उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। जनजातियों की शिक्षा के सुधार के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाएं चलाई जा रही है और समुदाय भी इन शैक्षिक योजनाओं का लाभ उठा रही है। शिक्षा के माध्यम से समुदाय में परिवर्तन हो रहे हैं उनमें रोजगार कौशल निर्माण हो रहे है, महिलाओं को अधिकार मिल रहे है, जनजातीय लोगों का राजनीति में सहभागिता बढ़ रही है तथा बाल विवाह जैसी क्रूर प्रथाओं को खत्म करने में सफल हो रहे है।

मूलशब्द – शिक्षा, सशक्तिकरण, सहसंबंध, जनजाति विकास।

प्रस्तावना :-जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बढ़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवा स्थान हैं। विश्व की कुल जनजाति जनसंख्या में से 23% भारत में निवास करती हैं। भारत में अनेक संस्कृति, धर्म, जाती, प्रजाती एवं जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन विविधताओं का एक कारण भारत की भौगोलिक विशेषता कहीं जा सकती है। भारत में अनेक जनजातियाँ निवास करती है जो आज भी सभ्यता से बहुत दूर है। क्योंकि यह लोग अत्यधिक पिछड़े हुए हैं, उन्हें जनजाति, आदिवासी पहाड़ी या वन्यजाती आदि नामों से जाना जाता है। गढ़चिरोली जिले का निर्माण 26 अगस्त 1982 को चंद्रपुर जिले से अलग करके किया गया। यह जिला महाराष्ट्र राज्य के उत्तर-पूर्व में स्थित है और इसकी सीमा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्यों से लगती है तथा भारत सरकार द्वारा जिले को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है। यह जिला लगभग 76 प्रतिशत वनों से घिरा हुआ है, इसलिए नक्सली समर्थक घने जंगलों में शरण लेते हैं। जिले की कुल आबादी का 38.7 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है इस वजह से जिले को महाराष्ट्र में एक जनजाति जिला माना जाता है।

वर्तमान में जनजातियों का सामाजिक सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। गडचिरोली स्थित जनजाति समाज को आज भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जनजाति समुदाय की आजीविका जंगल पर आधारित होती है अभी तक शिकार, संग्रहण, स्थानांतरित खेती के अपने पारंपरिक अधिकारों का आनंद लिया। लेकिन वन संरक्षण के नाम पर आधुनिक सरकार के आगमन ने एसटी के आंदोलन को रोक दिया जिससे अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो रहा है। इसके अलावा, उनकी ज़मीनें विभिन्न सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र द्वारा मामूली मुआवजे के बदले ले ली जाती हैं। इनमें शिक्षा का स्तर काफी काम होने

के कारण शोषण का सामना करना पड़ता है उनकी मासूमियत के कारण शोषण होता रहता है और उन्हें गरीबी के चक्र में धकेला जाता है। वे प्राचीन काल से जंगलों में रहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रतिबंध के कारण कई लोग बंधुआ मजदूर बन गए और शोषण का शिकार हो रहे हैं।

सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ एवं परिभाषा

सामाजिक सशक्तिकरण परिवर्तन लाने और बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वायत्तता,शक्ति, आत्मविश्वास और अन्य आवश्यक साधनों के निर्माण की प्रक्रिया है। सामाजिक सशक्तिकरण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर होता है। किसी व्यक्ति के लिए, सामाजिक सशक्तिकरण व्यक्तिगत विकल्प चुनने के लिए आंतरिक और बाहरी संसाधनों को प्राप्त करने जैसा लग सकता है, जैसे कि क्या खाना है, कहाँ रहना है और अन्य निर्णय जो हमें अपने पर्यावरण और जीवन शैली को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं।

उद्देश:

प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत गडचिरोली जिले के जनजाति समुदाय में शैक्षणिक स्थिति, शैक्षिक विकास योजनाएं, शिक्षा का प्रभाव तथा लाभ एवं चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

शोध प्रविधि:

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीय स्त्रोतों का उपयोग किया गया है जिसके अंतर्गत विषय से संबंधित पत्र-पत्रिकाओं इंटरनेट, शोध प्रबंध, शोध पत्र एवं विभिन्न विषय आधारित दस्तावेजों का प्रयोग किया गया है।

गडचिरोली जिले के जनजाति समुदायों की शैक्षणिक स्थिति :-

अ.क्र.	जिला	नागरी/ग्रामीण	साक्षरता प्रतिशत में					
			अनुसूचित जनजाति 2001			अनुसूचित जनजाति 2011		
			कुल	स्त्री	पुरुष	कुल	स्त्री	पुरुष
1.	गडचिरोली	कुल	40.1	30.4	49.7	68.0	59.8	76.3
		ग्रामीण	39.5	29.8	49.1	67.1	58.7	75.5
		शहरी	71.4	63.88	78.5	89.2	84.3	94.1

Cencus handbook 2001& जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2022. जिल्हा गडचिरोली (page no.138)

गडचिरोली जिले की कुल जनसंख्या में से 4,15,306 जनसंख्या जनजाति समुदाय की है कुल जनसंख्या का यह 38.7 प्रतिशत है। 2001 में जनजाति समुदाय में साक्षरता दर 40 प्रतिशत थी। 2011 में यह 68 प्रतिशत तक पहुंच गयी है, यही स्थिति शहरी और ग्रामीण इलाकों में देखी जा सकती है। 2001 की तुलना में जनजाति समुदाय में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। इससे यह पता चलता है कि जनजाति समुदाय शिक्षा के महत्व को समझने लगा है और उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता निर्माण हो रही है।

गडचिरोली जिले में जनजाति समुदाय के शिक्षा में सुधार के लिए चलाएं जा रहे कार्यक्रम

गडचिरोली जिले के जनजातियों में केंद्र और राज्य सरकार की शैक्षिक विकास योजना-

गडचिरोली जिले के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए जिले में कई शैक्षणिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिले में गडचिरोली, आरमोरी और अहेरी में विज्ञान शाखा की सुविधा है, इसके अलावा जिले में सरकारी तंत्रणीकेतन तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने

वाली एक संस्था है। इसमें चार इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग न्यूक्लियर साइंस पढ़ाए जा रहे हैं जिसमें 315 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता है। जिले में 1699 प्राथमिक विद्यालय हैं जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमशः 204 और 172 हैं। इसी प्रकार सामान्य शिक्षा के 82 महाविद्यालय हैं। राज्य के वित्त और वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के अथक प्रयासों से 2 अक्टूबर, 2011 को राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय को विभाजित कर गडचिरोली में एक स्वतंत्र 'गोंडवाना विश्वविद्यालय' की स्थापना की गई है। श्रम और श्रमिक कल्याण योजना के तहत जिले में कुल 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं, प्रत्येक तालुक में एक, जिनकी नामांकन क्षमता 2,708 है और कुल 12 व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किये जाते हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा गडचिरोली जिले में जनजातियों की शिक्षा में सुधार के लिए चलाए जा रहे निम्न कार्यक्रम –

केंद्र सरकार पुरस्कृत राज्यातील आदिवासी विकास योजना:-

- एकलव्य इंग्लिश मीडियम मॉडल आवासीय विद्यालय (केंद्र पुरस्कृत पब्लिक स्कूल)
- भारत सरकार स्कूलों में परिक्षेत्तोर छात्रवृत्ति योजना
- जिला व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र
- आश्रम विद्यालय समूह योजना
- केंद्र सरकार द्वारा पी-एच.डी छात्रों के लिए अधिछात्रवृत्ती

राज्य सरकार पुरस्कृत आदिवासी विकास योजना;-

- सरकारी आश्रम विद्यालय समूह योजना
- सहायता प्राप्त आश्रम विद्यालय योजना
- सरकारी छात्रावास योजना
- विद्यार्थियों को जीवन निर्वाह भत्ता
- मेधावी विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार योजना
- विदेशी में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना

गडचिरोली जिले में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाएं:-

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
- आश्रम विद्यालय समूह योजना
- सरकारी तकनीकी विद्यालय
- गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी छात्रावास हेतु सहायता अनुदान योजना
- माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क प्रदान करना
- माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना

जिलें में जनजाति समुदाय के स्थिति में हो रहे परिवर्तनों पर शिक्षा का प्रभाव :-

शिक्षा के द्वारा ही जनजाति समुदाय की स्थिति में परिवर्तन हो रहे है। आज जनजाति व्यक्ति हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा है। जनजाति स्त्री-पुरुष अपनी जिनदगी से जुड़े हर फैसले खुद लेने रहे है। गैर-जनजाति समाज भी आज उनके अधिकारों को समझने लगे है और उनके हक में उनका साथ दे रहे है, सरकारें भी उन्हे स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर प्रकार की सहायता कर रही है। जनजाति महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है आज देश सर्वोच्च पद पर एक जनजाति महिला है, यह शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सका है। जनजाति समुदाय ने शिक्षा को अपनाकर अपनी स्थिति को और मजबूत किया किया है, जो समुदाय के लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है और जनजाति समाज को मजबूती प्रदान करता है।

1. रोजगार : एक शिक्षित व्यक्ति कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता। जनजाति समुदाय में जैसे-जैसे शिक्षा की दर बढ़ रही है, रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। आज गडचिरोली जिले में व्यावसायिक शिक्षा संस्थान युवाओं में रोजगार कौशल बढ़ा रहे है। जिले में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के 22 विद्यालय हैं। ईजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों की संख्या 1 है, संस्थान आदिवासी छात्रों को प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे है। आज आदिवासी समाज का युवा या तो स्वयं का व्यवसाय कर रहा है या जिले के बाहर जाकर भी अपने दम पर पैसा कमाने लगा है।

2. महिलाओं को अधिकार : आज आदिवासी समुदाय की महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारियों की मांग कर रही हैं तथा उन्हें समान अधिकार मिल भी रहे है। गडचिरोली जिले की जनजाति महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपने समुदाय को सशक्त बनाने में योगदान दे रही है इसी तरह कुमारीबाई जामकर एक आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह (एसईजी) की नेता हैं आज गडचिरोली जिले में महिला परिसर संघ यह समूह जिले के 19 गांवों तक पहुंच चुका है इस समूह में ज्यादातर महिलाएं शिक्षित हैं। यह महिलाओं के अधिकारों का दावा करने और उन्हे सशक्त बनने का एक मंच बन गया है।

3. राजनीति : जिले में राजनीति को लेकर भी जगरिक्त बढ़ी है पुरुषों के साथ-साथ महिलायें भी राजनीति में हिस्सा ले रही है। कोठी गाव की महिला सरपंच भाग्यश्री मनोहर लेखामी 12 वी तक पढ़ी है यह एक नक्सलप्रभावित गावं है। हालांकि गडचिरोली जिला नक्सल प्रभावित है, लेकिन यहां शिक्षा के कारण जागरूकता है और जनजाति समुदाय में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के कारण आज गांव का नेतृत्व एक महिला सरपंच कर रही है। इसी तरह कई जनजाति पुरुष एवं महिलाएं राजनीति में सक्रिय सहभागिता दर्शा रहे है।

4. बालविवाह : महाराष्ट्र में बाल विवाह: परिमाण, रुझान और पैटर्न में अपने 2019-20 के फाइनल रिपोर्ट में पाया गया की महाराष्ट्र में 31.3 प्रतिशत बाल विवाह के साथ जालना जिला शीर्ष पर है, इसके बाद क्रमशः सोलापुर जिला 28.9 प्रतिशत, औरंगाबाद और हिंगोली 27.7 प्रतिशत है, इसके बाद अहमदनगर (24%), परभणी (23.3%) उस्मानाबाद (20.9%) है। इन जिलों के मुकाबले गडचिरोली जिला (1.5%) के साथ आखिरी चार जिलों में आता है। इसका मतलब गडचिरोली जिले में बाल विवाह को लेकर जागरूकता बढ़ी है।

जनजाति शिक्षा के लाभ :-शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण की बुनियादी आवश्यकता और सबसे प्रभावी साधन है। यह लोगों को उनके साथ होने वाले भेदभाव और बहिष्कार की प्रकृति को समझने की अनुमति देता है। इसके अलावा, शिक्षा के माध्यम से लोग विचारशील व्यक्ति बन जाते हैं, जो उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। वे भी अपना हक जताने लगते हैं. इस प्रकार, इसे उच्च प्राथमिकता मिलती रहती है।

- समुदाय का विकास
- उच्च जीवन स्तर
- आत्म निर्भर बनना
- समाज में समानता
- बेहतर स्वास्थ

जिलें की जनजातियों के शिक्षा में आने वाली बाधाएं

गडचिरोली जिले में जनजातियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार चिन्हित किए जा सकते है –

• **भाषा :** प्रत्येक आदिवासी समुदाय की अपनी बोली व भाषा है। जैसे गडचिरोली जिले की 'माडिया गोंड'

जनजाति की मातृभाषा गोंडी मडिया है परंतु इस भाषा को आज तक लिपिबद्ध नहीं किया गया। भाषा व्यक्ति की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिससे वह दूसरे व्यक्ति से संवाद एवं अपनी भावनाएं व्यक्त करता है विद्यालय में अगर गोंडी भाषा में अध्ययन होगा तो विद्यार्थियों में पठन-पाठन के प्रति और ज्यादा रूचि बढ़ेगी।

• **यातायात :** जनजाति बस्तियां ज्यादातर जंगल के बीचो-बीच होती है और गडचिरोली जिले की संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में से 77.41 प्रतिशत जमीन पर जंगल है जिसमें नदी व पहाड़ की संख्या भी बहुत ज्यादा है। बरसात के मौसम में नदी नालों में बाढ़ आने की वजह से यातायात प्रभावित हो जाती है जिसके कारण बच्चे समय पर विद्यालय नहीं

पहुंच पाते कभी-कभी अत्याधिक बारिश होने के कारण कई दिनों तक उनको अपने घर पर ही रहना पड़ता है क्योंकि यातायात व्यवस्था बाढ़ अथवा बारिश के कारण बाधित हो जाती है जिससे बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

• **गरीबी :** जनजाति समुदाय पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर रहता है। जनजाति छात्र का सामना सीधे तौर पर उच्च शिक्षित परिवारों के छात्रों से होता हैं जो बाहर अतिरिक्त कक्षाएं लेते हैं परंतु जनजाति विद्यार्थी बाहर कक्षाएं करने में असक्षम है। आज शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा है स्कूल जाने वाले हर छात्र के हाथ में स्मार्टफोन है लेकिन जनजाति परिवार अपनी कम आर्थिक आय के कारण जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं।

• **नक्सलवाद :** विदर्भ स्थित चंद्रपूर और गडचिरोली जिले में नक्सलवादियों की संख्या विपुल मात्रा में है। प्रारम्भिक दौर में नक्सलवादियों को जनजातियों का थोड़ा बहुत समर्थन प्राप्तः हुआ था। इसी कारण जनजातियों के युवक-युवती नक्सलवादी आंदोलन में सहभागी हो गये थे जिस कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी। पक्के रास्ते का विरोध करना, पुलिस दल का विनाश करना इन कारणों से नक्सलवादियों के प्रति समर्थन हवा हो गया। नक्सलवादियों द्वारा किया गया शोषण भी विकास के मार्ग में बाधक हुआ।

निष्कर्ष:

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा जनजाति समुदाय के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन है। बिना शिक्षा के किसी को भी सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। जनजाति लोग शिक्षा को अपना रहे हैं जहां 2001 में समुदाय की साक्षरता दर 40 प्रतिशत थी वही 2011 में यह बढ़कर 68 प्रतिशत तक पहुंच गई इससे यह पता चलता है कि जनजातीय समुदाय शिक्षा के महत्व को समझने लगा है। जिले में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विविध शैक्षिक विकास योजनाएं भी चलाए जा रहे हैं। इसका सीधा लाभ जनजाति विद्यार्थियों को हो रहा है। जो परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ा है आज उसका बच्चा जिले के आदिवासी आश्रम विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर रहा है। शिक्षा द्वारा जनजातियों के सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन दिखाई पड रहे है। अध्ययन में जिले के युवाओं को विविध कौशल संस्थाओं द्वारा रोजगार कौशल की शिक्षा प्रदान की जा रही है। महिलाओं को समान अधिकार मिल रहे हैं, राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है तथा जनजाति समुदाय बाल विवाह जैसे क्रूर बताओ को खत्म करने में सफल हो रहा है।

****

संदर्भ

1. भालेराव, सा. & धरवाड़कर, दि. (2015). भारतीय जनजातीयाँ: संरचना एवं विकास. पृ.क्र.71-72
2. डॉ. इरपाते. वी. (2013). माडिया गोंड जनजाति की विवाह प्रणाली भामरागड, गडचिरोली, महाराष्ट्र. 2(10). 2277-8179
3. डॉ. कुमारी. विना. (2018). सशक्तिकरण महिला मे शिक्षा की भूमिका. 4(1). 326-328
4. डॉ. सिंह. रा. (2018). महिला सशक्तिकरण मे शिक्षा की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. 23(4). 2279-0845
5. https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/43026
6. https://www.firstpost.com/india/maharashtra-election-2019-self-help-groups-in-gadchiroli-unite-to-fight-systemic-discrimination-against-women-7471691.html
7. https://idronline.org/features/rights/a-young-adivasi-sarpanch-in-gadchiroli-fears-neither-naxalites-nor-the-cops/
8. https://www.iipsindia.ac.in/sites/default/files/Child_Marriage_in_Maharashtra_Final_Report.pdf
9. https://www.msde.gov.in/sites/default/files/2019-10/GADCHIROLI.xlsx
10. http://www.msde.gov.in
11. https://searchforhealth.ngo/tribal-health-department/
12. https://youtu.be/sujiC4f0zoI?si=865dKp4F9gHe9Xjq
13. https://youtu.be/XR-6s-NGYh8?si=uQtE8m_F9ya2lxt9
14. https://youtu.be/aPgg_y-rTsA?si=jUsnkDMdBwaaX6Xh

सामाजिक सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका

Asst. Prof. (Dr) ILINE KONGARI
St. Xavier's College, Simdega,
P.O. Gotra, Distt – Simdega (Jharkhand)

"मनुष्य की सार्थक उपलब्धियां वे हैं, जो सामाजिक रूप से उपयोगी हैं" - अल्फ्रेड एडलर

सामाजिक सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर निर्माण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एंव स्वतंत्र होता हैं। नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समसरता पूर्ण विकास तभी संभव है, जब महिलाओं को समाज में उनको यथोचित स्थान व पद दिया जाये। उन्हें पुरूषों के साथ-साथ विकास की सहभागी माना जाये। सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वावलंबन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुंच व नियंत्रण प्राप्त करती है। अपनी शक्तियों व संभावनाओं, क्षमताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती हैं।

कमला भसीन के अनुसार - नारीवाद समाज में काम के साथ और परिवार में होने वाले नारियों के दमन व शोषण के प्रति चेतना तथा नारियों व पुरूषों द्वारा इन परिस्थितियों को बदलने की दिशा में जागरूक सक्रियता है। अतः उनके अनुसार नारीवाद के अन्तर्गत घर के भीतर नारी पर पुरूष के दबाव और अधिकार के विरूद्ध संघर्ष परिवार द्वारा उनके शोषण के विरूद्ध संघर्ष, कार्यस्थान पर उनकी गिरी हुई स्थिति, समाज संस्कृति और धर्म के द्वारा दिये दर्जे के विरूद्ध संघर्ष तथा संतान का सृजन करने और पालने के साथ-साथ उत्पादन के दोहरे बोझ के विरूद्ध संघर्ष शामिल है।

आधुनिक युग नारी सशक्तिकरण का युग है। समाज एंव परिवार को सशक्त बनाने में महिलाओं का योगदान अत्यंत अहम है। अर्थात हम कह सकते है - कि नारी सशक्त है तो परिवार एंव समाज सशक्त है। वर्त्तमान में महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, हर क्षेत्र में उनको अवसर देकर यह प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी क्षेत्र में वे पीछे न रहे। समाज एंव परिवार के निर्माण में जितना हाथ पुरूष प्रधान समाज का है, उतना ही हक महिलाओं को भी होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य खेल, राजनीति, नौकरी, हर क्षेत्र में महिलाऐं बढ़-चढ़ का हिस्सा ले रही है तथा अपनी क्षमताओं का बखूबी प्रदर्शन कर रही है। समाज एंव देश के नवनिर्माण में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है। कल्पना चावला, किरण बेदी, निर्मला सीतारमण जैसे महिलाओं के कार्यों से समाज एंव देश उन्नति कर रहा है। जो महिला होकर पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर भविष्य निर्माता सिध्द हुई हैं। आज हरेक उस महिला को मुख्यधारा में लाने का बेहद प्रयास किया जा रहा है जिससे वे स्वाभिमानी होकर अपने जीवन का निर्वहन कर सके। वर्त्तमान में कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसके माध्यम से समाज सशक्त बन सके। विभिन्न योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है, कई स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा हरेक उस महिला को रोजगार देकर सशक्त बनाया जा रहा है जिससे वह स्वयं के लिए आय का स्रोत बन सके। किसी के पास हाथ न फैलाए, परन्तु दूसरों का भी स्वयं सशक्त होकर भविष्य निर्माता बने।

सामाजिक सशक्तिकरण में नारियों की भूमिका जबर्दस्त रही है। सदियों से कई ऐसी परंपराएं, एंव रीति-रिवाज बनते-बिगड़ते रहे है जिनमें नारीवाद के विकास को प्रक्रिया को सामाजिक स्थितियों व उनमें होने वाले परिवर्त्तन की गति से संबंध करके ही समझा जा सकता हैं।

सामाजिक सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका द्वारा विकास के विभिन्न आयाम निम्नलिखित हो सकते है -

1. परिवार को आर्थिक रूप से स्वावलबी बनाना - महिलाओं की जिम्मेदारी परिवार के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पुरूष प्रधान समाज में या परिवार में जितनी जिम्मेदारी पिता का माना जाता है, उतना ही बड़ा माता या महिला का भी माना जाता है। वर्त्तमान में यह अत्यंत विचारनीय प्रश्न है कि क्या प्रत्येक परिवार की महिला स्वयं में आय का स्रोत हैं या साधन हैं। अगर है तो यह बिल्कुल सही है, परन्तु यदि नहीं है तो आज इसे गौर करने की जरूरत हैं। आज यह ध्यान देने की बात है कि यदि एक महिला आर्थिक रूप से सबल है, तभी वह परिवार को सबल बना सकती है। तभी वह परिवार को सशक्त बना सकती है जिसपर अन्य चीजें टिकी हुई हैं। अतः परिवार के सशक्तिकरण से ही सामाजिक सशक्तिकरण संभव हो सकता हैं।
2. नारी स्वतंत्रता तथा समान अधिकार किसी भी देश के सामाजिक एंव आर्थिक विकास में नारी एंव पुरूष दोनों की समान सहभागिता अनिवार्य हैं। विशेष रूप से एक अहिंसक समाज के निर्माण में नारी का भी अपना भविष्य तय करने का वैसा ही अधिकार प्राप्त है जैसे एक पुरूष का। गांधी के अनुसार - एक अहिंसक सामाजिक व्यवस्था में अधिकार किसी कर्त्तव्य या धर्म पालन से प्राप्त होता है। अतः उचित सामाजिक आचार - व्यवहार के नियम पुरूष एंव नारी आपस में मिलकर तथा आपसी

सहमति से तय करें। इन नियमों का पालन स्वविवेक से करना होगा, न कि बाहरी दवाब या जबर्दस्ती से।

03.महिलाओं की भागीदारी सुनिनिश्चत करना - सशक्तिकरण करना सतंत् विकास लक्ष्यों में एक प्रमुखता है। वर्त्तमान में प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं में जन्मजात नेतृत्व गुण समाज के लिए संपत्ति है। इसका सबसे सराहनीय उदाहरण कोविड-19 के दौरान देखने को मिला। कोराना योद्धाओं के रूप में महिलाओं डॉक्टरों, नर्सों, आशा वर्करों, आंगानबाड़ी कार्यकर्त्ताओं व सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने अपनी जान की प्रवाह न करते हुए मरीजों की सेवाएं दी हैं।

सामाजिक सशक्तिकरण में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां –

1. लिंगभेद से संबंधित समस्याएं - पुरूष प्रधान समाज होने के कारण अक्सर महिलाओं के नेतृत्व पर सवाल उठाया जाता रहा है। पुरूष महिलाओं को अपने से ऊपर या समकक्ष समझने का प्रयास कम ही करते हैं, जिससे विभिन्न सार्थक पहलुओं को धरातलीय स्तर पर पहुँचाने में कठिनाई होती हैं।
2. आय से संबंधित समस्याएं - क्योंकि महिलाएं परिवार की जरूरतों से वाफिक होती है, जैसे बच्चों के परवरिश से संबंधित परिवार की जरूरतों इत्यादि। कई बार आय की समस्या होने के कारण वे सशक्त न होकर हीन भावना से ग्रसित हो जाती है, तथा समस्या समाधान के बदले समस्याओं से जकड़ती जाती हैं। जिससे सामजिक सशक्तिकरण नहीं हो पाता है।
3. समाज में फैलता दूषित वातावरण या नैतिक पतन - आधुनिक समाज नैतिक रूप से पतन की ओर आगे बढ़ रहा है। सहिष्णुता, परोपकरिता तथा सहानुभूति जैसे गुणों का लगातार पतन हो रहा है। व्यापक दृष्टिकोण के बदले समाज में सकुंचित एवं स्वार्थपरता समाज का निर्माण तेजी से हो रहा है जिससे सामाजिक सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न हो रहा है।
4. आत्मनिर्भरता न होने के कारण उत्पन्न समस्याएं - अधिकांश महिलाओं के पास अपना रोजगार एवं आमदनी प्राप्त करने के साधन न होने के कारण वे कमजोर महसूस करती है, जिससे वे मानसिक चिंताओं के भी शिकार बन जाती है, अतः आत्मनिर्भर न होना सामाजिक सशक्तिकरण में बाधक होता है।
5. योजनाओं के कार्यान्वयन में शिथिलता - बहुत सी सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के उचित क्रियान्वयन के अभाव एवं निश्चित परामर्श के अभाव के कारण योजनाएं कागजी बनकर रह जाती हैं। मानसिक दृष्टिकोण की व्यापकता एवं समानता के आधार पर जब तक तथ्यों का आकलन नहीं किया जाएगा, तब तक महिलाओं एवं समाज को सशक्त नहीं बनाया जा सकता।

सामाजिक सशक्तिकरण हेतु महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाएं –

महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय योजनाएं की जा रही हैं ताकि देश के गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार इन योजनाओं के माध्यम से स्वयं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बना सकें। इन कल्याणकारी योजनाओं द्वारा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊपर उठाया जा रहा है। कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं का उल्लेख यहां किया जा रहा है –

1. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
2. फ्री सिलाई मशीन योजना
3. फ्री आटा चक्की वितरण योजना
4. नारी सम्मान योजना
5. सखी-वन स्टॉप सेंटर योजना
6. प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना
7. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
8. प्रधानमंत्री समर्थ योजना

इस प्रकार महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा लगातार कई बेहतरीन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ताकि नारी शक्ति का बढ़ावा दिया जा सके। अतः आवश्यकता है कि हरेक व्यक्ति अपने व्यापक दृष्टिकोणों द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने में कार्य करें तभी इसके उद्देश्यों को सार्थकता प्राप्त होगी।

****

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. नारी सशक्तिकरण और गाँधी - डा0 रिंकी कुमारी पृष्ठ - 140-141,पब्लि. दिशा इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, ग्रेटर नोएडा
2. नयायोजना.इन (nayayojna.in) महिलाओं के लिए 10 बेस्ट सरकारी योजनाएं, नया योजना

शिक्षा के विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका (विशेष संदर्भ –वडार समुदाय वर्धा महारष्ट्र)

कविता ना. खोब्रागडे

पी.एच-डी (शोध छात्रा) शिक्षा विद्यापीठ

महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा

शोध सारांश :

शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन हैं। सच तो यह हैं की मनुष्य अस्तित्व निर्माण के बाद शिक्षा ने ही पशुमानव को आधुनिक, तकनिकी, सशक्त, उन्नत मनुष्य बनाया हैं। शिक्षा से सूचनाओं तक पहुँच, आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी, विचार, चिंतन, मनन की शक्ति और न्याय-अन्याय की समझ, मनुष्यों के द्वारा सही कार्य के चयन की संभावना, अपने अधिकारों एवं जिम्मेदारीयों के प्रति अधिक जागरूकता, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की समझ बढती हैं, आदि के लिए ऐसी शिक्षा जो किसी समुदाय को आंतरिक कुशलताओं एवं सामाजिक स्थितियों के लिए तैयार कर सके एवं समाज का तीव्र गति से समग्र व समावेशित विकास हो। सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है। बरसों से हमारे देश में एक द्रविड़ समुदाय जिन्होने अखिल विश्व मे अपनी कला-कुशलता का बेहतर प्रदर्शन कर हमारे देश का सन्मान बढ़ाया हैं, जो कला कुशलता से परिपूर्ण हैं पर दुर्भाग्यवश जिसे ब्रिटिश काल मे अपराधी घोषित कर मानवी अधिकारों से वंचित कर अधिसुचित (listed) किया था जो आजादी के बाद भी भारतीय सविंधान द्वारा चिन्हित नहीं है और शिक्षा से वंचित हैं। विमुक्त, घुमंतू, अर्ध-घुमंतू, ख़ानाबदोश जनजातिय समुदाय के लोगों ने राष्ट्र के हितों के लिए नई सड़कों, गगनचुंबी इमारते, शानदार भवनों और बाँध-तालाब, जलाशयों के निर्माण के लिए अपनी भूमि, अपने परिवार-रिश्तेदार एवं अपनों का त्याग कर राष्ट्र निर्माण मे अपना बहुमूल्य योगदान दिया हैं। अपितु बेहिसाब लाखों घुमंतू, विमुक्त, खानाबदोश समुदायों के पास आज तक पिने के लिए साफ पानी एवं शौचालय नहीं हैं और सिर पर छत नही हैं(भी.इदाते 2018,आयोग आख्या)। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने की बात तो दूर परंतु शिक्षा का अधिकार होते हुये भी नामांकन न होना यह गंभीर समस्या हैं। इस समुदाय को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना और उन तक विकास की पहुँच बनाना बहुत बड़ी चुनौती रही है। इस चुनौती को पूरा करने का प्रयास गैर सरकारी संगठन कर रहे हैं अपितु इन संगठनों के क्रियान्वयन और व्यवहार साध्यता का अध्ययन इस पत्र का उद्देश्य: वडार समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठन की भूमिका का अध्ययन करना वडार समुदाय के शिक्षा हेतु गैर सरकारी संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों का अध्ययन करना

शोध प्राविधि : प्रस्तुत शोध की प्रकृति मूल:त गुणात्मक हैं। शोध की विभिन्न प्राविधि में से वृत्तामक शोध विधि प्रदत्तों के संकलन, विश्लेषण तथा प्रस्तुतीकरण वस्तुत: गुणात्मक अनुसन्धान का वह प्रकार हैं जिसमें किसी एक इकाई का गहन तथा यथासंभव पूर्ण अध्ययन किया जाता हैं।

शोध का परिसीमन : प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्धा जिले के वर्धा तहसील के वर्धा शहर में आर्वी नाका परिसर में स्थित वडार बस्ती तक एवं वडार लोगों तक सिमित हैं।

जनसँख्या : प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्धा के कुल आठ तहसील में से वर्धा तहसील के वर्धा शहर के कुल पांच बस्ती में से आर्वी नाका परिसर के वड़ार बस्ती के कुल 180 परिवार के कुल 180 घर (झोपड़ियाँ) हैं और जिसकी कुल जनसँख्या 1500 हैं।

प्रतिदर्शन: वर्धा शहर में स्थित कुल पांच इलाकों में से आँवी नाका परिसर के एक वडार बस्ती का चयन प्रतिदर्शन के रूप में किया हैं।

शोध उपकरण एवं तकनिकी : प्रस्तुत शोध में उपकरण एवं तकनिकी के रूप में समुदाय के लोगों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से कार्यरत गैर-सरकारी संगठन की जानकारी प्राप्त कर संबंधित गैर-सरकारी संगठन के अधिकारी और कर्मचारी से साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन तथा संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया गया हैं।

प्रस्तावना -

शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे प्रबल माध्यम हैं। शिक्षा सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दुसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का कार्य करती हैं। वही अतीत की पुनरावृत्ती के लिए भी आधारशिला हैं (**हैंण्डरसन**)। शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन हैं। शिक्षा से सूचनाओं तक पहुँच, आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी, विचार, चिंतन, मनन की शक्ति और न्याय-अन्याय की समझ बढती हैं। सामाजिक सशक्तिकरण के परिणाम स्वरुप मनुष्यों के द्वारा सही कार्य के चयन की संभावना शिक्षा से बढती हैं। सामाजिक सशक्तिकरण के द्वारा गरीबों के खिलाफ होने वाली सामाजिक हिंसा कम होंने की संभावनाएँ बढ़ती हैं। जब कोई वर्ग सामाजिक रूप से सशक्त होता है तो वह अपने अधिकारों एवं जिम्मेदारीयों के प्रति अधिक जागरूक हो जाता हैं।

सामाजिक सशक्तिकरण का मूल लाभ यह है कि, इससे समाज का तीव्र गति से समग्र व समावेशित विकास होता हैं। सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है"(लिना मेहंडेले)। सामाजिक सशक्तिकरण में निर्भयता जिसके लिए समाज में कानून और सुरक्षा का होना भी जरुरी होता हैं। इसके साथ ही आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं उत्पादन क्षमता, निर्णय का अधिकार और ऐसी शिक्षा जो किसी समुदाय को आंतरिक कुशलताओं एवं सामाजिक स्थितियों के लिए तैयार कर सके। सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यमों मे शिक्षा का प्रसार विभिन्न आयामों जैसे अज्ञानता, अंधविश्वास, पूर्वग्रह, वैचारिक पराधीनता, कुप्रथाओं का प्रभाव, आत्मविश्वास मे कमी, आत्मनिर्णय के लिए, समान अवसरों की समझ, राष्ट्रीय योजना एव् कार्यक्रमों की जागरूकता सभी आयामों के विकास में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण माना जा सकता हैं।

जब विकास प्रक्रिया की गति में कुछ सामाजिक समूह पीछे रह जाते है उसे 'सापेक्ष विभक्त' समूह,समुदाय यां समाज कहते हैं। विकास की गति में परस्पर सहायता और तेज गति अत्यांधिक महत्वपूर्ण हैं **(त्रिपाठी,2014)।** विमुक्त, घुमंतू, अर्ध-घुमंतू, ख़ानाबदोश समुदाय जो मूल भारतीय वंश के हैं। इस जनजातिय समुदाय के लोगों ने राष्ट्र के हितों के लिए नई सड़कों, गगनचुंबी इमारते, शानदार भवनों और बाँध-तालाब, जलाशयों के निर्माण के लिए अपनी भूमि, अपने परिवार-रिश्तेदार एवं अपनों का त्याग कर राष्ट्र निर्माण मे अपना बहुमूल्य योगदान दिया हैं तब जाकर आज हम अपने शहरी लक्ष्यों को पूरा कर पाए हैं(प्रवीण 2021)। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने की बात तो दूर परंतु शिक्षा का अधिकार होते हुये भी आज तक सौ प्रतिशत नामांकन न होना यह गंभीर समस्या हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के प्रथम (सन 1757 प्लासी) स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागेदारी के चलते एक कूटनीति के तहत 1871 में घुमंतू को क्रिमिनल ट्राइब कहकर घोषित किया था। आजाद भारत में 1952 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को निरस्त कर अनंतशयनम अयंगर कमेटी ने कुल 147 जातियों को विमुक्त किए जाने की सिफारिश की थी। जिसमे एक महाराष्ट्र की विमुक्त घुमंतू जनजाति 'वडार जनजाति' हैं।

महाराष्ट्र की विमुक्त जनजाति 'वडार'-

विमुक्त जनजाति में से एक जनजाति जो महाराष्ट्र राज्य में वडार नाम से परिचित हैं। महाराष्ट्र के सभी जिलों मे अधिकतर शहरी इलाखों मे अच्छी जनसंख्या मे बसी हैं। महाराष्ट्र में विमुक्त जाति कुल 14 जाति एवं घुमंतू जनजाति मे 37 जनजातियाँ हैं। विमुक्त जाति की 14 में से एक वडार जाति महाराष्ट्र के सभी जिलों में कम-ज्यादा प्रतिशत में पायी जाती हैं। वडार समुदाय की जनसँख्या महाराष्ट्र राज्य में एक करोड़ से अधिक हैं। महाराष्ट्र की जाति आधारित वर्गीकृत आरक्षण प्रणाली में यह जनजाति विमुक्त जाति एवं नोमेडिक ट्राइब (VJNT) प्रवर्ग में शामिल हैं। इस प्रवर्ग को महाराष्ट्र में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया हैं और उसमें तत्सम 30 उपजातियाँ हैं। सभी विमुक्त जनजाति को केंद्र की अनु. जनजाति आरक्षण प्रवर्ग रखने की माँग आयोगो, नेताओं, संगठनों ने कई सालों से रखी हैं। महाराष्ट्र के वडार समुदाय की बोलीभाषा, विधि-पद्धति, रीतिरिवाज परंपराएँ आदि सामाजिक रचना आंध्रप्रदेश की सामाजिक रचना के अनुरूप होने के प्रमाण के आधार पर महाराष्ट्र के वडारो का मूल उत्पति निवास स्थल आंध्रप्रदेश हैं (**कुलकर्णी**2016)। वडार समुदाय की संस्कृति अन्य भारतीय जनजाति से भिन्न दिखाई देती हैं। बरसों से हमारे देश में एक द्रविड़ समुदाय जिन्होने अखिल विश्व मे अपनी कला-कुशलता का बेहतर प्रदर्शन कर हमारे देश का सन्मान बढ़ाया हैं जो कला कुशलता से परिपूर्ण हैं पर दुर्भाग्यवश जिसे ब्रिटिश काल मे अपराधी घोषित कर मानवी अधिकारों से वंचित कर अधिसुचित (listed) किया था जो आजादी के बाद भी भारतीय सविंधान द्वारा चिन्हित नहीं है और शिक्षा से वंचित हैं जब की शिक्षा विकास का उत्तम साधन हैं ऐसे समुदायों पर शोध अध्ययन जरूरी हैं।

वडार समुदाय के शिक्षा की स्थिति-

" शिकत शिकवत शिकी राज धतावट
शिके त शिकू जेरी राज पुनई धियान पुनई " । (वडार धर्मागुरु)
(अर्थात "जो समाज शिक्षा प्राप्त करके अपने समाज को शिक्षित करता है वही समाज राजवैभव प्राप्त कर सकता हैं।)

" व्यवसाय हेतु सतत स्थानांतरण के कारण यह समुदाय कभी स्थिर नही हो पाया हैं। वडार समुदाय आज तक भूख मिटाने के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव काम की तलाश मे दर-बदर घूमता रहा हैं। कितना भी बड़ा कलाकार, चित्रकार हो उसे उसके मेहनत की कीमत आज भी हमारे देश मे बहुत कम मिलती हैं। देश गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण आदि गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा हैं जब की चीन की आबादी हमारे देश की तुलना मे अधिक होते हुये भी चीन सम्पन्न महाशक्तिशाली देश हैं। प्राचीन काल से वर्तमान तक वडार समुदाय का योगदान हमारे देश के विकास मे रहा हैं। प्रथम अभियंता के रूप मे, देश के असली रक्षक के रूप, सीमाओं के रक्षण मे, व्यापार-विपणन की दृष्टि मे, आयुर्वेद स्वास्थ चिकित्सा प्रणाली मे, भगवानों की मूर्तियों की नक्षीदारी मे, स्कूल, भवन, रास्ते, जलाशयों, तालाबों, गुफाओं, राजमहलों और वर्तमान मे शहरों की गंदगी, भंगार कचड़ा उठाने ने मे भी जो आज विश्व के बढ़ते प्रदूषण की गंभीर समस्याओं को के लिए योगदान ही समझा जा सकता हैं। परंतु आजादी के बाद इस समुदाय की पहचान करके इनके इतिहास का पुनर्लेखन एवं पुर्नसमीक्षा की होती तो शायद

इतिहास लिखते इतने प्रतिभाशाली, बलशाली, नक्षी कुशलता से पूर्ण, बौद्धिक सम्पन्न समुदाय था। अपितु देश मे आज सबसे पिछड़ा, निम्न आर्थिक स्तर, शिक्षा से वंचित, अंधविश्वासों मे डूबा और जिनके सिर पर निवास के लिए छत तक नही है एवं विकास के सभी अंगों से कोसो दूर हैं।

शोष के उद्देश्य :

वडार समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठन की भूमिका का अध्ययन करना।

वडार समुदाय के शिक्षा हेतु गैर सरकारी संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों का अध्ययन करना।

वडार समुदाय के सदस्यों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से कार्यरत गैर-सरकारी संगठन सूची :

शोधार्थी द्वारा वडार बस्ती के अवलोकन से एवं वडार लोगों से किए साक्षात्कार के आधार पर निम्नलिखित तीन गैर सरकारी संगठन का चुनाव अध्ययन हेतु किया हैं।

अनु क्र.	संगठन का नाम	स्थापना वर्ष	बस्ती मे कार्य की शुरुवात	स्थापना का उद्देश्य
01	संबुद्ध महिला संगठन वर्धा	2005	2008	अनु. जाती,जनजाति वंचित घटकों का सर्वांगीण विकास
02	स्त्री मुक्ति संगठन मुंबई	1975	2014	घुमंतु,वंचित महिला के विकास हेतु
03	मी वडार महाराष्ट्रचा	2001	महाराष्ट्र के वडार बस्ती	वी. जे.एन. टी के विकास हेतु
04	ओंजल बहुउद्देशीय संस्था वर्धा	2019	2019	सभी वंचित घटकों के लिए
05	सत्यमेव जयते जन आंदोलन संगठन		वडार बस्ती 2011	वी. जे. एन. टी. के कानूनी विकास
06	मोहित शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था वर्धा	2018	2016	वंचितों के शैक्षिक विकास

गैर सरकारी संगठन द्वारा बस्ती में किये कार्य -

1	**संबुद्ध महिला संगठन वर्धा**	I. आर्थिक विकास हेतु बचत गटों की स्थापना। II. बैंक मे खाता निकालने के प्रेरणा और दस्तावेज बनवाने के लिए सहायता। III. शराबों की दुकाने बंद करवाए। IV. महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण दिए। V. पुरुषों को नगर परिषद मे काम दिलवाए। VI. गरीबी रेखा के नीचे (bpl) कार्ड बनवाए। VII. राशन कार्ड , कामगार कार्ड, कचड़ा वेचक कार्ड, संजय गांधी निराधार योजना, VIII. अलग-अलग विद्यालयों में संपर्क कर जिला कलेक्टर की सहायता से बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाए
2	**स्त्री मुक्ति संगठन मुंबई**	I. झीरो कचड़ा व्यवस्थापन प्रकल्प का क्रियान्वयन। II. मुलतानी हर्बल टिकिया बनवाए के प्रशिक्षण दिए। III. अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाने के प्रशिक्षण दिए। IV. सावित्री बचत गट का निर्माण कर गट के माध्यम से महिलाओं को ब्यूटीपार्लर प्रशिक्षण, शिलाई मशीन काम के प्रशिक्षण। V. सावित्री फ़िनाईल बनाना सावित्री सैनिटायझर तयार करना और उसके लिए मार्केटिंग करना। VI. आर्थिक विकास हेतु बचत समूह की स्थापना की। VII. बच्चों को शिष्यवृत्ति से लाभान्वित कराने हेतु समाज कल्याण एवं जिला परिषद समाज कल्याण विभाग से जारी होने वाली शिष्यवृत्ति से वडार बच्चों को लाभान्वित कराने का प्रयास की हैं। VIII. निरक्षर लोगों के लिए कक्षा चलाई। IX. वडार बच्चों को लिए गणित मराठी भाषा की कक्षाएँ ली। X. वडार बच्चो के निजी ट्यूशन के शुल्क अदा किए।
3	**मी वडार महाराष्ट्रचा**	I. यह संगठन इस समुदाय के आरक्षण को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है II. आवास योजनो और वडार बस्तीयों मे मकान, शौचालय, आदि के लिए प्रयासरत हैं। III. आरक्षित प्रवर्ग विमुक जाति से अनुसूचित जनजाति मे समावेशन के लिए प्रयास कर रही है।
4	**ओंजल बहुउद्देशीय संस्था वर्धा**	I. इस संगठन ने कोरोना संक्रमण काल मे वडार बस्ती मे अनाज-राशन के किट के वितरण कर बस्ती के लोगों को अन्य लोगों से आर्थिक सहायता लेकर मदत की। II. गुणात्मक शिक्षा के लिए स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण कर ऑनलाइन शिक्षा के प्रशिक्षण दिए। III. स्मार्ट क्लास रूम में वडार बच्चों को ट्यूशन दी जिसका शुल्क स्त्री मुक्ति संगठन द्वारा दिया जाता हैं

5	सत्यमेव जयते जन आंदोलन संगठन	I. नगर परिषद मे काम कर रहे वडार कचड़ा वेचक वर्करों को कम वेतन और अनिश्चित वेतन के लिए आंदोलन किए। II. 50 साल से स्थायी वडार लोगों को बस्ती की जगहँ वडार लोगों को अपने नाम पर करने के लिए कानूनी सहायत्ता कर रहे हैं।
6	मोहित शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था वर्धा	वडार बस्ती मे बच्चों को शिक्षित करने हेतु घर-घर जाकर बच्चों और अभिभावको को शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रेरित करना वडार बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए विभिन सांकृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में वडार लड़कियों को अवसर प्रदान करना एवं प्रोत्साहित करना घर-घर जाकर बच्चों और अभिभावको को शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रेरित, जनजागृति कार्यक्रम चलाए। आर्थिक नियोजन करने हेतु मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए।

शोध उद्देश्य : वडार समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठन की भूमिका का अध्ययन करना।

निवास व्यवस्था : इस बस्ती का निर्माण 50 –60 वर्ष पूर्व हुआ हैं। जिस समय यह लोग आकर इस जगह पर बसे उस समय बस्ती की जगह पहाड़ियों, पेड़ों से घिरी हुई थी। सरकारी जमीन समझकर यह लोग यहाँ बस गए और उस समय किसी ने विरोध भी नहीं किया। सन 1990 के बाद वर्धा शहर का विस्तार होने लगा और पक्के मकान बनने लगे। इस बस्ती के चारों ओर से रास्ते बने। यह जगह बीच बाजार की महत्वपूर्ण जगह बन गई तब पता चला की, यह जमीन बजाज नामक किसी निजी व्यक्ति की हैं। इस बस्ती के जगह हेतु बहुत बार विवाद उत्पन्न हुए और यह जगह वडार लोगों के नाम पर न होने के कारण बस्ती के लोग किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। गरीब, निर्धन समुदाय होने के कारण शहर में नई जगह खरीदना असंभव हैं इसलिए सत्यमेव जयते संगठन के राहुल कुमार सिन्हा जो पेशे से वकील थे उन्होंने सन 2014 में इन लोगों को साथ लेकर याचिका दाखिल की और से सतत प्रयास किए ताकि यह जगह इस समुदाय को मिले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द फडणवीस जी को पत्र द्वारा अनुरोध किया गया। बस्ती के कुछ जाने माने लोग मुंबई में अनेकों मंत्रियों से मिले बस्ती के लोगों के स्थिति को बताये तत्कालिन मुख्यमंत्री ने उन्हें भूमि लौटाने के लिए आश्वस्त भी किया परन्तु अब तक फैसला नहीं हुआ। मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को भी अनुरोध आवेदन दिया गया हैं। पुरे बस्ती के लोगों ने इस कार्य के लिए पैसा इकठा कर इस कार्य को 2018 तक जारी रखा। बस्ती का संगठन मजबूतहैं पर वर्तमान तक इस बस्ती के जमीन का फैसला नही आया। आखिर बस्ती के चंद पढ़े लिखे युवाओं ने सस्ते दाम वाली शहर के दूर एक और बस्ती बनाई यहाँ अपने अभिभावक को बस्ती के बाहर घर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को बस्ती के बाहर रखे हुए हैं ताकि बस्ती में बच्चे बिगड़ न जाए।

वडार बस्तीओं के पुनर्वसन के लिए :

वडार समुदाय बरसों से घुमंतू जीवन व्यापन करते आया हैं। काम की तलाश में जहाँ जगह मिली यहाँ जुग्गी झोपडी बनाकर अस्थायी निवास करना इस कारण यह समुदाय कभी स्थायी नही हो पाया। जब स्थानातरण कम हुआ तो जिस जगह अधिक परिवार बसे उसी जगह स्थिर होने लगे परन्तु वडारों की बस्तियाँ कई सरकारी जमीन पर तो कई निजी जमीन बसी झोपड़पट्टीयां हैं। वर्तमान तक वडार बस्ती वर्धा की जमीन निजी व्यक्ति की होने से वडार समुदाय विभिन्न योजनाओं से वंचित हैं। यह स्थिति पुरे राज्य में हैं। बस्ती के लोगों को जमीन के पट्टे उनके नाम करने के लिए यह संगठन बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हैं। बस्ती के जमीन पट्टे समुदाय के लोगों के नाम पर होना जरुरी भी हैं क्योकि अभी भी इस समुदाय को खुद को स्थायी निवास होने के प्रमाण नही मिले हैं। गैर सरकारी संगठन द्वारा व्यकीगत और बस्ती परिवेश स्वच्छता विषयक प्रेरणा के लिए प्रयास किये गए हैं परन्तु वर्तमान तक इस समुदाय के लोगों के रहन सहन में विशेष बदलाव हुए दिखाई नही देते हैं।

सामाजिक सुधार हेतु

अज्ञानता :-शोधार्थी द्वारा बस्ती के अवलोकन एवं शिक्षित वर्गों से किये साक्षात्कार से प्राप्त आधार पर बस्ती के शिक्षित युवाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर, वडार बस्ती के अधिकतर लोगों में अज्ञानता पायी जाती हैं। कोई भी अन्य सभ्य व्यक्ति उन्हें सहजता से मुर्ख बना सकता हैं। किसी ठेकेदार ने दिए काम को सुबह से बहुत मेहनत से पूरा करते हैं पर उसने कम मजदूरी दी अधिक काम किया इसलिए कभी अपने हक़ के लिए आवाज नही निकालते। अगर शराब पिने के लिए समय पर पैसे नही दिए तो हंगामा करेंगे। उसके काम पर फिर कभी नही जायेंगे। किसी बुआ, मरी माँ ने अगर कहां की एक मुर्गा यां बकरा चढाने पर तेरा सब ठीक हो जायेगा तो बच्चे की भी बलि चढ़ा सकता हैं इतनी मुर्खता, अज्ञानता वडार शराबी पुरुषों में अधिक हैं। अज्ञानता के कारण बहुत दिन तक वडार महिला शरीर पर ब्लाउज नही पहनती थी। पर वर्तमान में बहुत से बदलाव आ रहे हैं। अधिकतर घरों में प्राथमिक शिक्षा पूरी किये युवा होने से अपने अभिभावकों को मुर्खता से परिचित कराते हैं। लेकिन अलौकिक शक्ति, भगवान, बुआबाजी, मरी माँ आदि के सूचनाओं का आज भी पालन करते हैं।

अँधविश्वास : **धार्मिक आस्था का एक विचारहीन रूप, वैज्ञानिक बातों पर विश्वास कम होना, परंपरागत बातों को बिना किसी आधार के स्वीकार करने की अवस्था।**

बस्ती में कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संगठन एवं शिक्षित युवाओं से प्राप्त जानकारी से वडार लोगों के धार्मिक आस्था का लम्बा इतिहास रहा हैं। घुमतु जीवन व्यापन के कारण यह समुदाय बरसों तक गाँव शहरों के बाहर जंगल, पहाडियों में निवास करते आया हैं। इसलिए खुद के संरक्षण हेतु प्रकृति की अनेक देवताओं, अलौकिक शक्तिओं, देवताओं के प्रकोप आदि की आस्थाओं को वर्तमान में भी देखा जाता हैं। वर्तमान में अगर किसी भी घर पर पहला पुत्र प्राप्त होता हैं तो भगवानों को बकरे के बलि चढाते हैं और बस्ती के सभी लोगों को भोजन देते हैं चाहे जितना भी गरीब हो। इसकी पुष्टि मानस मंदिर की शिक्षिका बताती हैं की, *"पता नही एक-एक महीने के इनके कौनसे भगवान के पूजन होते है जिसके लिए बस्ती के सभी बच्चे बाहर गाँव जाते हैं और एक महिना नही आते। यह साल में एक यां दो बार जरुर जाते हैं और दशहरा के समय भी एक महिना विद्यालय नही आते हैं "* बस्ती के बच्चे अधिकतर अनुपस्थित होने के पीछे एक धार्मिक आस्थाओं से जड़े हैं और वर्तमान तक परंपरागत बातों को बिना किसी आधार से स्वीकार करते हैं। धार्मिक आस्था व्यक्ति के आध्यामिक शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती हैं पर आस्था में भी समझ होनी जरुरु हैं पर वडार आस्थाओं का विचारहीन रूप प्रकट होता हैं।

पूर्वग्रह : किसी मामले के तथ्यों की जाँच किए बिना ही राय बना लेना यां निर्णय ले लेना।

वडार समुदाय के लोग अपने निर्णय स्वय कभी नहीं लेते हैं। सामूहिक निर्णय जिसे बिना किसी तथ्यों की जाँच किए निर्णय ले लेते हैं। बस्ती में सन 2013 को क्रिश्चन मिशनरी के राठोड जी ने बैठके लगाकर, परिवारों के अभिभावकों को प्रेरित किया की, बच्चों को पढाना कितना जरुरी हैं। बस्ती में सामूहिक निर्णय हुआ की मिशनरी निवासी विद्यालय नागपुर में बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं। नामांकन भी हुए परन्तु एक बच्चे की तबियत ख़राब हुई तो अधिकतर अभिभावकों ने अपने बच्चे विद्यालय जाकर घर ले आये बिना किसी कारणों की जाँच किये बिना हमारे बच्चे बीमार हो जायेंगे कुछ हो जायेगा आदि गलतफमियाँ ने बच्चों को शिक्षा से वंचित किया और जो अभिभावक अपने निर्णय में कायम रहे उनके बच्चे वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त किये हैं और बस्ती में उन्हें सन्मान आदर मिलता हैं। जो बच्चे विद्यालय छोड़ आए वे वर्तमान में मजदूरी का काम कर रहे हैं उनको चार-छह बच्चे हैं और नशे की आदतों ने उन्हें निर्धन किया हैं। जिनके जीवन का कोई मकसद ही नहीं हैं। बस्ती में किसी पुरुष को अगर बहुत दिन से काम धंदा नहीं मिल रहा तो देवी नाराज हुई हैं बकरे का बलि देना होगा पुरे बस्ती को खाना खिलाना होगा उसके लिए कर्ज निकालकर बकरा बलि दिया जाता हैं पर काम धंदा क्यों नहीं मिल रहा इस बात की कभी भी पुष्टि नही की जाती यह समझ पुरे बस्ती के लोगों में देखी जाती हैं। आदि अनेको घटनाओं से यह स्पष्ट होता हैं यह समुदाय आज भी पूर्वग्रहों से अधिक पीड़ित हैं।

वैचारिक पराधीनता: जिस पर दूसरे का अंकुश या शासन हो

बस्ती में किसी भी सार्वजनिक मामलो पर सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं अगर बस्ती में कोई नया व्यक्ति आता हैं तो उसकी चर्चा पुरे बस्ती में होती हैं ओर उस व्यक्ति की पूछताछ बस्ती के बुजुर्ग, समझदार व्यक्ति द्वारा की जाती हैं। संगठन द्वारा कुछ सुविधाओं को जब बस्ती में लाया जाता तो क्यों कर रहे तुम्हे क्या फायदा हैं आदि की जरुर पूछताछ करते हैं। बस्ती का एखाद समझदार व्यक्ति अगर कुछ अच्छा काम करे यां पारंपारिक रीतियों से परे कुछ करे तो पूरी बस्ती उसे जवाब करती हैं। उसकी निंदा करना, बात न करना, कार्यकर्मों में न बुलाना आदि को देखा गया हैं। बस्ती में अपने विचार से स्वंतंत्र व्यक्ति बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति बस्ती छोड़कर चले जाते हैं। बस्ती में सामूहिक बदलाव को देखा जाता हैं। व्यक्ति में वैचारिक स्वाधीनता का अभाव हैं।

कुप्रथा का प्रभाव : समाज में फैले ऐसे रीतिरिवाज या चलन जो समाज के लिए अहितकर तथा अकल्याणकारी हो

वडार बस्ती में सदियों से चलती आयी एक प्रथा वर्तमान में भी दिखाई दी हैं। तीन सालों में एक जत्रा का आयोजन किया जाता हैं जिसे गंगा पूजन कहा जाता हैं। जिसके लिए चार से पांच लाख रूपए का खर्चा होता हैं। यह खर्च समुदाय में जितने नवविवाहित कपल होते हैं उन्हें देना होता हैं। देवी को टोकरी में बिठाकर नदी,तालाब, नहर के पास ले जाना होता हैं और 100 से 150 बकरे रखे जाते हैं। जिसे काटकर उपस्थित सभी लोगों को खाना खिलाना होता हैं। इस प्रथा में भेडीयाँ पर तब तक पानी डालना होता हैं जब तक भेडी अपने अंग को झटकती नहीं और तब तक कौल दे ! कौल दे! चिल्लाना होता हैं कौल दे का अर्थ प्रसन्न हो। अगर भेडी ने अंग नही हिलाया तो देवी बहुत नाराज हैं, हमें माफ़ कर माँ देवी, अब नही करेंगे,आज्ञा दे देवी, जितने बोलेंगी उतने बकरे देंगे माँ आदि क्षमा याचनाओं से हाथ पटक पटक कर देवी को प्रसन्न किया जाता हैं। नवस, बलि देना, देवी को प्रसन्न करना आदि अनेक कुप्रथा वर्तमान में विद्यमान हैं। कुप्रथा का प्रभाव वर्तमान में पाया जाता हैं। जिसके लिए गैर संगठन द्वारा किये प्रयास को देखा नही जाता हैं।

आत्मविश्वास में कमी : आत्मविश्वास की कमी के कारण अपने हर एक्शन पर भ्रमित रहते हैं। इतना ही नहीं दूसरों को भी अपनी कमजोरी का फायदा उठाने दे सकती हैं। इस समुदाय की महिला, पुरुष एवं बच्चों में भी आत्मविश्वास कमी को देखा जाता हैं। बच्चे विद्यालय के किसी भी कार्यकिलापो में स्वय सहभागिता के लिए तयार नही होते हैं उन्हें जबरन किसी गतिविधियों में सहभागी किया जाता हैं फिर भी पुरे आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन नही कर पाते। इन बच्चों के आत्मविश्वास कक्षा 10 के बाद बढ़ने लगते हैं। बच्चों अपने आप से कभी कोई विशेष कार्य नही करते हैं । गैर सरकारी संगठन द्वारा वडार समुदाय के लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के प्रयास को देखा गया हैं।

मोहित शैक्षिक संगठन द्वारा वडार बच्चों को सास्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता

आत्मनिर्णय के लिए असक्षम : स्वयं के द्वारा लिया गया निर्णय, अपना खुद का निर्णय, अपनी अंतरात्मा द्वारा लिया गया निर्णय के लिए असक्षम होना

शोधार्थी द्वारा वर्धा जिला परिषद के जिल्हा समाजकल्याण विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग सम्बंधित अधिकारीयों से किये साक्षात्कार एवं प्राप्त हुए अभिलेखों के आधार पर जिल्हा समाज कल्याण विभाग द्वारा शिशु एवं माताओं के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आशा वर्कर एवं आंगनवाडी सेविका का चयन किया हैं। जिसका उद्देश्य घर-घर तक योजनाओं की सुचना प्राप्त हो और हर एक माता एवं शिशु लाभान्वित हो। बस्ती में अधिकतर महिला समाज कल्याण के योजनाओ से अवगत पाई जाती हैं। बस्ती में आपसी सम्बन्ध बेहतर होने से एक महिला दुसरे महिलाओ से लाभ के प्रकृति की चर्चा करती हैं। परन्तु समाज कल्याण द्वारा सामाजिक विकास, आर्थिक विकास एवं शिक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सुचना बस्ती में किसी को नहीं हैं। विद्यालय द्वारा शिष्यवृत्ति आवेदन पूर्ति की जाती हैं। परन्तु विद्यालय द्वारा योजनाओं तक पहुच बनाने के लिए सभाओं, कार्यक्रमों का आयोजन नही किया जाता हैं यां न ही योजनाओ के पृष्ठभूमि बारे में बताया जाता हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इस समुदाय के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए प्रत्यक्ष योजनाओं का निर्माण किया जाता हैं परन्तु विभाग द्वारा अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा बस्ती में योजना से परिचित कराने हेतु कभी भी कैंप, सभा एवं कार्यक्रमो का आयोजन नही हुआ हैं। आर्थिक विकास हेतु संचालित व्यक्तिगत ऋण ब्याज धनवापसी योजना ऋण योजना, कौशल्य प्रशिक्षण योजना,सामाजिक विकास हेतु विवाह योजना, बस्ती सुधार योजना, कामगार योजना, शिलाई मशीन योजना, शैक्षिक विकास हेतु कुल 11 योजनाओं का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जाता है परन्तु आदि अधिकतर योजनाओ से वडार लोग अपिरिचित हैं। इसलिए बस्ती के लगभग लोग राष्ट्रिय कार्यक्रम एवं योजनाओं से वंचित हैं। जागरूकता के लिए शिक्षा जरुरी होने की पुष्टि समुदाय के शिक्षित एवं विभाग के अधिकारी द्वारा की जा रही हैं। सामाजिक न्याय विभाग के विमुक्त समुदाय में से बंजारा समुदाय इन योजनाओं से अधिक लाभान्वित हैं जब की उनके बस्ती में योजनाओ तक पहुच बनाने के लिए किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कोई प्रयास नही हुआ हैं।

संगठित प्रयासों में कमी :

शोधार्थी द्वारा अवलोकन से पता चलता हैं की, वडार बस्ती में संगठित रहने की प्रकृति हैं। किसी परिवार पर किसी भी तरह का संकट यां आकस्मिक कोई घटना, दुर्घटना, गंभीर समस्या जैसे स्थिति बनती है तो उस परिवार के साथ बस्ती के सभी लोग मददगार के रुप में साबित होते हुए पाए जाते हैं। एवं बस्ती पर किसी एक व्यक्ति के कारण कुछ संकट आए तो संगठित प्रयासों से उसका हल यां सामना करते हैं। परन्तु इस समुदाय का संगठन बहुत छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दिखाई देता हैं। अच्छे बदलाव के लिए जल्दी सहमत नही हो पाते। किसी अच्छे बदलाव का कोई एक सम्पल बस्ती में उभर आता हैं तब यह लोग उस बदलाव को स्वीकारते हैं। संगठित प्रयासों के एक घटना का वर्णन समाज सेविका झामरे जी करती हैं की, बस्ती में कुछ दिन बौद्ध धर्म के क्लास चलाये, शरुआती दिनों में बहुत कम उपस्थिति रहती थी एक दिन ऐसा आया की बस्ती के लोग धर्मांतरण के लिए तयार हुए और अधिकतर लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की यह उनका सामूहिक निर्णय हैं और संगठित प्रयास हैं। अर्थात इस समुदाय में संगठित होने के भाव को देखा गया है जिसके लिए शिक्षा का होना इतना महत्वपूर्ण नही माना जा सकता परन्तु किसी समुदाय के संगठित होने के पीछे क्या ऊदेश्य हैं, किस बात के लिए होना चाहिए, क्या उचित और क्या अनुचित हैं, बदलाव का क्या परिणाम हो सकता हैं, बदलाव क्यों जरुरी हैं आदि के समझ को विकासित करने में शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को देखा जाता हैं।

शिक्षा के प्रति उदासीनता :-वडार समुदाय बरसो से घुमतु जीवन व्यतीत करते आया हैं। घुमंतू जीवन यापन ने शिक्षा से वंचित रखा हैं। किसी मनुष्य के लिए

अन्न, वस्त्र और निवास बुनियादी जरुरुते होती है। पर इस समुदाय के लोग मनुष्य होने के बावजूद भी इनकी बुनियादी जरूरतों में केवल जीने के लिए पेटभर खाना पर्याप्त हैं। सिर पर निवास हेतु छत और अच्छे वस्त्र उनके लिए कभी बुनियादी नही रहे हैं। इस सोच वाले समुदाय के लिए शिक्षा का दूर दूर तक विचार नहीं रहा होगा।

सरकारी दस्तावेजों-

सतत स्थानातरण के कारण इस समुदाय के पास अधिकृत सरकारी दस्तावेज की कमी पायी जाती है। कुछ गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और सरकारी प्रशासनों की सहायता से सरकारी दस्तावेजों को बनाया गया हैं। इस बस्ती मे अधिकतर परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं परंतु बीपीएल के राशन कार्ड बहुत कम परिवारों के पास हैं, अधिकतर वडार परिवारों के बैंक पासबुक, आधार कार्ड, रेशन कार्ड दिखाई देते हैं परंतु जाति प्रमाण पत्र बहुत कम परिवारों के पास हैं कारण पता चलता हैं की जाति प्रमाण पत्र के लिए पचास वर्ष पूर्व पहचान के दस्तावेज की जरूरत होती हैं और परिवार कई एक जगह स्थायी नहीं होने के कारण प्रमाणित दस्तावेज नहीं मिलते इसलिए जाति पत्र निकल नहीं पाते। वर्ष 2008 में प्रथम सम्बुद्ध महिला गैर सरकारी संगठन के अथक परिश्रम और उग्र आंदोलन के आधार पर विशेष योजना के तहत इस संगठन ने समुदाय के चंद लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं। 2008 में सबसे पहले सम्बुद्ध महिला संगठन की सदस्य शारदा ताई झामरे हमारे बस्ती आयी थी। उस समय हमारे बस्ती के बहुत कम बच्चों का विद्यालय में प्रवेश हुआ था। सन 2008 में इन समुदायों के पुरुष मिटटी के मकान, गटरों के खड्डे लाइने, शौचालय के खड़े आदि मेहनत से भरे खुदाई कार्य करते हैं। जिसके लिए पुरे परिवार के साथ स्थानांतरण करते थे। गटर यां लाइन खोदने का पूरा कार्य ठेके में लेते थे और तीन चार परिवार मिलकर उस कार्य को पूरा करते थे एवं प्राप्त आय को पुरे परिवार में समान रूप से बाटते थे। बुजुर्ग पुरुष घर पर बैठे मिटटी पत्थर की नक्शीदार मूर्तियाँ, पुतले एवं मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बस्ती के अधिकतर घरों में सूयर को पालते थे एवं उन्हें बेचकर भी आय प्राप्त करते थे(सम्बुद्ध महिला संगठन की रिपोर्ट)। सन 2010 से सुबुद्ध महिला गैर संगठन की शारदा झामरे के प्रयास से इस समुदाय को स्थायी एवं रोजगार प्राप्ति के लिए वर्धा के जिल्हाधिकारी से निवेदन कर नगरपरिषद (पालिका) वर्धा मे सार्वजनिक प्रधान रस्ते, गलियाँ, सार्वजनिक कार्यालय, शौचालय आदि मे साफ सफाई और कबाड़ी उठाने का काम दिलाने के प्रयास किए गए और उन्हे मासिक तौर पर 6000 से 8000 हजार की स्थायी नौकरी देने के प्रयास को देखा गया हैं। 20 से 40 आयु वर्ग की वडार महिला सुबह 5 बजे से शहर के बाहर 5 किलोमीटर की दुरी पर खदानों में शहर बाहर फेके कचड़ा कबाड़ी को उठाकर जमा करती हैं और कबाड़ के बड़े व्यापरी को बेचती हैं। रोज सुबह के ३-4 घंटे में 300-500 रुपये तक की आय प्राप्त करती हैं। अपितु यहाँ इन महिलाओं को विभिन्न समस्याओं जैसे कुत्तों का भौकना, काटना, मच्छरों, साप, इन्चु के डंख आदि हैं। यह महिलाएँ अपनी युवा बेटी को अपने साथ कबाड़ उठाने के लिए साथ ले जाती हैं ताकि ज्यादा कबाड़ जमा हो और अधिक आय प्राप्त हो।। बस्ती की बुजर्ग वडार महिला बालों पर बर्तन बेचने का कार्य करती हैं जिससे 100-150 रुपये आय प्राप्त करती हैं।

क्र	दस्तावेज़	लाभार्थी
1	राशन कार्ड अंत्योदय कार्ड	40
2	निराधार योजना	05
3	आधार कार्ड अपडेट	-
4	नए आधार कार्ड	-
5	पैन कार्ड	-
6	पहचान पत्र (आर्वी नाका बस्ती)	35
7	सुकन्या योजना	-
8	जाति प्रमाण पत्र	10
9	कचरा वेचक प्रमाण पत्र	20

नशे की आदते:-वडार समुदाय के लोग मेहनती और कष्ट भरे कार्य करते पाए जाते हैं। इस बस्ती मे वडार समुदायी लोगों के अपने देशी शराब की दुकाने हैं और अन्य समुदाय भी शराब को बेचते हुए दिखाई देते हैं जिसका प्रभाव बस्ती के लोगों पर दिखाई देता हैं। इस समुदाय के पुरुष सुबह 6 बजे खुदाई के काम हेतु घर से निकलते है और बस्ती से ही शराब पीकर निकलते हैं। सबसे गंभीर समस्या यह हैं की बस्ती की कुछ महिला भी शराब का सेवन करते पायी गई हैं। अधिकतर महिला गुटखा, खर्रा का सेवन करती हैं। अधिकतर नौजवानों मे गुटखा, खर्रा की आदते हैं। वृद्ध महिला पुरुष दोनों मे तंबाखू की आदते दिखाई देती हैं। वृद्ध पुरुषों मे बीड़ी की आदते हैं पर सिगरेट की आदते दिखाई नहीं देती। शराब के नशे के कारण बस्ती रोज रात में पति पत्नी के झगडे दिखाई पड़ते हैं। शराब पीकर पुरुष घर आने पर महिला उनकी भाषा में "*सरत तागिजा स्वचा उ* " अर्थात शराब पीकर आया क्या। अगर युवा बेटा शराब पीकर आता हैं तो माता के शब्द उनकी भाषा में "नेबन लेकान येर उ" अर्थात जैसा बाप वैसा बेटा हैं।

बस्ती में दिन में शराब पीकर पड़े

शोधार्थी द्वारा बस्ती के अवलोकन में देखा गया की गैर सरकारी संगठन द्वारा नशे की आदतों को कम करने के विशेष प्रयास को देखा नहीं गया हैं। बस्ती में शराबो की अधिकतर दुकाने पाई जाती हैं और वडार समुदाई लोग मेहनत भरे कार्य करते हैं उन्हें नशा किये बिना काम करना असंभव हैं। इसीलिए इन संगठनों ने इसमे सुधार के कोई विशेष प्रयास नही किये हैं

वडार समुदाय के शिक्षा हेतु गैर सरकारी संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों का अध्ययन करना।

बच्चों के नामांकन/ प्रवेश संबंधी समस्याओं संबंधी

इस बस्ती के बच्चों को कोई भी विद्यालय प्रवेश नहीं देते थे। हमारे बच्चे चोर हैं, शरीर की बदबू आती हैं, अन्य बच्चों को मारेंगे, कपड़े अच्छे नहीं हैं, अन्य बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे आदि अनेक कारणों से हमारे बच्चे 2008 तक विद्यालय नहीं जा सके परंतु संबुद्ध महिला संगठन की शारदा झामरे ताई ने वसंत प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर से संपर्क कर और वर्धा के जिला कलेक्टर की मदत से 2008 मे हमारे बच्चों को सर्वप्रथम विद्यालय मे प्रवेश दिलाये तब तक हमारे बच्चे किसी विद्यालय मे नहीं पढ़ते थे। अब बस्ती के आस-पास के पाँच से छह विद्यालय मे बच्चे पढ़ने जाते हैं। 2005 मे क्रिश्चन मिशनरी के पादरी ने बस्ती के कुछ बच्चों को उनके नागपुर के छात्रावास मे शिक्षा देने के लिए लेकर गए थे। बस्ती के कुल 10 बच्चों मे से चार बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं बाकी बच्चें विद्यालय छोड़कर भाग आए थे जो आज भंगार उठाने का काम कर रहे हैं। 2016 मे स्त्री मुक्ति संगठन की शीतल चचलकर ताई ने जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते उनके लिए पूरक कक्षा चलाई। वे बच्चों को नोटबुक, बुक, पेंसिल, पेन मुफ़्त मे देती थी और बच्चों को बारहखड़ी, शब्दों के उच्चार, अक्षर पहचानों, पाहड़े आदि बुनियादी पढ़ाई कराती थी। अधिक बच्चें कक्षा मे आए इसलिए बच्चों को पिकनिक, गेम किट, अलग-अलग गेम खेलती थी और अधिक बच्चें उस कक्षा मे जाते थे परंतु उनका प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो उनका बस्ती आना अचानक बंद हुआ। मोहित शैक्षिक व सामाजिक संस्था के मोहित सहारे सर ने 2016 से फुटपाथ स्कूल के माध्यम से बस्ती के सभी कक्षा के बच्चों के विकास के लिए रोज शाम 7 बजे बस्ती के समाज मंदिर मे कक्षा चलाते हैं।

गुणवतापूर्ण शिक्षा संबंधी:

अधिकतर गैर सरकारी संगठन के शैक्षिक कार्यों में देखा जाता हैं की वडार बच्चों के नामांकन को बढ़ाने की कोशिश रहती हैं। बस्ती के लगभग सभी वडार बच्चों के विद्यालय में प्रवेश पाए जाते हैं। अभिभावक के शिक्षा स्तर में अधिकतर अभिभावक

औन्जल संगठन की प्राजक्ता मुठे जी ने इन बच्चो को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिए निजी ट्यूशन कक्षा चलाई हैं। स्मार्ट कक्षा में व्हाईट स्मार्ट लगाए, प्रोजेक्टर के माध्यम विडिओ को दिखाया जाता हैं परन्तु इस ट्यूशन की फ़ीस अधिक होने के कारण कम बच्चे यहाँ पढने जाते हैं।

प्रौढ़ रात्री शिक्षा कार्यक्रम:

प्रौढ़ शिक्षा के लिए गैर संगठन द्वारा बस्ती किये प्रयास को शोधार्थी द्वारा अवलोकन किया गया विशेषता महिलाओं को शिक्षित करने हेतु बस्ती प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को आयोजित किया हैं।

स्त्री मुक्ति सगठन की मापेसकर ताई

शिक्षा के महत्व संबंधी

मोहित शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था वर्धा के अध्यक्ष मोहित सहारे सर जिन्होंने सन 2016 से इस बस्ती के सभी कक्षा के बच्चों की रोज शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक बस्ती के समाज हनुमान मंदिर के बाहर खुली जगह पर गणित, अंग्रेजी, मराठी की क्लास लेते हैं। ताकि बस्ती के बच्चों को भाषा और अंकगणित जैसे कठिन विषय आसानी से खेल कूद के माध्यम से समझे और बच्चों को विद्यालय में इस विषय में रूचि निर्माण हो सके जो बच्चे इस विषय से डरकर विद्यालय नही जाते ऐसे सभी बच्चों को इस संगठन ने प्रशिक्षित किया हैं। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष के अंत में आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन किया जाता हैं। यह संगठन प्रत्येक वर्ष विद्यालय शुरू होने पर बच्चों को स्कूल बैग, कम्पास बॉक्स, पेन पेंसिल का नियमित वितरण करती हैं। इसके साथ बच्चों के जन्म दिवस पर खेल के साहित्य का वितरण करते हैं।

विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों के लिए प्रेरणात्मक कार्यक्रम:

वडार बस्ती में कक्षा 7 से ड्राप आउट का प्रतिशत अधिक होता हैं बच्चे अपने माता-पिता के साथ काम पर जाते हैं बस्ती के ड्राप आउट किये अधिकतर बालक भंगार उठाने का कार्य करते हैं। बच्चो के ड्राप आउट को लेकर सम्बंधित संगठन द्वारा अभिभावकों को सजग किया जाता हैं। उन्हें विद्यालय भेजा जाए इसलिए कुछ संगठन घर-घर जाकर अभिभावकों को प्रेरित करते हैं परन्तु ड्राप आउट को कम करने के लिए बस्ती में किसी कार्यक्रम का आयोजन होते हए नही देखा जाता हैं। जो बच्चे ड्राप आउट किये हैं ऐसे बच्चों के लिए बस्ती में कक्षाओं का आयोजन होते हुए भी दिखाई नहीं दिया हैं।

जागरूकता एवं अभिज्ञान- जागरूकता से लोग उन मुद्दों से अवगत होते हैं जो उन्हे और उनके समुदायों को प्रभावित करते है। जागरूकता के कारण वे बदलाव के शक्ति को पहचानने लगते हैं।

जो वडार पुरुष खुदाई कार्य करने अन्य सभ्य लोगों के साथ जाते हैं और उनके संपर्क में अधिक दिन रहते हैं वे उनके विचारों एवं रहन-सहन से प्रभावित पाए जाते हैं। शिक्षित लोगो से किये साक्षात्कार से पाया गया की, अधिकत्तर शिक्षित वडार युवा बौद्ध समुदाय के लोगों से और डॉ, बाबासाहेब आम्बेडकर जी के विचारों से प्रभावित पाए जाते हैं। समुदाय के अधिकतर जाने माने शिक्षित लोगों पर आंबेडकरी दलित साहित्य एवं उनके संगठन के कार्यों का प्रभाव दिखाई देता हैं पर समुदाय के अशिक्षित लोग आम्बेडकर जी अपना नेता नही मानते हैं उन्हें दलितों का नेता समझते है। बस्ती के अधिकतर लोगों में जागरूकता का अभाव पाया जाता हैं। गैर सरकारी संगठनो द्वारा जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं पर इस कार्यक्रम में लोगो की उपस्थिति कम होती हैं। कुछ लोग बदलाव को स्वीकारते हैं पर ऐसे लोगों की बस्ती में निंदा की जाती हैं फिर उन लोगो का बहुमत के आगे नही चल पाता हैं। इस समुदाय के लोग किसी नए अच्छे बदलाव से जरुरी समझते संगठित रहना जरुरी समझते हैं। अत: इस समुदाय में जागरूकता लायी जा सकती हैं अगर शिक्षित समुदाय की संख्या अधिक बढ़े। यह संगठित समुदाय हैं बदलाव के लिए संगठन महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में बस्ती में कोई भी भरोसेमंद आदर्श व्यक्ति न होने के

कारण यह समुदाय हर समय असुरक्षिता की बात करता हैं। परन्तु इस बस्ती में स्त्री मुक्ति संगठन ने जागरूकता को बढ़ाने के लिए 20 दिवसीय कार्यक्रम चलाया हैं।

वडार समुदाय के शिक्षा हेतु गैर सरकारी संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों का अध्ययन करना।

स्त्री मुक्ति संगठन ने कबाड़ी उठाने वाली महिलाओं को एकत्रित कर उन्हें समुपदेशन किया और विभिन्न प्रशिक्षण द्वारा उन्हें रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जिसमे साबुन बनाना, फिनाइल बनाना, कंपोस्ट ख़त बनाना आदि के साथ कताई बुनाई का प्रशिक्षण दिया हैं।

आर्वी नाका कचड़ा वेचक वडार महिला (कम्पोस्ट बास्केट, शिलाई कार्य प्रशिक्षण लेते हुए)

इस संगठन ने वडार बस्ती की कुल 180 महिला को प्रशिक्षित किया और अलग-अलग प्रशिक्षण द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। स्कूल, महाविद्यालयों के बच्चों के कैंप लगाकर उन्हें वडार महिलाओं से परिचित कराया

विद्यालयों में शिबिरों का आयोजन कर सुजान भावी नागरिको को इन महिलाओं का परिचय देते हुए प्रीति जोशी

अशिक्षित महिलाओं के लिए बुनियादी शिक्षा हेतु प्रौढ़ शिक्षा कक्षा प्रारंभ की गई है। इस कक्षा में 20 महिलाएं नियमित रूप से उपस्थित होकर पढ़ना-लिखना और गणना करना सीखी हैं, ताकि उनके साथ धोखा न हो। वर्धा के 11 स्कूल और 3 कॉलेजों में जागरूकता शिविर महाविद्यालय के कन्या छात्रावासों में जागरूकता शिविरों का आयोजन कर कूड़ा बीनने वाली महिलाओं से परिचित कराया हैं ।

वस्ती में कचरा वेचक बच्चों के लिए ट्यूशन कक्षाएं, ड्राइंग कक्षाएं ,शिल्प कक्षाएं लेते निखिल जवाद और शीतल मैडम :-वडार बस्ती की कचड़ा वेचक महिलाओं के बच्चों को विद्यालय छुट्टी के दिनों कुल 20 दिन ट्युशन कक्षा चलाई और बच्चों की शिक्षा में रूचि बढ़ाने हेतु ड्राइंग और शिल्प कक्षा भी इस संगठन के कार्यकर्त्ता ने चलाई हैं। परन्तु संगठन के पास प्रशिक्षित कर्मचारी की कमी दिखाई देती हैं। संगठन प्रयास कर रही हैं पर समय और प्रशिक्षित कर्मचारी की कमी बस्ती में शिक्षा में निरंतरता रखने में बाधाएँ हैं। वडार बच्चों नियमित रूप से इस कक्षा में शामिल होते हुए दिखाई देते हैं।

बस्ती में स्त्री मुक्ति संगठन की नैना पाटिल द्वारा गणित, मराठी की कक्षा लेते हुए

मोहित शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था वर्धा:-मोहित शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था वर्धा के अध्यक्ष मोहित सहारे सर जिन्होंने सन 2016 से इस बस्ती के सभी कक्षा के बच्चों की रोज शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक बस्ती के समाज हनुमान मंदिर के बाहर खुली जगह पर गणित, अंग्रेजी, मराठी की क्लास लेते हैं। ताकि बस्ती के बच्चों को भाषा और अंकगणित जैसे कठिन विषय आसानी से खेल कूद के माध्यम से समझे और बच्चों को विद्यालय में इस विषय में रूचि निर्माण हो सके जो बच्चे इस विषय से डरकर विद्यालय नही जाते ऐसे सभी बच्चों को इस संगठन ने प्रशिक्षित किया हैं। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष के अंत में आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन किया जाता हैं। यह संगठन प्रत्येक वर्ष विद्यालय शुरू होने पर बच्चों को स्कूल बैग, कम्पास बॉक्स, पेन पेंसिल का नियमित वितरण करती हैं। इसके साथ बच्चों के जन्म दिवस पर खेल के साहित्य का वितरण करते हैं।

मोहित सहारे सर बच्चों को नोट बुक, स्कूल बेंग वितरित करते हुए

स्त्री मुक्ति संगठन मुंबई:-स्त्री मुक्ति संगठन अन्तराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता हैं। भारत के कई पिछड़े राज्यों में यह संगठन महिला को सशक्त करने का कार्य कर रही हैं। वर्धा के वडार महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कचड़ा वेचक महिलाओं को घन कचड़ा व्यवस्थापन प्रकिया के तहत रोजगार दिलाए। वर्धा नगर पालिका में अस्वच्छ रोजगार के प्रमाण पत्र दिलाकर कर पालिका में मासिक आय के रोजगार उपलब्ध कराए। वर्धा पिपरी मेघे और नालावाडी ग्रामपंचायत से करार कर उस परिसर के प्रत्येक घर से वडार महिला कचड़ा जमा करती और उस कचड़े से कम्पोस्ट खाद तयार करके बेचकर आय प्राप्त करने के अवसर दिलाए। वडार महिलाओं में आत्मविश्वास निर्माण करने के उद्देश्य से वडार महिला और विभिन्न सरकारी कार्यालय जैसे पुलिस थाना के अधिकारी, जिलाधिकारी, तहसीलदार, समाज कल्याण कार्यालय के अधिकारी, बौद्ध विहारों के उपासक, महाविद्यालयों के शिक्षक, अलग-अलग क्षेत्र में कार्यरत समाज सुधारक, एवं जिला चिकित्सक आदि के कार्यालयों में प्रत्यक्ष भेट कराकर उनके साथ बातचीत करके अन्दर के डर को कम करके महिलाओं में आत्मविश्वास निर्माण करने के कार्यक्रम चलाए जो इन महिलाओं के लिए विशेष मददगार साबित हुए आज यह महिलाएँ किसी भी अधिकारी से बिना डरे बात करने का साहस करती पाई गयी हैं । वडार लोगों के सामाजिक सशक्तिकरण में इस संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं।

इस संगठन ने बताया की, आदि सभी करने बावजूद भी शिक्षा का अभाव होने से यह महिलाएँ खुद को कमजोर महसूस करती हैं इसलिए रोज रात बस्ती में महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा के क्लास चलाए जिसमे पैसे व्यवहार, लेखा-जोखा, अक्षर पहचान, अंकगणित जैसे विषयों से परिचय कराया। वडार बच्चों की क्लास चलाई और विद्यालयों में प्रवेश के लिए अभिभावकों को मार्गदर्शन किया साथ ही विद्यालयों से सम्पर्क कर सरकारी शैक्षिक योजनाओं के प्रति सजग कराया और योजनाओं के लाभ से वंचित छात्रों को शिष्यवृत्ति, किताबे, नोटबुक पेन पेंसिल, स्कूल ड्रेस आदि का वितरण किया जाता हैं। इसके साथ बच्चों के जन्म दिवस पर खेल के साहित्य का वितरण किया जाता हैं। उपरोक्त से विश्लेषण से यह ज्ञात होता हैं की वडार समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठन भूमिका महत्वपूर्ण हैं। कुछ संगठन केवल धन प्राप्ति के लिए कार्य करती हुए पाई जाती हैं। कुछ संगठन समाज प्रतिष्ठा, संगठन की गरिमा और धन प्राप्ति की लालसा से परे भी कार्य करते हुए पाए जाते हैं।

****

सन्दर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography):

प्रकाशित पुस्तक

1. पवार एस. (2012), वडार समाज और संस्कृति, प्रकाशन ओड्र सेवा संस्था।
2. चव्हाण भी. व्य.(2007), वडार समाज : इतिहास संस्कृति।
3. अत्रे त्रि.ना. (2009), *गुनहेगार जाति,* वरदा प्रकाशन प्रा. लि. पुणे।
4. लष्कर वि. (2015) *वडार समाज :समाजशास्त्रीय अभ्यास* , हरिति प्रकाशन, पुणे।
5. गायकवाड, ल. (2016), "वडारवेदना" साकेत प्रकाशन औरंगाबाद ।
6. माने लक्ष्मण, (1997),*विमुक्तायन* ।
7. चव्हाण,आर.(2004).भटके विमुक्त की जातपंचायत, वॉल्यूम -2, पुणे: सुगावा प्रकाशन।
8. शर्मा, एस.(2004). शिक्षण और अधिगम की सृजनात्मक पद्धतियाँ, नई दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी |
9. शर्मा, सु. (2004),भारत में शिक्षा व्यवस्था: वाणी प्रकाशन |
10. त्रिपाठी ,स.(1993, शिक्षा -सिद्दांत ,दिल्ली : वेंकेट्स प्रकाशन |
11. एंथोनी, गि.(संपा) (2008). समाज शास्त्र का आलोचनात्मक परिचय: ग्रन्थ शिल्पी प्रकाशन |
12. जोशी, म .(संपा). भारतीय संस्कृति कोष, वॉल्यूम -3 ।
13. सिन्हा,वी..(२००९).आधनिक भारत का इतिहास, नईदिल्ली : ज्ञानदा प्रकाशन |

शोध प्रबंध :

1. येथेकर, सू. (2010), वडार समुदाय के लोकगीत और लोक कहानी का अध्ययन अहमदनगर जिले के सन्दर्भ में
2. देशमुख, वि.वी. (2010) , वडार जाति के सामाजिक, आर्थिक संघर्ष और भविष्य : बीड जिले के संदर्भ में
3. पिसेल,अ. एस.(2014) वडार समाज की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन
4. मुठे,पा.रा.(2017) *वडार समुदाय के सामाजिक परिवर्तनों का समाजशास्त्रीय अध्ययन* (मुठे,पा.रा. 2017)
5. वडार समाज के देवालय की चित्र परम्परा और संस्कृति (कुलकर्णी, व्ही. विक्रम. 2016)
6. मराठवाडा के घुमंतू समाज वडार जाति का समाजशास्त्रीय अभ्यास (तंगालवाड. द. मा. 2010)
7. भारत के महाराष्ट्र राज्य की डी-नोटीफाईड जनजाति वडार : एक नृजातीय अध्ययन (लष्कर, वि. 2013)
8. पिसेल, स. (2014), वडार समाज के सामजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का चिकीत्सक अध्ययन, भारती विद्यापीठ
9. कुलकर्णी,व्ही.(2016), वडार समाज के देवालय की चित्र परम्परा और संस्कृति, तिलक विद्यापीठ
10. कंम शिंग विप. (2004), *चीनी संस्कृति में सशक्तिकरण एक चिकित्सक प्रतिबिंब* : सशक्तिकरण प्रतिमान, सोशल वर्क, वॉल्यूम 49, इशू 3, पेज सं . 479
11. सिंह पी.के.(2018), *भारत में आदिवासी विकास में एन. जी. ओ. की भूमिका* 2018 , ISSN:0976-299X Online ISSN: 0976-299X Vol : IX Special Issue :1 July-2018।
12. सारथी के. (2009), महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका, आयएसएसएन-2706-8927- 8927, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ अडवांस अकादमी स्टडीज 2020, 2(1):305-308।
13. कुमारी विणा, (2018) , महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एप्लाइड रिसर्च, आयएसएसएन :2394-7500,आय.जे.अ.आर. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ अडवांस अकादमी स्टडीज 2020, 2(1):305-308।
14. सुशील के.वी. (जुलाई,2018) , "कौशल भारत कार्यक्रम द्वारा जनजातिय सशक्तिकरण मुख्यतः महिला सशक्तिकरण (कौशल भारत योजना पर केन्द्रित)।
15. वेबसाइट :
16. https://www.bookganga.com/eBooks/Books/Details/4773658078110300157
17. https://www.linkedin.com/pulse/vadar-samaj-history-vadar-samaj
18. http://www.freepressjournal.in/mumbai/maharashtra-brings-more-castes-in

अखबारों एवं इन्टरनेट पर प्रकाशित लेख

1. प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल (5 सितम्बर २०२१) विमुक्त, घुमंतू जनजातियों के इतिहास का पुनर्लेखन जरुरी :दैनिक भास्कर।
2. प्रा. भीकू रामजी इदाते, (30 अगस्त २०२१). विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियाँ स्वतंत्र सैनिक एवं संस्कृति रक्षक :(दैनिक भास्कर)।
3. www.पत्रिका .कॉम लखनऊ न्यूज (अक्टूबर 2014) विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियाँ की पहचान और जनगणना जरुरी

A Study on Stress Management among Women Police Personnel in Lucknow District

Prof. Rakesh Dwivedi
Professor & Head
Department of Social Work
University of Lucknow, Lucknow
Shishir Chandra Rai
Research Scholar
Department of Social Work
University of Lucknow, Lucknow

ABSTRACT

Women Constitutes only 10.5 per cent of the entire police force across states and UTs according to the Indian Justice Report (IJR) by Aneesha Mathur. Bureau of Police Research and Development shows that police service is not limited to male members only. It shows that numbers of females are increasing rapidly in this service. Demography is the statistical study of population, i.e., changes over time and space in response to birth, migration, aging death etc. Stress plays an important role in our day-today life. It underlies conditions as psychosomatic diseases, heart diseases. It affects ones emotional, social and Family life as well. As we all know that policing is one of the most stressful professions. Police personnel plays various types of roles in their routine work such as protect life, protect property and investigate crimes. When we talk about women police personnel it becomes more sensitive because we start thinking about working condition of women police personnel such as what are the factors that influence the level of stress? How does stress have its effect over a personality of women police personnel? The purpose of the study is to find out the coping strategies with stress of women police personnel.

Keywords: Stress Management, Women Police.

INTRODUCTION

The current study focused on the symptoms of stress, stressors and coping strategies of women police personnel in Lucknow district to cope up with all this. Police plays an important role in the smooth functioning of society. The main task what they perform is to maintain law and order and create a peaceful environment. Every human being has to deal with stress and strain in their everyday life. As we are talking about police personnel so it's quite different from ordinary individuals. They have to face different kind of stress in their daily life just because of their job responsibilities and duty time shifts. They are law enforcement officers so they have to deal with all those anti-social elements to make societies functioning smoother. Different types of pressure they have to face during their job responsibility. Police personnel have to face dangerous situation in their daily routine. The kind of environment they are working in is quite different from other occupation.

Police officers suffer a variety of physiological, psychological and behavioural stress effects. It affects society in various ways. Officers operating under stress may be at greater risk of error which can have negative effects on their performance. One more thing need to be taken care of that is there are challenges in police service they have long duty hours and inadequate facilities at workplace sometime they have long distance travelling without proper time and place to rest. When we talk about Indian police system it cannot be denied that they have to work under stressful environment. The presence of such kind of stress among police personnel is very common but it is not being recognized as it should have been. We often hear about through the media about the police brutality, indiscipline and the mismanagement. Dhaliwal (2003), pointed out that most of the policemen in India remained

overburdened with the work and have to stay away from their families and children for a long period of time which often leads to family problems and disputes. Inability to handle domestic tension and job-related stress may translate into rude behaviour on duty. It has also been observed that officers treat their subordinates in a shabby and insulting manner.

G Ragesh (2017), Occupational stress has become a common problem in the life of police professional which causes stress and its impact is on mental as well as physical health which can be seen very easily but It's not addressed by the concerned authorities and health professionals in India.

Police Personnel faces variety of stress including physiological, psychological, and behavioural stress effects. It's suggested that particular attention should be given to occupational stress in policing, as its potential negative consequences affect society in more direct and critical ways than those stressed in most other occupations. Officers operating under severe and chronic stress may well be at greater risk of error, accidents and overreaction that can compromise their performance, jeopardize public safety and pose significant liability cost to the organization. (Institute of Heart Math, 1999; Colwell. 1988; Violanti. 1992; Mathur,1999; Marshall,1986).

Data on the sanctioned strength of State Police Forces indicate that out of 26.31 lakh of the total police force in the country, 17.55 lakh are Civil Police, 3.07 lakh are District Armed Reserve Police and the remaining 4.05+1.64 (IRB) lakh, are State Special Armed Police. The total sanctioned strength is the **highest in Uttar Pradesh (4.16 lakh), followed by Maharashtra (2.38 lakh).**

Sangeetha. S. R, Nawab Akhtar Khan et al; (2020) in Impact of job stress on personal and professional life of police personnel explained how the job of police personal affect their personal and family life. In such condition they have to stay alert, dedicated, and responsible towards their job and duty to maintain peace, law and order in the society.

Objective of the Study

To find out the factors causing stress among women police personnel.

To know about the coping strategies followed by them to overcome stress.

Methodology

After doing review of literature, it was found that condition of women police personnel are studied in foreign countries. When we talk in Indian context studies on women police personnel is conducted in southern part of the country. Northern India has lack literature on Women police personnel. This study is descriptive in nature and the size of the universe is 30 in number. Researcher has used a purposive sampling from non-probability sampling. Sample size is taken 28 with the help of Krejcie and Morgan Table.

Area of the study is Mahanagar Police Commissionerate in Lucknow. Mahanagar police commissionerate consist of 03 Thana's. The data collected in the research is primary data. The researcher has used online questionnaire which is consist of 11 questions.

Findings and Discussion

Table:1 Profile of the respondents:

Profile of the respondents	Percentage
Age	
Up to 25 years	39.3%
26 to 40 years	42.9%
Above 40	17.9%
Marital Status	
Married	21.4%
Unmarried	75%
Widow	3.6%
Separated	0%
Area of Operation	
Law & Order	42.9%
Armed Reserve	3%
Traffic	10.7%
Crime	4.1%
Office	39.3%
Reason for choosing police job	
Job Security	21.4%
Adequate Salary	1.6%
Opportunities for promotion	2%
Respect and Recognition	39.3%
Responsibility	35.7%

Table:2 Factors causing stress and their coping strategies:

Coping Ability from stress	
Poor	10.7%
Neutral	50%
Good	39.3%
Coping Technique	
Yoga	32.1%
Meditation	28.6%
Medication	10.7%
Other	28.6%
Feeling during stress	
Loss of appetite	14.3%
Over eating	21.4%
Normal	39.3%
Irritated	25%
Cause of stress	
Kind of duty	17.9%
Working hours	17.9%
Pressure from superior	28.6%
Other	35.7%
Suggestion	
Increment in salary	17.9%
Reduce working hours	14.3%
Stress management workshop	35.7%
Other	32.1%

CONCLUSION

Police personnel are going through a significant occupational stress. One more thing is found that the level of stress is more in younger age group police personnel especially those who are at lower-level rank police personnel. When we talk about female police personnel they have higher level of mental health issues. It is needed immediate attention from the concerned authorities in police services. Stress reduction programme is recommended to women police personnel for the wellbeing of police personnel. Police personnel are often considering as rude persons and highhanded. However, outsiders cannot imagine their working conditions.

****

REFRENCES

1. Ragesh, G., Tharayil, H. M., Raj, M. T., Philip, M., & Hamza, A. (2017). Occupational stress among police personnel in India. *Open Journal of Psychiatry & Allied Sciences*, *8*(2). https://doi.org/10.5958/2394-2061.2017.00012.x
2. Sangeetha, S. R., & Khan, N. A. (2020a). Impact of Job Stress on Personal and Professional Life of Police Personnel. *International Journal of Scientific Research*, *9*(10). https://doi.org/10.36106/ijsr
3. Tiwari, S., & Agarwal, S. (2019). Workplace stress faced by women police personnel working in police department. *International Journal of Home Science*, *5*(2), 36–38.
4. Gupta, B., Singh, S., Sharma, D., & Mishra, P. (2019). A study of stress, coping, social support, and mental health in police personnel of Uttar Pradesh. *Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine*, *23*(2), 73. https://doi.org/10.4103/ijoem.ijoem_184_18
5. Ranta, R. S., & Sud, A. (2007). Management of Stress and Burnout of Police Personnel. *Indian Academy of Applied Psychology*, *34*, 29–39.
6. R & Khan - International Journal of Scientific Research – 2020

Role of NGOs in the Educational and Social Upliftment of Minorities in Kolkata

Iqbal Ahmed*
Designation: Research Scholar, School Of Education,
Indira Gandhi National Open University.

Abstract

Kolkata, the capital of West Bengal, is a city known for its rich cultural heritage and diverse population. Within this vibrant tapestry of communities, minority groups often face socio-economic challenges and barriers to access quality education. There are 155 non-government organizations working for the educational and social upliftment of minorities in the city. These NGOs play a pivotal role in addressing the issues concerning the minorities and take initiatives in fostering the educational and social upliftment of minorities in Kolkata. Through exploratory survey research, this article examines the multifaceted contributions of NGOs in empowering minority communities through educational initiatives and social interventions.

Key words: NGOs, educational, social upliftment, minorities

1. Introduction

It is an open secret that the government or public sector is poorly managed due to scarce resources including shortage of staff and economic constraint which result in underdevelopment of underprivileged, marginalized and minorities of the societies in developing countries (Hillman, & Jenkner, 2004). Under these circumstances, NGOs mark their presence by contributing to socio-cultural and educational upliftment of the underprivileged sections of the society to a great extent.

Kolkata, the capital of West Bengal, is a city known for its rich cultural heritage and diverse population. Within this vibrant tapestry of communities, minority groups often face socio-economic challenges and barriers to access quality education. There are 155 non-government organizations working for the betterment of the underprivileged and backward sections of the society especially for the socio - educational upliftment of minorities in the city. Undoubtedly, NGOs play a crucial role in promoting the social and educational upliftment of minority communities in Kolkata, West Bengal. Through various initiatives and programs, NGOs address the socio-economic challenges faced by minorities and strive to create a more inclusive and equitable society.

Table 1: Religious Composition of Kolkata

Sl. No.	Religion	Population	Percentage	Religious Status
1	Hindu	34,40,290	76.5	Majority
2	Muslim	9,26,414	20.6	Minority
3	Christian	39,758	0.9	Minority
4	Sikh	13,849	0.3	Minority
5	Buddhist	4,771	0.1	Minority
6	Jain	21,178	0.5	Minority

Source: Census of India, 2011.

Table 2: Demographic Information of Kolkata

Indicators	Figures
Total Population	4,496,694
Total Wards	141
Total Area	185 Sq. Km.
Population – SC	5.4%
Population -ST	0.2%
Literacy Rate	87.1
Literacy Rate-Male	89.1
Literacy Rate-Female	85
No of Clusters	94

Source: Elementary Report Card- 2016-17, NEUPA

Table 2 provides vital demographic data of the city of Kolkata which is the most urbanised and advanced city of West Bengal. Apart from being the capital of West Bengal, it is also the educational, cultural, economic, and literary centre of West Bengal, as well as the eastern and north-eastern part of India. It is spread over 185 square kilometres of land on the bank of the Hooghly River. The city is divided into 141 words under 15 Boroughs of Kolkata Municipal Corporation. The SC population constitutes 5.4% and ST 0.2 % of the total population of Kolkata (4,496,694). It has an 89.1% male literacy rate, 85% female literacy rate and a total literacy rate of 87.1%.

NGOs in Kolkata undertake educational initiatives to improve access to quality education among minority communities. They adopt schools, set up coaching centres and organise vocational training programs in areas with a high concentration of minorities. Additionally, NGOs provide scholarships, educational materials, and mentorship programs to support minority students in their educational pursuits.

Moreover, NGOs work towards promoting socio-cultural inclusivity and diversity within minority communities. They organize cultural events, awareness campaigns, and community-building activities to celebrate the rich heritage of minority groups and foster intercultural understanding.

NGOs also focus on skill development and capacity-building programs to empower minority youth and adults. Vocational training centres run by NGOs offer courses in various trades such as computer skills, tailoring, handicrafts, and entrepreneurship.

In addition to direct interventions, NGOs engage in advocacy and policy dialogue to address systemic issues affecting minority communities. They advocate for the implementation of inclusive policies, allocation of resources for minority education, and protection of minority rights.

2. A brief history of the emergence of NGOs

It is appropriate to trace the evolution of NGOs and how they have become relevant. Records describing humanitarian work can be traced back to 1,400 BC when stone miners in ancient Egypt collected funds to help individuals of mining accidents (Dang, 2009). Records of NGOs can be traced back to 1807 after the slave trade was abolished by the British. This prompted the formation of several non-profit movements that addressed issues related to abolishing slavery and attempted to improve the conditions experienced by slave labour (Potapkina, 2006). Organizations such as **Save the Children**, **The Red Cross**, and **International Rotary Clubs** soon followed, and began to focus on other humanitarian causes. After World War II, NGOs started expanding and have become advocates for

social change around the world (Dang, 2009). NGOs are now gaining widespread attention because they are often viewed as alternative resources that can promote greater awareness, change and development in societies that are underserved or facing challenging issues that affect their quality of life.

3. Research Method of the Study

The study is intended to investigate "Role of NGOs in the Educational and Social Upliftment of Minorities
in Kolkata". The study used an *exploratory descriptive survey research method* for an investigation into different aspects of the problem under study. The study of this kind requires primary data basically from the target groups of different Non-government organisations related to socio-educational upliftment of the Minorities in Kolkata city of West Bengal.

Locale, Population and Sample of the study

Since Kolkata is the capital city and is cosmopolitan in nature with people from diverse socio-religious backgrounds living and enriching its beauty, it has been purposively chosen as the locale of the study. Hence, all the Heads/In-charge of an estimated 155 NGOs (http://www.wbnsou.ac.in/ student_zone/courses/ school of_professional_studies/disse rtation_guide/20220715_Final_List_of_NGOs_Field_Work_MSW_I_2022.pdf) of Kolkata formed the population of the study. Out of these 155 NGOs, 20 were selected as the sample of the study through proper sampling technique.

3.2 Sampling Technique

An attempt has been made to select fairly representative sample from this population by following non-probability (non-random) method of sampling. As the study requires data pertaining to the Educational and Social Upliftment of Minorities in Kolkata, only those NGOs which operate **in** minorities dominated areas were purposively selected for the study.

3.3 Tools Developed and Used in the Study

Since the study of this kind requires data basically from the primary sources such as the target groups of Heads/In-charge of the non-government organisations involved in socio- educational development of the minorities, it used questionnaires for collecting quantitative and qualitative data from the field. Some definitions of the same are given below.

3.3.1 Definition of Questionnaire

According to Goode and Hatt (1952, p.33), "the word questionnaire refers to a device for securing answers to questions by using a form which the respondents fill in himself."

Barr, et. al. (1953) defines a questionnaire as "a systematic compilation of questions that are submitted to a sampling of population from which information is desired".

Webster (1961) defines a questionnaire as "a written or printed form used in gatheringinformation on some subject or subjects consisting of a list of questions to be submitted to one or more persons." Brace (2004) describes the questionnaire as the medium of conversation between two people, albeit they are remote from each other and never communicate directly. It means it is a mediated tool for communication.

Raykov & Marcoulides (2011) and Nunnally & Bernstein (1994) emphasize that self- report questionnaires are of particular relevance for the assessment of variables that are not directly observable such as beliefs, attitudes, values and personality traits. Marsden & Wright (2010), Groves, et. al. (2009), Saris & Gallhofer (2007) and Bradburn, et. al. (2004) explain that a large body of literature and guidelines exist that elaborate on how these questionnaires should be applied and adapted to different research settings to facilitate the collection of high-quality data.

Keeping in view the above nature and usefulness of the questionnaire it has been chosen for the

present survey as a tool.

4. Role of the NGOs in Educational and Social Upliftment of Minorities

The primary data related to the social and educational upliftment of minorities in Kolkata as collected from the Heads/In-charges of Non-Government Organisations through employing data collection tools in the form of questionnaires are presented below :

Table 3: Areas of work of the NGOs (N=20)

Item No	Item	Alternatives	Total No. of Resp.-NGO	% of Resp.-NGO
1	Areas of work of the organisations	Education	20	100
		Health	11	55
		Environment	10	50
		Social work	14	70
		Legal Aid	02	10
		Woman Empowerment	07	35
		Others: Road safety, Street Children and Beggars, Promotion of Minority Language	03	15
	Total		20	100

Table 3 indicates the areas of work the respondent non-government organisations involved in. Out of 20 non-government organisations, all the 20 (100%) are involved in educational and literary work, while 14(70%) are performing work for social cause, 11(55%) are working in the field of Public Health, 10(50%) are dedicating themselves for improvement of environment, 07(35%) are working for women empowerment, 02(10%) are engaged in providing legal AIDS to needy people, 03(15%) are working for Road safety, Promotion of Urdu language and literature, Food cloth shelter for street children and beggars.

Table 4: NGOs enrolment drive to send out-of-school and drop-out students back to school (N=20)

Item No	Item	Alternatives	Total No. Resp.-NGO	% of Resp.-NGO
2	Has your organisation undertaken enrolment drive to send out-of-school and drop-out secondary students from Minority communities back to school?	Yes	12	60
		No	08	40
	Total		20	100

Table 4 highlights the enrolment drive undertaken by the respondent non-govt. organisations to send out-of-school and drop-out secondary students from minority communities back to school. Out of 20 respondents, 12 (60%) stated that they undertake such a drive, while only 08(40%) of them informed that they don't take such initiatives.

Table 5: NGOs visit to local minority schools (N=20)

Item No	Item	Alternatives	Total No. Resp.-NGO	% of Resp.-NGO
3	Has your organisation made any visit to local minority schools?	Yes	20	100
		No	00	00
	Total		20	100

Table 5 presents visits made by respondent-non-govt. organisations local minority schools. All 20 (100%) respondents stated that they take such initiatives regularly.

Table 6: NGOs motive of the visit to local minority schools (N=20)

Item No	Item	Alternatives	Total No. Resp.-NGO	% of Resp.-NGO
4	If Yes to Sl. No. 3, What could be the motive of the visit?	i. To get an idea of the physical condition of school	05	25
		ii. To get an idea of teaching-learning process there	15	75
		iii. To get an idea of the different problems/ challenges the school is facing	13	65
		iv. To offer / provide some govt. schemes/ programmes meant for the school	10	50
		v. Any others	11	55

Table 6 describes the motives of non-govt. organisations of visiting local minority schools. Out of 20 respondents, 05(25%) expressed that they visit 'to get an idea of the physical condition of school', 15 (75%) mentioned the motive as 'To get an idea of the teaching-learning process there', 13(65%) stated that they visit schools 'to get an idea of the different problems/challenges the school is facing', 10 (50%) informed 'to offer / provide some govt. schemes/programmes meant for the school' as their motive of visit. Apart from that, 11(55%) respondents have also provided 'Other motives' of visiting the schools.

Under any other motives, the respondent-organisations specified the following, which pertained to different themes.

1) **Regarding extending support for education**:

i) To get an overview of how the NGO can provide support in educational development of underprivileged section of the society especially the minority,

ii) To try to find out the reasons for downfall of educational standards of Minority

2) **Regarding providing awareness and counselling**:

i) To create educational awareness among secondary students especially about competitive examinations,

ii) To conduct academic and career counselling for secondary level students,

3) **Regarding scholarship**: To invite students to avail scholarship offered by the organization.

Table 7: List of Problems related to education of minority students (N=20)

Item No	Item	problems minority students are facing	Total No. Resp.-NGO	% of Resp.-NGO
5	What, according to you, are the main problems minority students are facing in Kolkata?	i. Large class size	12	60
		ii. Language policies interferences	16	80
		iii. Lack of students' motivation to learn	13	65
		iv. Huge workload on teachers of additional responsibilities	09	45
		v. Lack of school resources and facilities	14	70
		vi. Fund crunch for the improvement of infrastructure	10	50
		vii. Lack of adequate teaching material	13	65
		viii. Unavailability of standard books in minority languages	20	100
		ix. Lack of professional training	14	70
		x. Ineffective management	12	60
		xi. Lack of awareness among guardians	20	100
		xii. Shortage of teachers	19	95
		xiii. Carelessness on the part of teachers	14	70
		xiv. Lack of community participation	16	80
		xv. Political interference	09	45
		xvi. Poor standard of books provided by the govt.	16	80
		xvii. Other	09	45

Table 7 highlights the main problems minority students are facing in Kolkata in their education at school level.

The other problems as specified by them included the following which pertained to different themes:

1) Poor Quality of teaching:

i) Modernisation of teaching method is lacking in government sponsored minority schools,

ii) Students are weak in Language and numeracy skill from primary level primary that makes learning more difficult for them at secondary level,

iii) Lack of discipline among the learners.

2) Poor infrastructure:

i) Unhygienic condition of classrooms, toilets, ventilation problem in classrooms are some of the demanding situations at Minority schools,

ii) Unhealthy drinking water that causes lots of health issues,

iii) Insufficient lightning condition and few numbers of fans in crowded classrooms makes teaching learning a horrible experience.

3) Reservation policy:

i) Teachers not appointed as per sanction strength due to reservation of post in minority school

4) Shortage of teachers:

i) Shortage of subject teachers at minority schools.

Table 8: List of activities/programmes for social upliftment of minorities (N=20)

Item No	Themes	Activities/Programme
6	i.Awareness/Counselling/Health checkup Camps	Free Eye Checkup and Operation Camp
		Road Race to Create Awareness on Aids, Cancer
		Eye Check Up Camp
		Health Awareness for Girl Child
		Increase Preparedness and Resilience in Urban Community and Schools
	ii. Support & services to education	Distribution of science apparatus to Minority schools
		Running 3(three) Residential schools for street children and destitute
		Supply of cooked mid-day meal to schools
		Distribution of Scholarships
	iii.Course/Training/Coaching	English spoken classes
		DTP and Urdu language course
		Subsidized Basic Course + Advance Computing (Excel)
	iv.Social support	Distribution of Sewing Machines
		Distribution of Clothes

Table 8 shows the list of activities/programmes organised by the non-govt. organisations with collaboration from national or international organisations under govt. departments or private agencies. These activities/programmes are grouped into 04 themes. The theme named 'Awareness/Counselling/Health checkup Camps' has 05 responses pertaining to different programmes and initiatives taken for educational awareness and health camps for better health and hygiene. The theme 'Support and services to education' contained 04 responses highlighting different services provided to Minority schools. The theme 'Course/Training /Coaching' has 03 responses that describe various courses, training and coaching offered to students from Minority communities; the theme 'Social support' specified support in the form of distribution of clothes, sewing machines, etc. to the poor and needy people of the society specifically to those from the Minorities.

Table 9: Categories of agencies the organisations collaborated with (N=20)

Item No	Categories	Collaborated with (agencies /Organisations)
7	i. Govt agencies (State/ National)	Sarva Shiksha Abhiyan
		National Council for Promotion of Urdu language
		Nehru Yuva Kendra, New Delhi
		Ministry of Information and Broadcasting, GOI
		Indian Museum, Kolkata
		West Bengal Urdu Academy
	ii.Private Agencies/ organisations-National	Larsen & Toubro
		A Hand (NGO)
		K.M. Memorial Trust, Kolkata
		Eyecare and Research Centre, Kolkata
		Pukar (NGO)
	iii.Private Agencies/ organisations-International	Save The Children (International)
		Microsoft Inc.
		Lions Club, Kolkata
		Rotary Club, Kolkata

Table 9 highlights the Categories of agencies with which the non-govt organisations collaborated in organising and conducting various activities and programmes for the betterment of the Minority communities. These agencies are grouped into three categories. Under the category named 'Govt agencies (state/ National)', there are 06 agencies, the category 'Private Agencies/organisation-National' has 05 agencies, and the category 'Private Agencies/organisations-International' has 04 international organisations the non-govt. organisations collaborated with.

Table 10: Thematic Responses of NGOs in Favour of their Role in Educational Development (N=15)

Item No	Theme	Responses of the Respondents/Representatives of NGOs
8	1.NGOs can work at grassroots level	i. It can reach grassroot level of the society and deliver services
		ii. NGOs know the exact problem of the society
		iii. NGOs fully aware of the root cause of the problems plaguing the community
		iv. NGOs can work at the grassroots level as they are well-connected with the masses
	2.NGOs are well-connected to the society	i. NGOs have a deep understanding of social problems and can reform or alleviate the social problems if the government provides sufficient funds to them
	3.NGOs can provide support for Educational Development	i. NGOs have greater role and responsibility on their shoulders for the promotion and betterment of the underprivileged of the society
		ii.It can cast a deeper and ever- lasting impact on society.
		iii.NGOs can provide e-educational support to underprivileged students specially from Minority communities
		iv.NGOs can provide their infrastructure for setting up library and reading rooms with reference books for school and college students
	4.Failure of Govt agencies	i. Government organizations cannot perform at grassroot level
		ii. Govt.organisations failed to provide adequate educational support to Minority communities of the state
		iii. Disproportionate number of schools as per latest population
		iv. Govt organizations ask for lengthy, cumbersome paperwork for any kind of support or assistance that makes the needy feel harassed and exhausted and resulted in poor delivery of govt schemes and benefits to those who deserve them.

Table 10 specifies the list of responses of the respondent- non-government organisations in favour of their role in educational development of the underprivileged sections of the society especially those belonging to minorities of the state. All the responses are grouped into 04 themes. Under the theme named 'NGOs can work at grassroots level', there are 04 responses justifying their work at grassroots level, under the theme 'NGOs are well-connected to the society', there are 02 responses, under the theme 'NGOs can provide support for Educational Development', there are 04 responses justifying their work for Educational Development, and under the theme 'Failure of Govt agencies', there are 04 responses that blame the govt and its agencies for their failure to play the vital role in the educational development of the Minority students.

Table 11: List of Socio-educational Programmes/Schemes/Activities undertaken by the NGOs (N=20)

Item No	Theme	Responses of the Respondents/Representatives of NGO
Mention the main educational programmes/activities of the organisation:		
9	1.Awareness / Guidance/ Counselling / Motivation	i. Secondary teachers' motivational session
		ii. Career guidance and counselling sessions for students as well as parents
		iii. Educational awareness programs
		iv. Free counselling and guidance for West Bengal Teacher Eligibility Test examination
		v. Career guidance and counselling program for class X pass out students
		vi. Guidance and awareness program among secondary students to avail scholarships offered by the government
	2.Coaching / Courses/ Training	i. Coaching classes for Teachers Eligibility Test, West Bengal civil service examination etc.
		ii. Free online and offline coaching classes for secondary students
		iii. Free coaching for competitive examinations like WBCS TET etc.
		iv. Basic and Advanced Computer training courses
		v. Learn Bengali classes for minority students
		vi. Free coaching for Minority students from class 8 to 10
		vii. Free WBCS, UPSC, SSC, NEET, CTET, WBTET coaching to poor and deserving candidates especially from religious and linguistic minorities.
		viii. Run and maintain Academic coaching centre for students from Class VIII to XII sponsored by the West Bengal Urdu Academy
		ix. Preparation to crack the entrance test for admission into +2 courses at Aligarh Muslim University and Jamia MIllia Islamia.
		x. An up-to-date computer lab with more than 20 Pcs for providing computer knowledge to school students with tailored courses for appropriate age and class.
		xi. Organized nursing, tailoring and beautician courses
	3.Socio-cultural & Educational programmes	i. Literary and educational programmes like Quiz, Extempore, Essay, Debate competition for secondary students
		ii. Youth Udan Mukabala for secondary students
		iii. Quiz debate essay drawing competition for primary and secondary students
		iv. Organising story telling session every Sunday mornings for young learners
		v.Prize distribution to school wise topper and highest marks getter of Urdu
		vi. Annual cultural and educational program for school children especially belonging to minority.
		vii.Stream wise topper of Urdu medium school across Bengal are given awards
	4.Seminar/ symposium / lectures	i.Organising Seminar, Symposiums, Memorial Lectures, Lecture series
		ii. Organising seminars on important days like Urdu day Mother Tongue day Iqbal Day, Ghalib Day, Independence Day, Republic Day
		iii. Monthly literary sessions
		iv. Celebration of birth centenary of renowned personalities especially from the field of education and literature
	5.Educational tour/ support (MDM/ Library/ Reading Room/ Residential School)	i. Residential schools for street children and destitute
		ii. Supply of cooked mid-day meal to schools
		iii. A full fledge functional library with thousands of reference books, magazines, journals, books for competitive examinations, leading dailies in major languages
		iv. Created Kids Zone with a playing area and short story books, atlas, drawing books, charts, diagrams to attract your minds towards books and inculcate a sense of desire to explore more through teaching-learning materials.
		v. Communication with government agencies with different problems faced by Urdu schools and Urdu-speaking people
		vi. Child and school Student section in the library
	6.Medical / Health Care	i. Working for the health and education of sweet children
		ii. Running a Homoeopathy medical cell for women from underprivileged sections of the society
		iii. Operating a multipurpose gym with modern amenities for inculcating a healthy lifestyle among the young generation
		iv.Distribution of Sports kits among Minority students
	7.Other support	Food distribution

Table 11 presents the list of educational Programmes/Schemes/Activities undertaken by the non-govt. organisations for the minorities of the state. All the Programmes/Schemes/Activities are grouped into 06 themes. Under the theme named 'Awareness/Guidance/Counselling/Motivation', there are 06 responses elaborating on the need to organize programmes for increasing awareness, providing guidance and counselling to students as well as motivating them to excel in education. Under the theme 'Coaching/Courses/Training', there are 11 responses that describe various coaching classes, courses and training programmes that the Non-govt. organisations undertake for their educational development, under the theme 'Socio-cultural and educational programmes', there are 07 different socio-educational activities organised by them, under the theme 'Seminar/ symposium/lectures', there are 04 responses; under 'Educational tour/support' theme, there are 06 responses that mention MDM, residential schools, library, books, students' corner and educational tour as educational support provided to Minority schools and their students, and under the theme 'Medical/ Health Care' there are 04 responses that indicate their activities for the improvement of health and medical condition of the community.

Table 12: Type of help/support provided by the NGOs to LM schools (N=20)

Item No	Item	Help/support the organisation has provided/are providing	Total No. Resp.-NGO	% of Resp.-NGO
10	What sort of help/ support the organisation has provided / is providing Linguistic Minority schools? i. Installed / provided:	a. Water filter	02	10
		b. Power back-up system	03	15
		c. CCTV cameras	00	00
		d. Fans in the classrooms	05	25
		e. Personal computers	02	10
		f. Laboratory equipment/ apparatus	02	10
		g. Books for library	05	25
		h. Teaching learning materials like charts, diagrams, atlas etc	07	35
		i. Solar system power back-ups	00	00
	ii. Organised / conducted programmes	a. Education awareness programmes	10	50
		b. Career counselling sessions	17	85
		c. Literary programmes like Quiz, Essay, Extempore, Debate, Drawing and Recitation competition	19	95
		d. Awareness programmes on social and environmental issues	13	65
		e. Prize distribution programmes for successful candidates of Madhyamik Pariksha	15	75
		f. Free coaching for minority students	11	55
	iii. Offered to needy and meritorious students	a. Free syllabus books	08	40
		b. Scholarships	07	35
		c. Financial help for education	13	65
	iv. Any other	a. Provide financial help to Minority students to get admission in professional courses subject to meeting certain criteria	02	10
		b. Collaborated with Kolkata Police to organise coaching classes for competitive examinations.		

Table 12 highlights the type of help/support provided by the non-govt. organisations for the promotion of education among Minority communities.

Special Suggestion/ Comments:

Table 13: Gist of suggestions and comments provided by the NGOs (N=20)

Item No	Theme	Responses of the Respondents/Representatives of NGO
11	1.Special attention for educational development of Minority	i. To implement at ground level the minority language status accorded to minority languages in the state by the state govt.
		ii.The state and central govt need to enhance the amount of the scholarship given to minority students as the amount they receive is insufficient to fulfil their educational requirements
		iii.The govt. should ponder deeply about removing the economic hardship of minority communities to get better results from all the programmes and schemes meant for the educational development of the community as the poor economic condition causes lots of hardship and pain to students from Minority communities.
		iv.There should be political will for their educational development.
	2.Service/Job opportunities for Minority in govt & pvt. sector	i. To provide job opportunity to Minority community in govt. and private sectors for their economic upliftment that would lead them to improve their educational capabilities and standards.
	3.Need for New Schools/ Improvement of existing schools of Minority	i.There is an urgent need to improve the educational environment of all the minority schools in Calcutta as well as in Bengal.
		ii. Foundation of new schools (mainly secondary), transparent selection process of teachers, regular appointments of teachers strictly on merit basis.
		iii. Increase of fund for the overall development of minority schools.
		iv. Infrastructure of all minority schools across Bengal need to be improved and upgraded.
	4.Need to impart Bengali Language teaching at Minority schools	i. Appointment of 3rd Language (Bengali) teachers at Minority schools.
		ii.Bengali, the state language, to be made compulsory from class V to X before it is made compulsory for civil service jobs in the state.
		iii. Every minority school should take urgent steps to start teaching Bengali as a language from primary level to enable minorities students eligible for state government jobs.
	5.Active participation of NGOs needed	i. To provide vocational training to academically weaker students at school or by the NGOs
		ii. School premises should be lent out to local NGOs to be used to provide skill training for Self-employment to economically weaker students
	6.Need for Massive Awareness, Guidance, Counselling and Motivation	i. There should be a career guidance and counselling program to be held at each and every school for secondary level students at least quarterly and to continue throughout the year.
	7.Training and appointment of teachers for Minority schools	i. Adequate Teachers to be provided to the minority schools
		ii. Proper teacher training/ in service training to be provided to all the teachers teaching at Minority secondary schools by the government of West Bengal
	8.Valuable suggestions	i. There should be a separate dedicated Service Commission to deal with the problems related to the education of minority communities in the state.
		ii. Educated people of the community should at least adopt one underprivileged student for his/ her educational progress.
		iii. There is an urgent need to start establish educational clinic to diagnose educational shortcomings of the learners and also provide suitable treatment / solution to those defects

Table 13 presents the gist of suggestions and comments provided by the govt and non-govt. organisations for socio -educational upliftment of Minorities in Kolkata in particular and in West Bengal in general. All the suggestions and comments are grouped into 08 categories/themes.

5. Conclusion

NGOs play a vital role in the educational and social upliftment of minorities in Kolkata, West Bengal. Through their diverse range of initiatives, including educational programs, socio-cultural activities, skill development projects, and advocacy efforts, NGOs contribute to creating a more equitable and inclusive society. Their work not only empowers individuals within minority communities but also strengthens the social fabric of Kolkata by fostering intercultural harmony and understanding.

In conclusion, the collaborative efforts of NGOs, government agencies, and community stakeholders are essential for achieving meaningful progress in the educational and social empowerment of minorities in Kolkata and beyond. By recognizing the valuable contributions of NGOs and supporting their initiatives, society can move closer towards realizing the vision of a more inclusive and equitable society for all.

****

References

Ahmed, I. (2024). A Study of the Factors Determining Educational Development of the Linguistic Minorities at Secondary Level in West Bengal, IGNOU, New Delhi (Unpublished Doctoral Thesis)

Barr, A. S., Davis, A. R., & Johnson, O. P. (1953). Educational Research and Appraisal. Chicago: J.B. Lippincott Co.

Brace, I. (2004). Questionnaire Design: How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Market Research. Volume 1. London: Kogan Page.

Bradburn, N., Sudman, S. &Wansink, B. (2004). Asking Questions. The Definitive Guide to Questionnaire Design - For Market Research. New Jersey: Jossey- Bass.

Dang, L. H. (2009). Non-Governmental Organizations (NGOs) and development: An illustration of foreign NGOs in Vietnam [Unpublished master's thesis]. Ohio University.

Goode, W. J., & Hatt, K. P. (1952). Methods in Social Research. New York: McGraw-Hill Book.

Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2009). Survey Methodology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Gulf.

Hillman, A. L., & Jenkner, E. (2004). Educating children in poor countries. International Monetary Fund.

Marsden, P., & Wright, D. J. (2010). Handbook of Survey Research. Bingley, UK : Emerald Group Publishing.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometry theory (3 rd ED). New York: McGraw-Hill.

NEUPA. (2018). Elementary Report Card- 2016-17, New Delhi: NEUPA.

Potapkina, V. (2006). The role of international humanitarian NGOs in African conflicts in the post-cold war period [Unpublished doctoral dissertation]. Masarykova University.

Raykov, T., & Marcoulides, G. A. (2011). Classical Item Analysis Using Latent Variable Modeling: A Note on a Direct Evaluation Procedure. Structural Equation Modeling, 18,316-325.

Registrar General of India. (2016). Census of India 2011: Final population Totals, New Delhi: Government of India

Saris, W. E., and Gallhofer, I. N. (2007). Design, evaluation, and analysis of Questionnaires for survey research (Vol.548). Hokoben, New Jersey: John Wiley & Sons.

Webster (1961). Webster's Third New International Dictionary of English Language: Unabridged. Bell & Sons., Ltd.

Websites:

http://www.wbnsou.ac.in/student_zone/courses/school_of_professional_studies/dissertation_guide/20220715_Final_List_of_NGOs_Field_Work_MSW_I_2022.pdf)

शोध उत्कर्ष Shodh Utkarsh (RESEARCH ARETE JOURNAL)

Dedicated for Research
Shodh Utkarsh

https://shodhutkarsh.com

अतिथि संपादक - श्री प्रेमकुमार नाईक & डॉ. नरेश गौतम